C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXIX, Twelfth Session, 2012/1934 (Saka)
No. 8, Tuesday, December 04, 2012/Agrahayana 13, 1934 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.141 to 144	2-43
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 145 to 160	44-99
Unstarred Question Nos.1611 to1840	100-813

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 814-824

COMMITTEE ON PETITIONS 825
22nd and 23rd Reports

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION 825
28th Report

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE 826
103rd to 106th Reports

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 826-827
181st to 187th Reports

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 26th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2012-13), pertaining to the Ministry of Steel.
Shri Beni Prasad Verma 828

MOTION RE: FORTY-SECOND REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 829

CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL,2012 830

MATTERS UNDER RULE 377 845-863

(i) Need to provide additional stoppages for Express trains running between Ratnagiri and Madgaon sections of the Konkan railway in Maharashtra.

Shri Nilesh Narayan Rane 845-846

(ii) Need to accord administrative approval to start Central Nursing School sanctioned for Thrissur district at Koratty Leprosy Hospital near Chalakuddy in Thrissur district, Kerala.

Shri K.P. Dhanapalan 847

(iii) Need to upgrade educational standard in Engineering colleges and other Higher educational institutions in Andhra Pradesh and other parts of the country, to minimize dropout rate.

Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi 848

(iv) Need to increase the credit limit of Kissan Credit Cards to Rupees five lakh.

Shri Ijyaraj Singh 849

(v) Need to fill vacant posts of doctors in CGHS Delhi.

Shri Jayawantrao Gangaram Awale 850

(vi) Need to issue a commemorative stamp in recognition of Puli Thevan, a freedom fighter of Tamil Nadu.

Shri Manicka Tagore 851

(vii) Need for timely release of Backward Regions Grant Fund for development of Pratapgarh district of Uttar Pradesh.

Rajkumari Ratna Singh 852

(viii) Need to expedite setting up of Sports Authority of India (SAI) boxing training Centre at village Bapora in Bhiwani district, Haryana.

Shrimati Shruti Choudhry 853

(ix) Need to provide jobs to the displaced persons by the Government Sector Companies in Jharkhand.

Shri Ravindra Kumar Pandey 854

(x) Need to provide special economic package to the farmers of drought affected regions of Maharashtra.

Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi 855

(xi) Need to expedite construction work of the railway line between Ramganjmandi and Bhopal via Jhalawar in Rajasthan.

Shri Dushyant Singh 856

(xii) Need to include Baba Bhuteswar, Khereswara, Aswasthama Temples and Ganga Ghat in Miksrikh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh in the list of places having tourism potential.

Shri Ashok Kumar Rawat 857

(xiii) Need to revise pay scales of Bank employees equivalent to Central Government employees in the country.

Shri Kaushalendra Kumar 858

(xiv) Need to take steps for immediate release of Cauvery water by Karnataka Government.

Shri A.K.S. Vijayan 859

(xv) Need to accord sanction for setting up of a Kendriya Vidyalaya in Erumpetty Grama Panchayat of Wadakkunchery Taluk in Trissur district, Kerala.

Shri P.K. Biju 860

(xvi) Need to restore the supply of gas from the Krishna-Godavari Basin to Andhra Pradesh.

Shri Nama Nageswara Rao 861

(xvii) Need to set up an additional bench of Allahabad High Court in western Uttar Pradesh.

Shri Jayant Choudhary 862

(xviii) Need to open an Akashvani Kendra in Dausa, Rajasthan.

Dr. Kirori Lal Meena 863

RE: HOLDING OF COMBINED DISCUSSION ON DIFFERENT MOTIONS ON MULTI-BRAND RETAIL TRADE 864-869

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Objection regarding discussing the Motions for Modification included at serial Nos. 29 and 30 together with motion under rule 184 at serial No.28 870-871

(i) MOTION RE: RECOMMENDATION TO TO WITHDRAW DECISION TO ALLOW 51% FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN MULTI-BRAND RETAIL TRADE

(ii) MOTION RE: MODIFICATIONS IN ANNEX 'A' AND ANNEX 'B' OF NOTIFICATION UNDER FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT, 1999

AND

(iii) MOTION RE: MODIFICATIONS IN ANNEXE 'B' OF NOTIFICATION UNDER FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT, 1999 872-950

Shrimati Sushma Swaraj 873-899

Prof. Saugata Roy 900-911

Shri Hassan Khan	912
Shri Kapil Sibal	913-932
Shri Mulayam Singh Yadav	933-937
Shri Dara Singh Chauhan	939-943
Shri T.K.S. Elangovan	944-946
Shri Basudeb Acharia	948-950

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	965
Member-wise Index to Unstarred Questions	966-971

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	972
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	973

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, December 04, 2012/Agrahayana 13, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

MADAM SPEAKER : Q.No. 141, Shri Mahendra Kumar Roy.

(Q.141)

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY : Madam, I am sorry to point out that the hon. Minister has tried to avoid the vital part of my question, which states, *inter alia*, 'whether the strength of police personnel in various States/UTs are adequate to check the rising crimes in the country'. I want a specific reply to my question.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Madam, the State Police force is in a position to combat any number of crimes in the whole of the country. It is well equipped.

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY : Madam, the answer is not correct. We have some data. According to Bureau of Police Research and Development, the report states that on an average three cops are being deployed for one VIP, whereas only one cop is being deployed for 761 ordinary citizens. Reports also show that when there are 5,02,420 vacancies in the Police Department, 25 States and UTs had, in the year 2010, deployed 50,059 police personnel for protecting 16,788 VIPs, including Ministers, MPs, MLAs, Bureaucrats and Judges.

Madam, this is the attitude of the UPA-II Government towards the lives of common taxpayers. It has no value for the Government.

MADAM SPEAKER: Please ask the question.

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY : My second supplementary is that there is a report that adequate number of police personnel is not being recruited from the backward classes and backward areas. I want to know from the Government the ratio of police personnel recruited from the backward classes and backward areas.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Madam, police and law and order is a State subject as per the Seventh Schedule to the Constitution of India. It is the primary responsibility of the State Government to strengthen the police forces and to make recruitment to the police force.

As such, from time to time, we are giving advisories to the State Governments to fill the vacancies in the respective States and many of the State Governments are, in fact, fulfilling the advisories being given by the Central Government.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, the police-population ratio is coming down year after year because recruitment is not taking place. The fund which was allocated to the State Governments for the modernisation of police force, for the training of police personnel – many of the States have the figures of utilization of the funds provided by the Central Government for the modernisation of police force – has not been utilized and because of acute shortage of police personnel, to the extent of five lakh vacancies, throughout the country, the incidents of crime are increasing day by day.

There is shortage of police personnel; there are large number of vacancies; training is not being imparted. Even after providing fund, the fund is also not being utilised for the purpose of modernisation of police force. I would like to know from the Home Minister whether the Central Government has any mechanism for monitoring all these aspects of police force in our country.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Madam, the Bureau of Police Research and Development (BPR&D) has given the figure that there are five lakh vacancies in the police force in the various States. As I have stated earlier, we are making sincere efforts to advise the State Governments to fill the vacancies in various States. Many of the State Governments are, in fact, cooperating with the Centre to fulfil the promises.

The police population ratio sanctioned is 173 police personnel per one lakh population; the present ratio is 131 police personnel per one lakh population. The

States have to fill this gap. Many of the State Governments are, in fact, very serious about filling up the vacancies.

SHRI S.S. RAMASUBBU : Madam Speaker, the police force in there in each and every State to maintain law and order. For handling numerous problems, the police force is inevitable in almost all the States. But, at the same time, sometimes when emergencies arise in the States like recently arised in Assam, it is very difficult to control the situation. In that particular time, it is not possible for the State Governments to manage such problems because there are so many vacancies of police forces in the States. In all the States, taken together, five lakh police personnel are to be appointed. So, I would like to know whether in emergency conditions, the Central Government is sending the police forces to assist the State Governments. What procedure the Central Government is adopting in sending these police forces in such circumstances?

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Madam, I made it very clear in the beginning that ‘Police’ is a State Subject and the Central Government is supplementing the efforts of the State Governments whenever an emergency arises. When such a situation arises, definitely the Central Government would be able to deploy our Central forces in the respective States.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Madam Speaker, there are inadequate police forces especially in the international rivers bordering our country. There are only five police personnel, that is, one SI and four police constables. Clubbing three districts together, five police personnel have been employed. As the rivers are used by people illegally coming across the border, I would like to know from the hon. Home Minister whether there is any proposal with the Home Ministry to increase the police personnel especially to guard the international rivers in the North Eastern Region.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Madam, the border area of country is guarded by Border Security Force especially the Indo-Bangladesh

border. The Border Security Force is, in fact, doing its best to see that infiltration from Bangladesh is resisted to a great extent.

श्री रेवती रमण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया जी, माननीय मंत्री ने जो लिस्ट दिया है कि इन्होंने कौन-कौन प्रदेशों को क्या-क्या मदद की हैं। उत्तर प्रदेश देश का सब से बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ की है जो दुनिया की आबादी का छठवां भाग है। लेकिन आप ने उत्तर प्रदेश को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस फोर्स को कोई मदद नहीं दी । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ दिया? आपने दूसरे प्रदेशों की मदद की, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं की?

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Madam, I do not think that the question raised by the hon. Member is relevant because we do not discriminate between one State and the other. This criteria is being decided by the BPR&D and according to that criterion, we are extending financial support to the respective States. There is absolutely no discrimination at all between one State and the other.

श्री जयंत चौधरी : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि एक प्रसिद्ध प्रकाश केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में सभी प्रदेश सरकारों को निर्देश दिए थे। उनके डायरैक्टिव के पीछे एक मुख्य उद्देश्य यह था कि पुलिस के राजनीतिकरण पर अंकुश लगाया जाए। मैं अपने प्रदेश में देखता हूं कि जो लोग बहुत जिम्मेदार राजनीतिक पदों पर होते हैं, उनका दखल और नज़र थानों पर पड़ी रहती है। पुलिस अफसर जो बहुत बड़े जिम्मेदार पदों पर हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनके ट्रांसफर तेज़ गति से होते हैं। मेरे जिले में मेरे एमपी बनने के बाद छः या सात एसएसपी आ चुके हैं।...(व्यवधान) पुलिस रिफार्म्स के लिए केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारों को आर्थिक मदद दे रही है। हम क्यों नहीं प्रदेश सरकारों पर यह शर्त लगाएं कि प्रकाश केस में जो डायरैक्टिव दिए गए हैं, पहले उन्हें फॉलो किया जाए और उस आधार पर हमने जो मॉडल पुलिस एक्ट पेश किया है, उसे इनैक्ट करें। उसके बाद हम पैसा देंगे। यह मेरा प्रश्न है।

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Madam, the directives, given by the hon. Supreme Court in Prakash Singh case, have been honoured by the Central Government. In fact, we are fulfilling all the directives given by the hon. Supreme Court one by one.

श्री रेवती रमण सिंह : माननीय अध्यक्षा जी, मंत्री जी ने पूरा जवाब नहीं दिया ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Q. 142, Shri Bansa Gopal Chowdhury – Not present.

Shri Ganeshrao Nagorao Dudhgaonkar – Not present.

(Q. 142)

MADAM SPEAKER: Shri Haribhau Jawale.

श्री हरिभाऊ जावले : अध्यक्ष महोदया, सरकार ने खुले बाजार में गेहूं के समर्थन मूल्य के लिए 95 लाख टन का आवंटन किया है। सरकार ने यह अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम 50 लाख टन गेहूं गत वर्ष वर्षा में सड़ रहा था क्योंकि उसे रखने के लिए भंडार क्षमता नहीं थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 95 लाख टन गेहूं जिसका आवंटन सरकार ने किया है, उसमें से कितना गेहूं अच्छी क्वालिटी का है और कितना गेहूं खराब क्वालिटी का है? व्यापारियों ने उसमें से कितना गेहूं किस भाव से उठाया है? दूसरे देश अभी भी हमारे गेहूं की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। अगर हमें एक्सपोर्ट करने पर उचित दाम मिलता है, सरकार को फायदा होता है, तो हमने एक्सपोर्ट क्यों बंद किया है, इसकी क्या वजह है?

PROF. K.V. THOMAS: Madam, hon. Member has raised a number of issues. I will try to answer them one by one.

One issue is regarding the wastage and rotting of food grains. In the year 2002-03, the quantity of damaged food grains was about 1.35 lakh tones,whereas in 2012-13, upto November 2012, the figurewas only 0.014 lakh tones. Now, when we are procuring almost 80 or 81 million tonnes of food grains, we come down from that level. We are distributing about 62 million tonnes through PDS and welfare measures. The damage has come down to 0.014 lakh tonnes. So, FCI and Government of India have taken all measures so that no rotting of food grains takes place in the country. That is number one.

Secondly, we have got a record production and a record procurement. In 2001-02, our production of wheat was 727 lakh tonnes and we procured about 190 lakh tonnes, and MSP was Rs.620. Now, after about ten years, our production has gone up, and as per the Fourth Estimate in 2012 it is 939.03 lakh tonnes. Our procurement was a record one – 380 lakh tonnes. This year we have procured about 82 million tonnes of wheat and rice. During the procurement of wheat, we had a major problem; about 69 lakh tonnes which was kept in *katcha* had also been transferred, and there is no damage.

Coming to the capacity, about five years back we started with about 55 to 60 lakh tonnes of capacity, which had now gone up very much and we were able to store almost all the food grains which came to FCI. Now, the situation is this. When MSP is going up, when the bonus is being declared by many States, the private players are not coming into the market. As a result, we had produced about 37 percentage of what had been produced in the country. Usually, it is between 27 and 30 per cent.

Now, coming to the OMSS bulk scheme rates, Madam, we have taken a policy decision by which in the producing States like Punjab and Haryana, it is MSP plus the State tax. In the consuming States like Kerala, Tamil Nadu, that is for the southern States, it is MSP plus the tax of the State from which it is being procured plus the freight charges. This is the procedure which we have.

Now, we are releasing specially wheat to the bulk consumers on demand. The Cabinet has agreed to release first about 30 lakh tonnes. It has already been released. Now, we are going to release 65 lakh tonnes to the bulk consumers and 10 lakh tonnes of wheat and rice through retail scheme in States.

Madam, we are also exporting wheat. There is a private export under OGL, which is taking place in the country. About 73 lakh tonnes of non-basmati rice has been exported. Nearly 27 lakh tonnes of wheat has been exported. From the Central Pool, as per the Rangarajan Committee Report, we have allowed two million tonnes, which is already going out and we are getting a record price. We started with about Rs.240 to Rs.245, which has gone to Rs.345.

SK. SAIDUL HAQUE : Madam, the hon. Minister in his reply stated that the Government allocated food grains for the bulk users under the Open Market Sale Scheme, and the purpose is to control and moderate the open market price. But what is the ground reality? Has it been able to moderate and control the price in the open market? It is not. The price of food grains has risen to an upper level. That is why, my specific question to the hon. Minister is whether the Government

is planning to introduce universal Public Distribution System so that the price in the open market can be controlled and moderated. That is my question.

PROF. K.V. THOMAS: Madam, as I said in my answer to the first question, every year MSP is going up. In 2001-02, MSP for wheat was Rs.620. Now, it has gone to Rs.1,285. Similarly, about rice in 2002-2003, it was Rs. 560 and Rs. 580. Now, it is Rs. 1,110 and Rs. 1,210. The bonus is also being declared. So, once the MSP goes up, once the bonus is declared, naturally the market price will also go up. This is a factor that is inherent in the MSP… (*Interruptions*)

श्री गणेश सिंह : गेहूं की जो कीमत दी जा रही है, वह उसकी लागत की तुलना में कुछ भी नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

PROF. K.V. THOMAS: Madam, it is not in my control. When the MSP goes up, I have no control over the price… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आपको भी बोलने का मौका देंगे। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

PROF. K.V. THOMAS: Secondly, coming to the price of rice, if you take Delhi, the price has almost been constant. In the case of wheat, there is a slight increase in the price. That is why we are releasing 75 lakh tonnes of wheat and rice into the market; and that involves a subsidy of about Rs. 4,000 crore apart from the subsidy of Rs. 99,000 crore on the PDS. These factors have also to be considered.

डॉ. रतन सिंह अजनाला : मैडम, मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कनक की एमएसपी एनाउंस क्यों नहीं की है, उसे कब एनाउंस करेंगे, क्या जब कनक घर जाएगी? स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है।

PROF. K.V. THOMAS: Madam, this is before the Cabinet; and the prices will be announced immediately after we get decision of the cabinet.

Regarding storage, a scheme to create a capacity of about Rs. 181 lakh tones has been announced. This is being implemented.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, इसमें कई प्रश्न हैं, लेकिन बुनियादी प्रश्न यह है कि जब सरकार के द्वारा खरीदा जाता है और भंडारण किया जाता है, उसकी केंद्रित व्यवस्था है। एफसीआई के द्वारा केंद्रित व्यवस्था में भण्डारण करने से अनाज सड़ता भी है, नुकसान भी होता है, यातायात-परिवहन का खर्च भी बढ़ता है, फिर वहां से भेजने में भी खर्च बढ़ता है। अटल जी की सरकार के समय कृषि मंत्रालय से एक योजना बनी थी और उसको लागू किया गया था - ग्रामीण गल्ला गोदाम। एनसीडीसी के द्वारा पैक्सों में गोदाम बना दिया जाना जिससे हर गांव के पैक्स में भण्डारण किया जाए और जो भी किसान गोदाम बनाना चाहें, उनको 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाए, जिससे विकेंद्रित छः लाख गांवों में अगर 1000-1000 टन के गोदाम बना देते हैं, तो उसमें परिवहन का खर्च बचेगा, एफसीआई में जो छीजन और सड़न होती है, वह कम होगी और किसान को वहां बेचने में भी सुविधा होगी। उसमें प्रावधान था कि उसमें जो किसान अपना अनाज रखेंगे, उनके अनाज की रसीद पर बैंक से उनको 60 प्रतिशत लोन दे दिया जाए। जो ऐसी व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था को मन्द कर दिया गया, धीमा कर दिया गया और केंद्रित व्यवस्था एफसीआई के हाथ में दे दी गयी। केंद्रित व्यवस्था में जब सड़ेगा, तो भ्रष्टाचार होगा, अच्छे माल को भ्रष्टाचारी काले बाजार में बेचकर सड़े हुए माल को दिखा देगा, चूहा खा जाएगा, खाएगा दो टांग वाला चूहा और लिख दिया जाएगा कि चार टांग वाला चूहा खा गया। जो ये सारी चीजें हैं, इनको रोकने के लिए विकेंद्रित व्यवस्था में क्या करना है? अभी किसानों के अनाज की कीमत की बात कह रहे थे, औद्योगिक घराने वाले माल पैदा करें, तो कीमत स्वयं तय करें और हम माल पैदा करें, तो कीमत सरकार तय करे। नीति यह होनी चाहिए कि कारखाने का माल और खेती का माल, दोनों की कीमत सरकार तय करे और दोनों में संतुलन बनाकर रखे, नहीं तो हम अपना माल बेचें सस्ता और अपने घर के लिए उद्योग का माल तीन गुने भाव पर खरीदें। इस तरह की हमको दोहरी चक्की में पीसा जा रहा है, उससे हमको मुक्ति दिलाने के लिए क्या नीति अपनाई जा रही है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

PROF. K.V. THOMAS: Madam, I want to stress the point that the damages have come down from 2.5 per cent to 0.06 per cent. So, there is a lot achievements that we have made in controlling the damages.

Coming to the Gramin Bhandaran Yojana Scheme and Small Warehouses, under the Ministry of Agriculture, still there are a large number of schemes that the Government of India can implement. Fund is available. Both the hon.

Agriculture Minister and myself are continuously writing to the State Governments to make use of those schemes so that small godowns come in the villages. These schemes still exist.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions)[*] …

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : Madam, the Government has sold food grains by a tender process to the bulk users and traders. Selling food grains procured by the Government to bulk users is understandable whereas selling food grains to traders amounts to the Government being a middle man in between the trader and the producer. So, I want to know whether the Government will stop selling food grains to the traders because the Government procures it at a lower price and the trader is going to sell it at the market price only. Even the trader will not reduce the prices because he has obtained the rice or he has purchased the rice at a lesser price.

Further, there are issues with regard to price rise, particularly food grains. Instead of selling these food grains to consumers and traders, whether the Government will come out with a scheme of a Universal Public Distribution System so that this can be distributed to the poorer sections and middle income group in the whole of the country?

PROF. K.V. THOMAS: Madam, at present we are considering implementation of the Food Security Bill is brought to this House. That Bill is now before the Standing Committee and it is being examined. There is discussion with various organizations at stake.

Now, coming to the Government, that is, the FCI purchasing food grains from the farmers at the MSP price and bonus, the FCI has no option other than purchasing because the farmers are coming with food grains. It is true that the traders are not intervening. They are waiting for the Government to purchase and then give it to them at a subsidized rate. But there are two or three problems. One

[*] Not recorded.

is, as has been pointed out by some of the Members, the price of *atta* and wheat is rising up because the private traders are not releasing it to the market. And, second is, we are procuring more than what is needed for the PDS and welfare measures, which is about 62 million tonnes. We have bought 82 million tonnes. We have to manage it. So, looking into all these matters, we have a scheme for the bulk distribution to the traders and millers in which we are getting the price, the State taxes of the producing States and the transportation charges. This is what we are doing now.

SHRI T.R. BAALU :Will you avoid facilitation to the traders? That is the question.

PROF. K.V. THOMAS: I understood it. But I am telling about the overall position in the country. If I do not release some quantity of food grains to the millers and traders, then these food grains and *atta* will not be available. This is my first point. Second, I would have a huge stock. I cannot limit my purchase when the farmers are coming to FCI depots. Every State Government is coming to us requesting us that we purchase. This is the situation in the country.

श्री महिन्दर सिंह केपी : मैडम, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का मौका दिया है। पंजाब व्हीट प्रोड्यूसिंग और व्हीट कंज्युमिंग स्टेट है। लेकिन पंजाब में जो आटा चक्कियां लगी हुई हैं उन्हें पंजाब की व्हीट 200 रुपये महंगी मिल रही है जबकि हरियाणा, राजस्थान तथा दूसरी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां से किसान को व्हीट सस्ती मिलती है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो डिसपैरिटी है, जो गेहूं हैं, वह पंजाब में फ्लॉर मिल वालों को महंगा मिलता है और यदि वे लोग राजस्थान से लेते हैं तो उन्हें सस्ता मिलता है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस डिसपैरिटी को हटाने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं?

PROF. K.V. THOMAS: Primarily, when the millers and traders in the producing States come to the market, when food grains are reaching the market, what is happening is that during the procurement period, these traders and millers are not participating and thus FCI has to procure a large quantity. So, we have taken a policy decision. By that policy, in the case of States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and the Union Territory of Chandigarh, it is the MSP price plus the States' taxes. I know the State's tax in Punjab is to the tune of 14.5 per cent. I have no control over that. That tax they have to pay. That is one of reasons for it. If the State Government of Punjab withdraws or reduces their State's taxes, prices will come down.

(Q.143)

SHRI S. ALAGIRI : Madam, Rajiv Awas Yojana advocates a 'whole city, all slums, whole slum' approach. This approach strengthens the weaker sections among the urban population.

I congratulate the UPA-II Government to have introduced this scheme for slum redevelopment. I want to know through you the State Governments participation, suggestions and comments to implement the said Yojana to achieve ‘slum free India’.

SHRI AJAY MAKEN: Madam, Rajiv Awas Yojana was started last year in July. So far we have sanctioned 12 projects and 21 projects from different State Governments are pending for evaluation before the Ministry. So far we have sanctioned Rs.446.22 crore of projects, which will translate into 8400 number of dwellings.

SHRI S. ALAGIRI : I visited and inspected some housing projects of the weaker sections promoted by the Central and State Governments. The houses are very weak. I asked the PWD officer as to why these houses are so weak. The officer said: ‘No, Sir, these are strong. These houses will sustain 30 years’.

I asked the PWD engineer that your house, the PWD Minister’s house, MPs’ and MLAs’ houses are sustaining more than 100 years but the houses for economically weaker sections people sustain only for 30 years. But, from his side there was no reply.

SHRI AJAY MAKEN: The hon. Member has asked a very relevant question and has also given a very good suggestion. I would like to inform the House and to the Member through you, Madam, that this is one of the points which was also taken up by the C&AG in his report. We are, now, very seriously considering third party inspection in all such projects in the future. Rajiv Awas Yojana Phase-II is still under preparation and this is going to be a very important aspect of Rajiv Awas Yojana Phase-II.

Secondly, so far as the operation and maintenance is concerned, which again is one of the issues wherein we construct group housing for the poor, we have decided that in the second phase, two per cent of the entire cost for operation and maintenance would be borne by the Centre, and for two per cent, we will ask the State Governments to contribute. So, we would like to put four per cent of the total project cost into a consolidated fund for only looking at the operation and maintenance aspect.

Thirdly, we have formed a system, which is going to be activated very shortly. We are calling it an Integrated Poverty Monitoring System (IPMS). Through this, we are also going to monitor the quality of construction in Rajiv Awas Yojana.

श्री राधे मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी आवास योजना एक ऐसी योजना है तो सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि इस योजना पर जितना भी सरकार पैसा खर्च करे वह कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मनरेगा जैसी योजनाओं का लक्ष्य गरीबों के उत्थान के लिए है। मनरेगा में तमाम तरह की अनियमितता आ रही है, यह बेहतर होगा कि उन्हें भी दूर किया जाए और उन योजनाओं के पैसे की कटौती करके राजीव गांधी आवास योजना पर खर्च हो तो निश्चित रूप से भारत के गरीबों को फायदा होगा।

महोदया, मैं उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। यह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस हिसाब से गरीबी भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। मंत्री जी ने उत्तर में दिया है, इसमें बड़े शहरों को तो लिया है लेकिन छोटे शहर होने से गरीबों की जरूरत कम नहीं हो पा रही है। जैसे गाज़ीपुर, बलिया, चंदौली और जौनपुर ऐसे जिले हैं जहां इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है जबकि ये पूर्वांचल के सबसे पिछड़े जिले हैं। उत्तर प्रदेश में विशेषकर छोटे शहर हैं जहां ज्यादा गरीबी है, जहां ज्यादा जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बड़े शहरों और छोटे शहरों को सम्मिलित करके कब योजना बनाएंगे?

श्री अजय माकन: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम लोग राजीव आवास योजना का फेस-2 के कन्सेप्चुलाइजेशन में पूरे देश के हर शहर को सम्मिलित कर रहे हैं। फेस-1 में .3 मिलियन यानी तीन लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ही सिर्फ लिए गए थे लेकिन फेस-2 के लिए इसे परिवर्तित कर रहे हैं। पूरे देश के सारे शहर इसके लिए उपयुक्त होंगे कि इसके तहत पैसे लिए जा

सकते हैं। फेस-2 में जितने शहर हैं, उन्हें सम्मिलित किया जा सके, इसकी व्यवस्था की है। इसके लिए हमने पूरी स्कीम को दो हिस्सों में बांटा है ताकि शहर में लगभग जो आबादी शहर में है, उसके प्रपोशन के हिसाब से पूरे शहरों को फायदा मिल जाए। आधा पैसा राजीव आवास योजना के फेस-2 में, जो पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं के लिए रखा जाएगा और आधा पैसा उससे कम आबादी वाले शहरों के लिए रखा जाएगा। राज्य इसे निर्धारित कर सकेंगे कि किस शहर को कितना पैसा किस तरीके से दिया जाए। हमने प्रोजेक्ट वाइज़ पैसा एलोकेट जेएनएनयूआरएम फेस-1 में किया गया था, अब हम उसमें थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। हम राज्य को पैसा 100 प्रतिशत दे रहे हैं। राज्य को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा जिसमें उन्हें सिटीज़ स्पेसिफिक प्लान आफ एक्शन बनाना होगा जिसके दो भाग होंगे। एक भाग, जो एग्जिस्टिंग स्लम्स हैं उन्हें कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए और फ्यूचर में स्लम्स न पैदा हो सकें, इसके लिए नीति और पालिसी बनानी होगी। हम चाहते हैं कि हर शहर स्लम इरेडिकेशन प्लान और स्लम रिहेबिलिटेशन प्लान बनाए और उसके तहत हर प्रोजेक्ट के लिए पैसा प्रियारिटाइज करके हमसे मांगे। इस वक्त हमारी कैलकुलेशन है कि पूरे देश में 18.78 मिलियन अर्बन हाउसिस की शार्टेज है। एक करोड़ 87 लाख हाउसेज की जो शार्टेज है, इसके लिए लगभग साढ़े सात लाख करोड़ रुपये की जरूरत सिर्फ इस शार्टेज को पूरा करने के लिए चाहिए। यह सारा का सारा पैसा सरकार की तरफ से नहीं हो सकता, इसलिए हमने यह व्यवस्था की है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी इसमें आए और गरीब उसे खरीद सके। इसके लिए उसे क्रेडिट दिया जा सके और साथ-साथ सरकार और लोकल बाडीज इन्हें बनायें, ये तीनों चीजें उसे साथ में करनी है। इसलिए राजीव गांधी आवास योजना फेज-2 में हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि 35 परसैन्ट ड्वैलिंग यूनिट्स या 15 परसैन्ट एफएआर दोनों में से जो ज्यादा होगा, जो कोई भी ग्रुप हाउसिंग बनेगा, वह इकोनोमिकली वीकर सैक्शन और एलआईजी के लिए बिल्डर को रिजर्व करना पड़ेगा और उसे मार्केट से खरीदने में आसानी हो, इसके लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड स्कीम केन्द्र सरकार ने लागू की है, जिसमें एक हजार करोड़ रुपये हमने ट्रस्ट के अंदर डाले हैं, जो कि कोलेटरल सिक्युरिटी की तरह काम करेंगे। पांच लाख रुपये तक का लोन किसी भी गरीब को बगैर कोलेटरल सिक्युरिटी के मिल जायेगा, जिससे वह मकान खरीद सकेगा। हम लोगों ने यह योजना इस तरीके से रखी है कि इस माध्यम से लगभग साठ हजार करोड़ रुपये मार्केट में बैंक्स के माध्यम से अवेलेबल होगा, ताकि गरीब उसे खरीद सके। इसके साथ ही हम लोगों ने लगभग तीस हजार करोड़ रुपये रखे हैं, जो हम खुद स्टेट गवर्नमैन्ट्स को देंग। इसमें केन्द्र सरकार का शेयर होगा और इतना ही पैसा स्टेट गवर्नमैन्ट्स को लगाना पड़ेगा, हम लोग साठ हजार करोड़ रुपये और दे रहे हैं, जिससे कि शहर खुद अपने ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाउसिंग बना सकें। इन दोनों को

मिलाकर प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर में आसान तरीके से लोन, क्रेडिट गरीबों को मिल सके, ये सब मिलाकर एक स्ट्रेटेजी बनी है, जिससे कि हम इस शार्टेज को दूर कर सकें।

श्री वीरेन्द्र कुमार : मैडम, स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए जो राजीव गांधी आवास योजना प्रारम्भ की गई है, इसमें मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर और सागर शहरों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख की आबादी वाले जो 26 शहर हैं, क्या उन 26 शहरों को अगले चरण में शामिल किया जाने वाला है और उनमें टीकमगढ़, छतरपुर, सतना और नौगांव को कौन से चरण में आप प्रारम्भ करने वाले हैं?

श्री अजय माकन : मैंने माननीय सदस्य को बताया कि जो हमारा अगला फेज है, उसमें देश के सारे शहर क्वालिफाई कर पायेंगे। हम लोगों ने अभी जो 12 प्रोजैक्ट्स अप्रूव किये हैं, उन 12 प्रोजैक्ट्स में से 4 प्रोजैक्ट्स मध्य प्रदेश के हैं, जो माननीय सदस्य ने बोले हैं, वे 12 में से हम लोगों ने आलरेडी अप्रूव कर दिये हैं।

श्री दारा सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे भारत को स्लम मुक्त कराने का आपका जो संकल्प और सोच है, खासकर उत्तर प्रदेश के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन सबसे पिछड़ा इलाका भी है। वहां के 72 जिलों में महज 18 जिलों को लिया गया है और 54 जिलों में खासकर पूर्वांचल, जो सबसे पिछड़ा इलाका है, उसमें लगभग 22 जिले आज भी सबसे पिछड़े जिले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके लिए आपने प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव मांगा है और यदि प्रस्ताव नहीं आया है तो उसका क्या कारण है?

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के तीन जिले रामपुर, कन्नौज और इटावा आज पूरे प्रदेश में वीआईपी जिले माने जाते हैं। बिजली उन्हें चाहिए और अन्य सुविधाएं भी उन्हें चाहिए, आवास योजना में भी वे ही शामिल किये जायेंगे। क्या आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस आदि जिलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा। क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्वांचल के जो छोटे जिले हैं, उन्हें मांगेंगे और मेरा अगला सवाल यह है...

अध्यक्ष महोदया : आप कितने सवाल पूछेंगे?

श्री दारा सिंह चौहान : माननीय मंत्री जी, राजीव गांधी के नाम से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने प्रश्न पूछ लिया।

श्री दारा सिंह चौहान : उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, आप अगर भारत को स्लम मुक्त कराना चाहते हैं तो लोकप्रिय कांशीराम आवास योजना में तीन लाख रुपये में दो कमरे, लैटरिन और बाथरूम के साथ उत्तर प्रदेश की बीएसपी सरकार ने बनाये थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूरे भारत को स्लम मुक्त कराने के लिए मॉडल कांशीराम लोकप्रिय योजना को लागू करने का विचार है?

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब बहुत हो गया, वह बैठ गये हैं।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record. All this will not go on record.

*(Interruptions)** …

श्री अजय माकन : माननीय अध्यक्षा महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा कि राजीव आवास योजना का जो फ़ेस-2 हम लोग ले रहे हैं उसमें कोई भी शहर उसके अंदर नहीं छूटेगा। हम लोगों ने कहा है कि पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर इसमें ऑटोमैटिकली आएंगे। इसके अलावा राज्य सरकारें चाहें तो वे पूरे के पूरे शहर का स्लम इरैडिकेशन, स्लम रीहैबिलिटेशन प्लान बना कर हमें भेजें। वे उसका पैसा हमसे ले सकते हैं।

मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से और जानकारी देना चाहता हूँ। मुझे यह नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में उस स्कीम का क्या नाम दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 1 लाख 15 हज़ार 616 मकान बनाने के लिए राज्य सरकार को पैसे दिए हैं। केंद्र सरकार ने कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 हज़ार 678 करोड़ रूपये मंजूर की है। इसके अंदर राज्य सरकारों को पैसा दिया गया है। …(व्यवधान) पिछले पांच वर्ष के अंदर केंद्र सरकार ने यह किया है।…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)** …

श्री अजय माकन : उत्तर प्रदेश सरकार 1 लाख 15 हजार 616 मकान में से, जिसकी हम लोगों ने स्वीकृति दी है, जिसके प्रोजेक्ट कॉस्ट हम लोगों ने अप्रूव की है, उसमें से मात्र 41 हजार 900 मकान ही बना पाए हैं।

---

* Not recorded.

डॉ. संजीव गणेश नाईक : महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में मेरे क्षेत्र से ठाणे शहर का प्रस्ताव आपने लिया है। मैं जानना चाहूंगा कि उसमें जो झुग्गी वाला रहेगा, उसको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी जगह मिलेगी? इस स्कीम की कट-ऑफ डेट क्या होगी? क्योंकि हमारे यहां एसआरएस स्कीम चल रही है, वाल्मिकी-अंबेडकर आवास योजना चल रही है। अलग-अलग योजना में अलग जगह है, अलग कट-ऑफ डेट है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इन दो चीजों के बारे में क्या कर रही है?

श्री अजय माकन : माननीय अध्यक्ष महोदया, ईडब्ल्यूएस स्कीम के लिए हम लोगों ने जो कार्पेट एरिया प्रिस्क्राइब किया है, वह 21 स्क्वेयर मीटर से लेकर 27 स्क्वेयर मीटर तक का है। इसको खत्म करने के लिए दो वर्ष का समय सन् 2014 तक का दिया है।

श्री पन्ना लाल पुनिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया है। निःसंदेह यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया है। जो मेरी आशंका थी कि छोटे नगरों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, उसके बारे में भी इन्होंने घोषणा की है। मैं इस बात के लिए इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। छोटे नगर, खास तौर से बाराबंकी, जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहां जमीन भी उपलब्ध है, ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास आवास नहीं है, राजीव गांधी आवास योजना जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन छोटे शहारों में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी किया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान में नगरों का कोई सर्वे कराया गया है, जिसके आधार पर कोई आकलन हो कि ऐसे कितने बेघर और आवासहीन लोग हैं, जिनको आवास देने की आवश्यकता है? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इन बेघर लोगों को कितने दिनों में आवास उपलबध कराने की कोई योजना या आकलन है?

श्री अजय माकन : महोदया, मैं माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूँ कि प्रो. अमिताभ कुंडु के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें पूरे देश में हाउसिंग शॉर्टेज़ का आकलन किया गया था। पूरे देश में 18.78 मिलियन हाउसेज़ की शॉर्टेज़ आंकी गई, जिसमें से प्वाइंट 53 मिलियन यानि 5 लाख 30 हज़ार होमलेस हैं। इसके अंदर प्वाइंट 99 मिलियन यानी 9 लाख 90 हजार के करीब ऐसे हैं, जोकि बहुत ही कच्चे घरों, स्लम लाइक कंडीशंस के अंदर रहते हैं। इसके अंदर ज्यादातर वे हैं, जोकि कंजेशन में रहते हैं, 14.99 मिलियन ऐसे हाउसेज हैं, जोकि कंजेशन में रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी फैमिली है और उन्हें छोटे इलाकों में रहना पड़ता है। बाकी 80 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं, जिन्हें ऑब्सेलेंस कहा जाता है, उसकी वजह से हाउसिंग शॉर्टेज है, जो पुराने मकान हैं, उसकी वजह से है। ये पांच कैटेगरीज के अंदर

अलग-अलग बनाये गये हैं। हम लोगों ने हाउसिंग शॉर्टेज को टैकल करने की जो योजना बनायी है, उसमें न केवल स्लम्स को वहीं पर रीहैबिलिटेट करने की बल्कि होमलेस लोगों को शेल्टर देने के लिए भी हम लोगों ने एनयूएलएम स्कीम, जो नेशनल अर्बन लाइवलिहुड मिशन है, उसके अंदर हम कर रहे हैं। बेशक यह इस प्रश्न का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नेशनल अर्बन लाइवलिहुड मिशन के अंदर हम होमलेस लोगों के लिए शेल्टर होम बनाने का प्रावधान भी रख रहे हैं।

श्री महाबल मिश्रा : महोदया, हम लोगों को भी इस पर प्रश्न पूछना था। इस पर बहुत लोगों ने हाथ उठाया था।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, आप इस पर चर्चा करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप लोग नोटिस दीजिए, हम चर्चा करा देते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दीजिए, हम इस पर चर्चा करायेंगे।

(Q. 144)

श्री मोहम्मद असरारुल हक़ : क्या कृषि मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों में कृषि के विकास हेतु विशेष योजनाएं बनाई हैं?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग ऐसा मत कीजिए, उन्हें प्रश्न पूछने का मौका दीजिए। वे हमारे सम्मानित सदस्य हैं और हमारे वरिष्ठ सदस्य भी हैं।

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): माननीय सदस्य ने जिन राज्यों का यहां जिक्र किया है, इन राज्यों के साथ-साथ बाकी सभी राज्यों के लिए कृषि मंत्रालय की बहुत सारी स्कीम्स हैं। मगर पिछले कई सालों से अपने देश में खास तौर पर वीट एंड राइस का जो उत्पादन होता है, उसके लिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यू.पी. के ऊपर हम निर्भर करते हैं। वहां ओवर एक्सप्लाइटेशन हो गया, जमीन के पानी का लेवल नीचे जा रहा है और स्वाइल सेक्टर पर बुरा असर हो रहा है। इसलिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार को कॉन्फीडेंस में लेकर हम सोच रहे हैं कि वहां कोई दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न दें, मगर साथ-साथ देश की जो राइस की आवश्यकता है, वह पूरी करने के लिए मेन राज्यों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे देश में ईस्टर्न इंडिया में बिहार, ईस्टर्न यूपी, वैस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और असम राज्यों में प्रति हैक्टेयर प्रोडक्शन कम था, मगर वहाँ पानी बहुत है और पोटैन्शियल बहुत है। इसलिए पंजाब या हरियाणा का धान का क्षेत्र कम करना हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए ईस्टर्न इंडिया के इन राज्यों में ज्यादा ध्यान उपजाने की आवश्यकता है। इसीलिए *सैकैन्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया* नाम की स्कीम 2009-10 के बजट में फाइनैन्स मिनिस्टर साहब ने अनाउंस की और पहले साल के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया। इससे इन राज्यों में अच्छी क्वालिटी का सीड, फर्टिलाइज़र की समय पर सप्लाई, नाबार्ड की मदद से वहाँ ज्यादा क्रैडिट लेने की कोशिश, बिजली विभाग से बिजली मिलने के लिए खास तौर पर कोशिश, पानी की व्यवस्था ठीक हो इस पर ध्यान दिया गया और इन सब कामों के लिए यह राशि वहाँ खर्च करने की तैयारी की गई। इस साल के बजट में 400 करोड़ रुपये का जो अमाउंट ईस्टर्न इंडिया के लिए था, वह 1000 करोड़ रुपये का किया। मुझे सदन को बताने में खुशी है कि यह जो कार्यक्रम हाथ में लिया, इससे इन राज्यों में प्रति हैक्टेयर प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ी और देश की कृषि में अच्छी तरह से चावल की सप्लाई करने के लिए ये राज्य आगे आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया : दूसरा सप्लीमैंट्री पूछिये।

श्री मोहम्मद असरारुल हक़ : माननीय मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ।

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR :Thank you Hon'ble Madam, Through you, I would like to draw the kind attention of the hon. Minister. In his reply, he himself said that the production of food grains has been adversely affected in the Eastern States and he himself mentioned the name of West Bengal also. We know that the farmers are able to produce less amounts of food grains. The hon. Minister mentioned about water. But high rise in the prices of fertilizers including imported urea, is adversely affecting food grains production. So, I would like to know from the hon. Minister through you, Madam, whether the Government is thinking of increasing subsidy on fertilizers to the poor farmers so that the food grains production is not adversely affected in the country.

SHRI SHARAD PAWAR : Last year, the total food grains produced by the Indian farming community was highest in the last sixty years. We have produced 257 million tonnes and this year also, for kharif, whatever rice has been procured, that is more than last year. So, about production, there is no problem. This is true that the price of fertilizer is a serious issue. There are five major fertilizer producing countries in the world and they have finalized the prices at such level that every country has to buy from them. There is no choice. We have provided subsidy but there is no use to provide subsidy and that is why, the farmers have been affected. Our effort is that the farmers should use minimum chemical fertilizer and they should go in for bio-mass and other areas.

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो पूर्वी भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की योजना प्रारंभ की गई है, उसमें मैं देख रहा था कि जो फंड एलोकेशन भिन्न-भिन्न राज्यों को हुआ है, अभी प्रारंभ के तीन वर्षों में फंड एलोकेशन हुआ है। इन फंड्ज का प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन स्टेट गवर्नमैंट्स के द्वारा हुआ है या नहीं, उसकी मॉनीटरिंग की सरकार के पास क्या व्यवस्था है? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि यह योजना प्रारंभ करने के बाद राइस की प्रोडक्टिविटी में कितनी वृद्धि हुई है?

SHRI SHARAD PAWAR: I have written to all the Chief Ministers from all the States that they should take personal interest. I have written to all Members of Parliament from these areas that they should take personal interest and they should see as to what exactly happened in their constituencies. The Food Corporation of India has been requested to set up additional procurement centres. As I said, the Department of Fertilizers and NABARD have also been assigned with some specific jobs. We have one Central Rice Research Institute which is located in Cuttack. We have deputed this Institute to coordinate the entire work. In every district, we have appointed one scientist from all our Research Institutes and State Government offices. Both the scientist and the Extension Officer of the State Government are looking after the individual States. About the productivity, I have got the figures and I can tell you that. For instance, Chhattisgarh, in 2009-10, the yield was 1,120 kilograms.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, you can send the rest of the details to the hon. Member. The Question Hour is over.

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7592 /15/12)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7593 /15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7594 /15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF COAL (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) Review by the Government of the working of the Neyveli Lignite Corporation Limited, Chennai, for the year 2011-2012.

(2) Annual Report of the Neyveli Lignite Corporation Limited, Chennai, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7595 /15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STEEL (SHRI BENI PRASAD VERMA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) (i) Review by the Government of the working of the MOIL Limited, Nagpur, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the MOIL Limited, Nagpur, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7596 /15/12)

(2) (i) Review by the Government of the working of the Bisra Stone Lime Company Limited, Kolkata, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Bisra Stone Lime Company Limited, Kolkata, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7597 /15/12)

(3) (i) Review by the Government of the working of the Eastern Investments Limited, Kolkata, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Eastern Investments Limited, Kolkata, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7598 /15/12)

(4) (i) Review by the Government of the working of the KIOCL Limited, Bangalore, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the KIOCL Limited, Bangalore, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7599 /15/12)

(5) (i) Review by the Government of the working of the MSTC Limited, Kolkata, alongwith its subsidiary for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the MSTC Limited, Kolkata, alongwith its subsidiary for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7600 /15/12)

(6) (i) Review by the Government of the working of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7601 /15/12)

(7) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Steelworks Construction Limited, Kolkata, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Hindustan Steelworks Construction Limited, Kolkata, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7602 /15/12)

(8) (i) Review by the Government of the working of the NMDC Limited, Hyderabad, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the NMDC Limited, Hyderabad, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7603/15/12)

(9) (i) Review by the Government of the working of the Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7604 /15/12)

(10) (i) Review by the Government of the working of the MECON Limited, Ranchi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the MECON Limited, Ranchi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7605 /15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CULTURE (SHRIMATI CHANDRESH KUMARI): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 7606 /15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): I beg to lay on the Table :-

(1) A copy of the Warehousing Development and Regulatory Authority (Maintenance of Records and Accounts of warehousing business) Regulations, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 709(E) in Gazette of India dated 21st September, 2012 under Section 52 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007.

(Placed in Library, See No. LT 7607 /15/12)

(2) A copy of the Legal Metrology (General) Amendment Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 668(E) in Gazette of India dated 4th September, 2012 under sub-section (4) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 7608/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI JITENDRA SINGH): I beg to lay on the Table :-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7609 /15/12)

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(Placed in Library, See No. LT 7610 /15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI MANISH TEWARI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No LT 7611. /15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): I beg to lay on the Table a copy of the New Delhi Municipal Council (Quorum in the Meetings of the Council) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 658(E) in Gazette of India dated 30th August, 2012 under sub-section(2) of Section 386 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994.

(Placed in Library, See No. LT 7612 /15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI D. PURANDESWARI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tobacco Board, Guntur, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tobacco Board, Guntur, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7613 /15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI D. NAPOLEON): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 7614 /15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DR. S. JAGATHRAKSHAKAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore, for the year 2011-2012, alongwith audited Accounts.

(2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore, for

the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7615/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI SARVEY SATYANARAYANA): On behalf of my colleague Shri Tusharbhai Chaudhary, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988:-

(1) The Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R. 103(E) in Gazette of India dated 23rd February, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7616 /15/12)

(2) The Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R. 515(E) in Gazette of India dated 29th June, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7617/15/12)

(3) The Central Motor Vehicles (2nd Amendment) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R. 586(E) in Gazette of India dated 25th July, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7618 /15/12)

(4) The Central Motor Vehicles (3rd Amendment) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R. 625(E) in Gazette of India dated 8th August, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7619/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI KODIKKUNNIL SURESH): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952:-

(1) The Employees' Provident Funds (Fourth Amendment) Scheme, 2012 published in Notification No. G.S.R. 744(E) in Gazette of India dated 5th October, 2012.

(2) The Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2012 published in Notification No. G.S.R. 745(E) in Gazette of India dated 5th October, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7620/15/12)

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)[*] …

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARIQ ANWAR): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section(3) of Section 3 of the Agricultural Produce Grading and Marking Act, 1937:-

(i) The Saffron Grading and Marking Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R. 771(E) in Gazette of India dated 18th October, 2012.

(ii) The Spices Grading and Marking Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R. 711(E) in Gazette of India dated 24th September, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7621 /15/12)

(2) A copy of Notification No. S.O. 2013(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 31st August, 2012, making certain amendments in Notification No. S.O. 258(E) dated 10th February, 2012 under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT 7622 /15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Small

---

[*] Not recorded.

Farmers' Agribusiness Consortium, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Small Farmers' Agribusiness Consortium, New Delhi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7623 /15/12)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Federation of Co-operative Spinning Mills Limited, Mumbai, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Federation of Co-operative Spinning Mills Limited, Mumbai, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7624 /15/12)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Federation of State Cooperative Banks Limited, Navi Mumbai, for the year 2011-2012.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Federation of State Cooperative Banks Limited, Navi Mumbai, for the year 2011-2012, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Federation of State Cooperative Banks Limited, Navi Mumbai, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7625 /15/12)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Cooperative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Limited, Navi Mumbai, for the year 2011-2012.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Cooperative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Limited, Navi Mumbai, for the year 2011-2012, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Cooperative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Limited, Navi Mumbai, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7626/15/12)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Jaipur, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7627 /15/12)

(8) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Jammu and Kashmir Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation Limited for the years 1994-1995 to 2011-2012 within the stipulated period of nine months after the close of the respective accounting years.

(Placed in Library, See No. LT 7628 /15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI P. BALRAM NAIK): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Babu

Jagjivan Ram National Foundation, New Delhi, for the years 2007-2008 & 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Babu Jagjivan Ram National Foundation, New Delhi, for the years 2007-2008 & 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 7629 /15/12)

12.05 hrs

COMMITTEE ON PETITIONS
22nd and 23rd Reports

SHRI ANANT GANGARAM GEETE (RAIGAD): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Petitions: -

(1) Twenty-second Report on the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Twelfth Report (15th Lok Sabha) on the representation signed by Shri Gurudas Das Gupta, MP, Lok Sabha regarding : Delay in construction of a bridge over the river Rupnarayan on NH-6 in West Bengal.

(2) Twenty-third Report on the representation received from Shri S.C. Rastogi and others regarding : Opening up of a CGHS Dispensary in Rajendra Nagar, Sahibabad, U.P.

… (*Interruptions*)

12.05 ¼ hrs

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
28th Report

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I beg to present the Twenty-eighth Report (English and Hindi versions) of the Committee on Subordinate Legislation.

… (*Interruptions*)

12.05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
103rd to 106th Reports

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): I beg to to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce:-

(1) 103rd Report on Action Taken by Government on 98th Report of the Committee on Export of Foodgrains-Premium Non-Basmati Rice and Wheat.

(2) 104th Report on Action Taken by Government on 99th Report of the Committee on "Export Promotion of Agricultural and Processed Food Products.

(3) 105th Report on Action Taken by Government on 100th Report of the Committee on Demands for Grants (2012-13) pertaining to Department of Commerce.

(4) 106th Report on Action Taken by Government on 101st Report of the Committee on Demands for Grants (2012-13) pertaining to Department of Industrial Policy and Promotion.

… (*Interruptions*)

12.05 ¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
181st to 187th Reports

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): I beg to to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

(1) One Hundred Eighty-first Report on "Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee contained in its One Hundred Sixty-eighth Report on Directorate General of Civil Aviation (DGCA)-Issues and Challenges".

(2) One Hundred Eighty-second Report on "Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee contained in its One Hundred Sixty-ninth Report on Helicopter Operations in India".

(3) One Hundred Eighty-third Report on "Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee contained in its One Hundred Seventy-seventh Report on the Demands for Grants of Ministry of Shipping 2012-13)".

(4) One Hundred Eighty-fourth Report on "Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee contained in its One Hundred Seventy-sixth Report on the Demands for Grants of Ministry of Tourism (2012-13)".

(5) One Hundred Eighty-fifth Report on "Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee contained in its One Hundred Seventy-fourth Report on the Demands for Grants of Ministry of Civil Aviation (2012-13)".

(6) One Hundred Eighty-sixth Report on "Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee contained in its One

Hundred Seventy-fifth Report on the Demands for Grants of Ministry of Culture (2012-13).

(7) One Hundred Eighty-seventh Report on "Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee contained in its One Hundred Seventy-eighth Report on the Demands for Grants of Ministry of Road Transport & Highways (2012-13)".

… (*Interruptions*)

12.06 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 26th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2012-13), pertaining to the Ministry of Steel. [*]

THE MINISTER OF STEEL (SHRI BENI PRASAD VERMA): Madam, I beg to lay the statement on status of implementation of the recommendations contained in the Twenty-Sixth Report of the Standing Committee on Coal and Steel (Fifteenth Lok Sabha) in pursuance of the direction 73-A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin -- Part II dated the 1st September, 2004.

The aforesaid Twenty-Sixth Report was presented to the Lok Sabha and Laid in Rajya Sabha on the 8th May, 2012. The Report relates to the examination of Demands for Grants of the Ministry of Steel for the year 2011-2012.

The Committee in the said report has made a total of Twenty-Two recommendations on aims, objectives and achievements of the Ministry indicating the points where action is called for on the part of the Government.

The Action Taken Statement on the recommendations/observations contained in the Report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Coal and Steel on 26th September, 2012.

---

[*] Laid on the Table and also placed in Library. See No LT 7630/15/12

The present status of implementation of various recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure of the Statement, which is hereby laid on the table of the Lok Sabha. I would not like to take the valuable time of the House in reading out ail the contents given in the Annexure. I would request that this may be considered as read in the House.

12.06 ½ hrs

MOTION RE: FORTY-SECOND REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KAMAL NATH): Madam, I beg to move:

> "That this House do agree with the Forty-second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 30th November, 2012."

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Forty-second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 30th November, 2012."

The motion was adopted.

12.07 hrs

CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL,2012*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: I introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12:30 pm.

12.08 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 04.12.2012

12.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please sit down. The House shall now take up 'Zero Hour' matters.

Shri S. Alagiri -- Not present.

Shri Rudramadhab Ray.

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): The Paradeep Port Trust and Public Sector Undertakings like National Aluminium Company Ltd.(NALCO), Mahanadi Coalfields Ltd., Bharat Petroleum Corporation Ltd., Indian Oil Ltd., have declined to invest their surplus funds with the Odisha State Cooperative Bank and its affiliated District Central Cooperative Bank because of the restrictive directive issued by the Government of India to keep the funds only in the nationalized banks. In this connection, it may be mentioned here that Odisha State Cooperative Bank is a scheduled Bank under the Reserve Bank of India Act, 1934 and enjoys a similar status at par with the nationalized banks. Besides, the bank has been one of the most successful organizations in the cooperative sector and making profits since its inception in 1948. Keeping in view the track record of the bank in various financial parameters and its contribution to dispense 70 per cent of the total crop loans in advance to the States, the prohibitory orders for the PSUs not to invest the surplus funds in the bank should be lifted.

Besides, the oil sector PSUs are not accepting the negotiable instruments like cheques and drafts issued by the customers for which the dealers of the petroleum companies have been withdrawing their relationship with the cooperative banks. When the Government is attaching utmost importance to the rural sector of the economy and have announced doubling the flow of agricultural

credit within three years, the differential treatment mooted by the Government Departments and the PSUs should be dispensed with by issue of orders by the concerned Government Departments.

SHRI M. VENUGOPALA REDDY (NARASARAOPET): I would like to bring to the notice of the august House, the ridiculous attitude of the National Insurance Company, denying payment of compensation to 1500 chilli growers in Guntur district.

The farmers have stored the chilly in two cold storages in Guntur, Andhra Pradesh, to the tune of about 85,000 bags. Unfortunately, the above cold storages had caught fire wherein the entire stock was burnt. The stocks were insured for Rs. 60 crore approximately with the National Insurance Company and the Oriental Insurance Company. The Oriental insurance Company has fully paid the compensation, whereas the National Insurance Company has paid only Rs. 4 crore.

I therefore request the hon. Union Ministers for Agriculture and for Finance, through the Chair, to kindly intervene in the matter and redress the grievance of the innocent and illiterate farmers by directing the National Insurance Company to pay the compensation which is overdue, and also to exert pressure on the State Government to see that the payments are made urgently.

श्री सज्जन वर्मा (देवास): माननीय सभापति महोदय, मेरा शून्य काल का विषय विधवा महिलाओं से संबंधित है। भारत में आज भी विधवा महिलाएं अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी कठिन परिस्थितियां हैं। जब हम लोग गांवों में दौरे पर जाते हैं तो सैंकड़ों की संख्या में विधवा महिलाएं हमारे सामने आती हैं। विधवाओं के संदर्भ में भारतीय समाज आज भी संकीर्ण मानसिकता से उभर नहीं पाया है। विधवा शब्द ही अपने आप में वेदना का पर्याय परिलक्षित होता है। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुझ रही इन महिलाओं के लिए कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में जब-तब सड़कों पर आंदोलन करके केन्द्र का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश लगातार की जा रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन विधवा महिलाओं को राज्य सहायता के रूप में 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रतिमाह विधवा पेंशन के रूप में यह राशि दी जाये और इसमें किसी प्रकार की भी जाति और

उम्र का बंधन न हो। इसमें कोई जाति और उम्र का बंधन नहीं होना चाहिए। साथ ही इतनी ही राशि सम्बन्धित राज्य सरकार से भी दिलवाने के लिए कोई नियम पुनरीक्षित किया जाये, यह मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है।

MR. CHAIRMAN: The names of the following Members may be associated with the matter raised by Shri Sajjan Singh Verma:

1. Shri Virendra Kumar
2. Dr. Vinay Kumar Pandey
3. Shrimati Jyoti Dhurve
4. Shri Arjun Ram Meghwal
5. Shri Ravindra Kumar Pandey
6. Shri Mahndrasinh P. Chauhan
7. Shri Shivkumar Udasi
8. Shri Devji M. Patel
9. Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi
10. Shri P.L. Punia

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Respected Chairman, I would like to draw the attention of this hon. House to a very serious issue that is looming large not only in my constituency Wayanad but spread all over India. The issue relates to the man-animal conflict.

People are moving towards forests because of the explosion in the density of population and the wild animals like tiger, elephant, monkey, deer and wild goat are stepping into the domestic areas and attacking the paddy field, plantation and even human beings. About three weeks back, an incident took place in my constituency. Two tigers were let loose. One tiger attacked cows and sheep. It was caught, caged and then shifted to the forest. About three weeks back another tiger came out of the forest and began killing domestic animals. Cows and sheep were killed. A special task force was constituted to hunt it down. Tranquilizers were fired but it did not make any effect to the tiger. It began to attack the people. At last it was killed. The question is whose life is more important. Is the life of a tiger, elephant or wild animal important or life of a human being is more important? Something has to be done. A permanent solution has to be found out

by the Central Government. The State Government cannot do all these things. Deep trenches should be made. Big wall and fencing should be made. The situation has reached to such an extent that the conflict between man and animal is becoming larger and larger and people are becoming inimical to them. People want that such animals should be shot dead. But we have to preserve the animal life and forest life. So, the Central Government should take all the precautions and evolve a permanent solution so that these animals should not come to the domestic areas.

MR. CHAIRMAN: Shri M.B. Rajesh and Shri P.K. Biju are allowed to associate with the matter raised by Shri M.I. Shanavas.

*SHRI P. LINGAM (TENKASI): Hon'ble Chairman Sir, I would like to draw the attention of the House towards certain issues in Southern Railway. Sir, Southern Railway yields more revenue to the Indian Railways. In particular, Madurai Division yields a considerable amount of revenue to the Southern Railway. Rajapalayam railway station comes under the jurisdiction of Madurai Division. Rajapalayam is in my constituency. The Indian Railways have announced that Rajapalayam railway station will be upgraded to a model railway station. Sir, many amenities have to be provided in a model railway station. Particularly, there has to be a facility of rest room. Platform facilities have to be upgraded. If such facilities are provided, then it is acceptable to call it a model railway station. But, on the contrary, no such amenities are available in Rajapalayam railway station. More than two thousand two hundred and fifty passengers make use of the station everyday. But, there is no proper platform facility. The platforms are not adequately long. Many coaches have to be boarded from outside the platform. The passengers have to bring ladders from their homes to board the train. There is no proper roof. There is no electric light. Nowadays, there is huge power crisis in Tamil Nadu. Therefore, passengers have to board the train in darkness. They have

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

to depend upon the lights that are present in the trains. Moreover, only one platform is utilized by the passengers.

Another platform is also available which has neither a roof nor other amenities needed for a railway platform. It is not fit to be used. Moreover, proper basic amenities are absent at the platform. Sir, therefore, I request through this House that the Indian Railways which has announced the Rajapalayam railway station as a model station, have to take effective steps to provide basic amenities at the station and to upgrade the infrastructure of the station.

SHRI S. ALAGIRI (CUDDALORE): Sir, in Tamil Nadu, Cuddalore is the district headquarters but in Cuddalore Junction, there is no stoppage of the prestigious trains like Thiruchendhur Train. Its number is 16735 and 16736. This is a port junction. There are three small ports there. It has 159 acres of land and 95 railway quarters along with big parking areas. But there is no stoppage of the Thiruchendhur Train. So many major companies like SIPCOT industries, Chemplast, Sanmer, Shasun Chemicals, Tanfac, Nagarjuna Oil Corporation, Loyal Super Fabrics, Good Earth Shipping Company, ILFS, BGR Thermal Power Station etc. are located there. But there is no stoppage for so many trains.

So, we want Thiruchendhur Train to stop at Cuddalore Junction and at Panruti. This is our major request.

In Southern Railway, there is no GM. The Southern Railway is running without a GM. We are not able to contact any higher officials. If we talk to the Divisional Manager, he requests us to talk to the General Manager but there is no General Manager. The General Manager is in Bengaluru and he is in charge of Southern Railway. So, the Ministry of Railways should take care of Southern Railway. If MPs approach officials for any clarification, they are not able to reply.

Therefore, I would request the hon. Chair to instruct the Railway Minister to consider the Southern Railway as a part of their Railways. So, they should immediately appoint one General Manager. This is my request.

MR. CHAIRMAN: Shri P.L. Punia is allowed to associate himself with the matter raised by Shri S. Alagiri.

Shri Majumder, you can continue later. I will give you chance after some time.

SHRI LAXMAN TUDU (MAYURBHANJ): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak in this august House.

Sir, I would like to express the views of the people of my constituency regarding the demand of making available a minimum of 1500 acres of suitable

land by the Ministry of Steel for setting up green-field steel plant project by SAIL in my parliamentary constituency, Mayurbhanj, Odisha. I would like to say in this regard that it will not be a barrier as it is the largest district in Odisha and every family is ready to donate a piece of their land for the sake of the nation.

Sir, I would also like to mention that the hon. Minister of Steel himself had agreed and rightly stated in his reply to my Unstarred Question No. 2773 that there is a huge deposit of about 25,803 million tonnes of high grade iron ore in Bamanghati Taluka of my parliamentary constituency, Mayurbhanj. I must not forget to add that for transportation of raw materials, the NH 18 and NH 49 and another NH, namely, Ranchi –Vijaywada are passing through the heart of my district. Moreover, railway tracks connecting places, namely, Rupsa-Bangriposi, Tata – Badampahad and new connection Buramara-Chakulia to Tata-Kharagpur are anxiously waiting for SAIL to facilitate connection with Dhamara, Paradeep and Haldia Port.

Sir, considering the availability of all suitable requirements for setting up of a steel plant, I would like to request the hon. Minister of Steel, through you, to plan and set up a green-field steel plant in my district. I am also confident and would like to assure the Government that my State Government will provide all possible help for the same.

Sir, I would like to say that this project will not only be a milestone but will also help improve the socio-economic status of tribals and backward people and generate employment for poor unemployed youths of my district.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members are allowed to associate themselves with the submission made by Shri Laxman Tudu.

1. Shri B. Mahtab
2. Dr. Prasanna Kumar Patasani
3. Shri Tathagata Satpathy

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है। विगत दिनों भारत की तेल कंपनियों ने प्रति परिवार सब्सिडी पर 6 सिलेण्डर्स देने का फैसला किया है लेकिन आज भारत की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, चाहे वह जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश हो, छः महीने फ्रीजिंग प्वाइंट पर लोगों को कुकींग और हिटिंग के लिए उस गैस के सिलेण्डर के सिवाय किसी और चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है...(व्यवधान) आज सब्सिडी पर मात्र छः सिलेण्डर्स मिलना और नॉन-सब्सिडी पर सिलेण्डर के दाम 950 रूपया है, देश के किसी भी राज्यों में 950 रूपये में यह नहीं मिल रहा है। अगर आप उसे खरीदने जाइए तो आप 1100 रूपये या 1200 रूपये दीजिए तभी वे कहेंगे कि देंगे नहीं तो वे कहेंगे कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है।...(व्यवधान) आखिर यह कौन सी बात है?... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You should be happy that he has raised this issue. Let him finish and then you can support.

श्री जगदम्बिका पाल : अधिष्ठाता महोदय, इन कंपनियों ने इस नीति को लागू करने के बाद उन्होंने कहा कि केवाईसी फॉर्म जमा करना है उसको हर माह बढ़ा रहे हैं। केवाईसी फॉर्म में यह है कि क्या उनका पता, कनेक्शन सही है या नहीं है?

आज दिल्ली हो या लखनऊ हो, छोटे शहरों में भी एक घर में चार-चार किराएदार रहते हैं और नीति यह है कि एक घर को केवल एक कनेक्शन मिलेगा। चार किराएदार जो नौकरी करते हैं एक घर में रहते हैं, अगर एक ही कनेक्शन रहेगा और तीन कनेक्शंस कट जाएंगे तो उस परिवार को गैस के सिलेण्डर्स कहां से मिलेंगे? ...(व्यवधान) बिना किसी फैसले के, बिना विचार किए हुए आखिर तेल कंपनियों ने कोई नीति बनाई तो उन्हें कोई विचार करना चाहिए था कि कन्या कुमारी से कश्मीर तक के प्रत्येक परिवारों को, चाहे मेट्रोपोलिटन सिटी हो, छोटे शहर हों या ग्रामीण अंचल हों, लोगों की निर्भरता बढ़नी चाहिए...(व्यवधान) आज प्रत्येक परिवार में एक महीने में एक सिलेण्डर खर्च होता है।...(व्यवधान) प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम 12 सिलेण्डर्स होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। ...(व्यवधान) यह देश का दर्द है। हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं। लोग कहते हैं कि इसके दाम बढ़ा दिए जाएं। इस पर कैप न किया जाए। ...(व्यवधान) जब आम व्यक्तियों के द्वारा यह बात उठती है तो कहते कि साहब, अब हमें उपलब्धता नहीं हो रही है।, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार आज इन तेल कंपनियों को निर्देशित करे कि उपलब्धता बनाए। जब से इस नई नीति की घोषणा हुई है, आज वह छः के नाम पर जो

देने की बात कर रहे हैं और जो उससे नॉन-सब्सिडी लेना चाहे उसके लिए उपलब्धता नहीं है। उन्हें ब्लैक में सिलेण्डर्स लेने पड़ रहे हैं। यह 950 रूपये में नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस पर तेल कंपनियां फिर से विचार कर लें। आप इसके दाम बढ़ा लीजिए लेकिन लोगों को उपलब्धता होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार को कम से कम एक-एक सिलेण्डर मिलनी चाहिए। यह नहीं कि एक मकान में कई किराएदार रह रहे हों तो उनमें से एक ही व्यक्ति को सिलेण्डर मिलेगा, किसी और को सिलेण्डर नहीं मिलेगा। इस तरह से कनेक्शन विच्छेदन हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर भाइयों में बंटवारा हो गया। यह कहा जाता है कि आप दो भाई हैं, आपका एक कनैक्शन था, दो कनैक्शन कैसे हो गए। एक भाई का कनैक्शन कैंसिल किया जा रहा है। लोग हमें ऐप्रोच करते हैं कि हम अलग हैं, हमारा भाई अलग है। हमारा कनैक्शन इसलिए कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि वह हमारे भाई के पास है। अगर इस तरह परिवारों के गैस कनैक्शन डिसकनैक्ट किए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें कठिनाई होगी। हम अब भी 300 से 400 रुपये तक सब्सिडी दे रहे हैं। जब हमारी सरकार सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है तो तेल कम्पनियों को सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को सिलेंडर उपलब्ध हो और नॉन-सब्सिडी सिलेंडर भी तेल कम्पनियों द्वारा निर्धारित दर पर मिलने चाहिए। मैं समझता हूं कि सिलेंडर की कैप निश्चित तौर से कठिनाई का विषय है। अगर इस पर पुनर्विचार हो सके तो मैं आभारी होऊंगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri P.K. Biju, Shri M.B. Rajesh, Dr. Anup Kumar Saha, Shrimati Susmita Bauri, Shri Pulin Bihari Baske, Dr. Tarun Mandal, Shrimati Putul Kumari, Shri Virendra Kumar, Shri Ashok Argal, Shri Shivarama Gouda, Shri Ramesh Vishwanath Katti, Shri Udasi Shivkumar Chanabasappa, Shri Rajendra Agrawal, Shri Devji M. Patel, Shri Mahendrasinh Chauhan, Shrimati Jyoti Dhurve, Shri Ravindra Kumar Pandey, Shri P.L. Punia, Dr. Vinay Kumar Pandey "Vinnu", Shri Kirti Azad, Dr. Mirza Mehboob Beg, (Dr.) Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi, Shri Madan Lal Sharma, Shri Bapi Raju Kanumuru and Shri Ganesh Singh are allowed to associate with the matter raised by Shri Jagdambika Pal.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में आजादी के पश्चात् से सरकारी कर्मचारियों, रिटायर्ड गवर्नमैंट सर्वेंट्स कैंसर, हार्ट, किडनी आदि से मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि हमारे पास अस्पताल और स्पैशलिस्ट्स नहीं थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तब एक स्कीम बनी और अंडमान-निकोबार के सरकारी कर्मचारियों को बैनीफिट मिलना

शुरू हुआ। आज दिल्ली में आईएएस, आईपीएस आदि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमैंट के बाद स्पैशलिस्ट ट्रीटमैंट के लिए फैसीलिटी मिलती है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, वह भी दिल्ली गवर्नमैंट की तरह सैंट्रल गवर्नमैंट इम्प्लाई है। इसलिए मैंने मई, 2010 को इसी पार्लियामेंट में नियम 377 के तहत मांग की कि गोवा गवर्नमैंट द्वारा 1989 में जो कानून बनाया गया था, उसी तरह अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जो रिटायर्ड गवर्नमैंट सर्वेंट्स हैं और जिन लोगों की सालाना कमाई 3 लाख रुपये से कम है, ऐसे लोगों को स्पैशलिस्ट्स ट्रीटमैंट मिले। इस योजना का नाम मैडिक्लेम स्कीम है। इसी तरह अंडमान द्वीप समूह के 3 लाख रुपये सालाना की इनकम के नीचे द्वीपवासियों को तथा रिटायर्ड गवर्नमैंट सर्वेंट्स को पांच लाख रुपये सालाना इलाज का बैनीफिट मेनलैंड चेन्नई और कोलकाता में इलाज करने के लिए मिलेगा, यह स्कीम बनी और फाइल चलती रही। वर्ष 2010 में मैंने संसद में इस मुद्दे को रेज़ किया था। मैंने मांग की थी कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का सालाना बजट 3200 करोड़ रुपये है जिसके अनुसार साल में एक आदमी पर 80 हजार रुपये का खर्च बैठता है और इस स्कीम के लिए केवल 15-20 करोड़ रुपये ही खर्च होंगे। मैंने वर्ष 2010 में मांग की, 2011 में टैक्नीकल बिड खोली गई, कमर्शियल बिड खोली गई और छः महीने बाद फरवरी, 2012 आ गया। आज तक इस स्कीम की फाइल मूवमैंट में है। मेरी सरकार से मांग है, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि प्रशासन अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में लाभार्थी के बीच में ब्रिटिश की तरह डिवाइस एंड रूल कर रहा है । द्वीप समूह के लोगों के नाम पर प्री 42, सैटलर और नान-सैटलर के आधार पर बहुत लाभार्थी को छोड़ने जा रहा है।

हमारी मांग है कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जितने भी लोग हैं, जिनकी सालाना कमाई 3 लाख रुपये से नीचे है, जिन्होंने पंचायत और पार्लियामेंट में वोट दिया है, उन द्वीपवासियों तथा रिटायर्ड गवर्नमैंट सर्वेंट्स के लिए यह स्कीम लाकर तुरंत इम्प्लीमैंट करें, क्योंकि राज्य हर साल रुपया सरैंडर कर रहे हैं। मैं कांग्रेस सरकार से मांग करूंगा कि अंडमान-निकोबार में एक्सप्रैस ट्रेन की तरह इस स्कीम को जल्दी इम्प्लीमैंट किया जाए।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पिछले 16 दिनों से बांकुर जिले के संसद सदस्य श्री बाबूलाल मरांडी, जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, धरने पर बैठे हैं। एक पैन-ऐम नाम की कम्पनी है जो वहां के गरीब आदिवासी लोगों को विस्थापित करके तंग कर रही है। पिछले 16 दिनों से राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। पैन-ऐम कम्पनी

मिनरल डैवलपमैंट कार्पोरेशन के साथ ज्वाइंट वैंचर के तहत सांठ-गांठ करके रोज चार करोड़ के कोयले की चोरी कर रही है।

इसी तरह हर जगह गरीब आदिवासी लोगों को तंग किया जा रहा है। झारखंड में सोलह दिनों से रेल को रोका जा रहा है। वहां कोयला नहीं निकल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पैन-ऐम कम्पनी के पदाधिकारी, राज्य सरकार के पदाधिकारी और वहां के विस्थापित आदिवासी, राजमार्ग बचाओ आंदोलन की एक संघर्ष समिति थी, वहां से एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हुआ, जिसमें कम्पनी द्वारा एग्री किया गया कि वे इलैक्ट्रीसिटी, बिजली, स्कूल वगैरह की व्यवस्था गरीब लोगों के लिए करेंगे। कोयला तो निकलता गया, लेकिन अभी तक एक ईंट भी उस कम्पनी द्वारा नहीं लगायी गयी, यानी कोई काम नहीं हुआ। यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि वहां गरीब लोगों को हक दिलाने में सरकार की कोई इच्छा नहीं है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): आप सरकार से क्या बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Let him complete. Do not interrupt. Nothing will go on record except the statement of Shri Ajay Kumar.

(Interruptions) *...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please do not react. Nothing will go on record except Dr. Ajay Kumar's statement.

*(Interruptions)** ...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down. Do not disturb him. You will get your chance to speak. Nothing will go on record.

*(Interruptions)** ...

श्री अजय कुमार : निशिकांत दुबे जी, आप इस विषय को अलग से उठा लीजिए। ...(व्यवधान)

निशिकांत जी आप हमें बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि इस कम्पनी के खिलाफ एक जांच टीम बैठायी जाये कि किस तरह से ये गरीब लोगों को दबा रहे हैं। हमारा आपसे यह भी अनुरोध है कि इस कम्पनी का कौन्ट्रेक्ट कैंसिल किया जाये। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Shri P.L. Punia is allowed to associate with the matter raised by Shri Ajay Kumar.

श्री निशिकांत दुबे : यह बात सही है। ...(व्यवधान)

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir, all of us who are present in this august House are aware that wads of fake currency notes are being circulated in the Indian economy without any restriction. These currencies are smuggled into India from the neighbouring countries of Bangladesh, Pakistan, Nepal. The biggest problem is that the fake notes are channelized into the banking system of the country. The ATM machines too dispense those notes. The common people cannot distinguish between fake and genuine notes. The fake ones are not easily identifiable. Thus when withdraw money from ATM and take the thousand rupee or five hundred rupee notes to the market to purchase goods, we are caught unawares. At that time when fake notes are detected, we become helpless. The police arrest us or harass us. This has become a menace. Innocent people face great difficulties due to this. Therefore I think that the bank employees or the agencies handling the ATM machines are actually involved in this malpractice. This must be looked into. When currency notes are released from the Reserve Bank those should be properly checked. The agencies manning the ATMs should be kept under surveillance so that they are not able to mix fake notes with the genuine ones. If this goes on, people will lose faith in our economy which in turn will collapse. There will be complications in future if fake currencies continue to be in circulation. I request that Government of India, particularly the Ministry of Finance to be alert and take appropriate steps to curb this unholy practice. With these words, I thank you for allowing me to raise this matter of urgent public importance in this House and conclude my speech.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

MR. CHAIRMAN: Shri Janardhana Swamy, Shri P.K. Biju, Shri Udasi Shivkumar Chanabasappa and Shri Devji M. Patel are allowed to associate themselves with the issue raised by Shri Prasanta Kumar Majumdar.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। देश में गैस के कुंओं की खुदाई के नाम पर जो घोटाले हो रहे हैं, उन घोटालों पर प्रकाश डालने वाली एक विस्तृत जानकारी इस देश की एक महत्वपूर्ण वीकली ने प्रकाशित की है कि प्रदेश की सरकार का इसमें इन्वाल्वमैंट है। वे अक्सर दावा करते हैं --मी खातो न थी, अनी खावा नूं देतो न थी। इसका मतलब यह है कि मैं खाता नहीं हूं और खाने भी नहीं देता हूं।...(व्यवधान)

13.00 hrs

MR. CHAIRMAN : Only Shri Sanjay Nirupam's statement will go on record. Nothing else will go on record.

*(Interruptions)** ...

श्री संजय निरुपम : लेकिन गुजरात की सरकार ने जीएसपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन के माध्यम से केजी बेसिन में 20,000 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट बनाया और बाराबडोस, जो एक टैक्स हैवेन्स है जो फर्जी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए जानी जाने वाली जगह है, उस जगह पर रजिस्टर्ड एक फर्जी कंपनी को दस प्रतिशत का स्टेक दिया, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया। दस प्रतिशत स्टेक देने के बाद उस कंपनी को कहा गया कि आप अपना हिस्सा इसमें डालिए, उस कंपनी ने नहीं डाला। गुजरात सरकार ने स्वयं 20,000 करोड़ रुपये का जो दस प्रतिशत हिस्सा होता है - 2000 करोड़ रुपये, अपनी तरफ से डाले। वह कंपनी वन-मैन्ड कंपनी, सिंगल-मैन्ड कंपनी है, उस कंपनी से गुजरात सरकार का,...(व्यवधान) रिश्ता क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस कंपनी के साथ जो घोटाला हुआ, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। गुजरात सरकार के लोग, गुजरात सरकार और बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारा चेहरा दूध का धुला है, लेकिन यह दूध का धुला नहीं, गैस के कुएं में पूरा चेहरा काला हुआ पड़ा है। बीजेपी के ऐसे काले चेहरे की जांच होनी चाहिए। सीबीआई से जांच कराने की मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से कर रहा हूं। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Dr. Vinay Kumar Pandey is allowed to associate with the issue raised by Shri Sanjay Nirupam.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

<u>14.00 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

(Madam Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Matters Under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. The Members who have been permitted to raise Matters Under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over slips at the Table of the House within twenty minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

(i) Need to provide additional stoppages for Express trains running between Ratnagiri and Madgaon sections of the Konkan railway in Maharashtra

SHRI NILESH NARAYAN RANE (RATNAGIRI-SINDHUDURG): I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister of Railways towards the plight of the people of Maharashtra Konkan, especially the people of Ratnagiri Sindhudurg due to lack of stoppages in the high density rail traffic routes between Ratnagiri and Madgaon section of the Konkan Railways. All the trains in the Konkan Railway plying to/from Kerala, Karnataka and Goa pass through Ratnagiri Sindhudurg, but no adequate stoppages are there in this section to cater to the needs of burgeoning rail commuters.

A weekly train namely, Porbander-Kochivelli Express, which was announced by Western railways to commence its services shortly does not have halt in Ratnagiri and Madgaon section. Besides, two proposed new trains in this

* Treated as laid on the Table

year Raiwlay Budget, namely Dadar – Tirunelvely Express and Happa-Madgaon Express son Konkan Railway route surprisingly have no halts between the Ratnagiri and Madgaon section of the Maharashtra Konkan region. This has caused a huge disappointment to the people of Ratnagiri-Sindhudurg, for whom Konkan Railway is literally their lifeline.

I urge the Konkan Railway corporation to take this matter seriously and give stoppages to all Express trains running on Ratnagir-Madgaon line in the interest of the people of Konkan.

(ii)Need to accord administrative approval to start Central Nursing School sanctioned for Thrissur district at Koratty Leprosy Hospital near Chalakuddy in Thrissur district, Kerala

SHRI K. P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): The Government of India has allotted one Central Nursing School to Thrissur district in Kerala. The proposal for starting a Central Nursing School at Government Leprosy Hospital Koratty near Chalakudy in Thrissur District has been submitted to the Ministry of Health and Family Welfare through the DMO, Thrissur. The Kerala Public Works Department, Building Division, Thrissur has submitted the detailed estimate for the proposed construction of teaching block and hostel for General Nursing and Midwifery (GNM) students at Government Leprosy Hospital Koratty. However, no administrative sanction has been accorded till date from the Health Ministry. As Kerala is a state where thousands of students use to migrate to other States for their nursing studies. If the Central Nursing School at Koratty becomes a reality, it would be beneficial to the nursing students in Kerala. In most of the hospitals in India, Gulf counties and other western countries, nurses from Kerala possess a distinct place. They also bring forth a considerable amount of foreign exchange to our country. The Koratty Leprosy Hospital is now having an inpatient facility of 650 beds and is functioning in premises of 112 acres of land adjacent to NH 47.

Hence, I request that Government to take immediate steps for granting administrative sanction for starting Central Nursing School which has already sanctioned to Thrissur district at Koratty Leprosy Hospital and also to grant sufficient amount for the construction of the proposed building for the Central Nursing School as early as possible.

(iii)Need to up-grade educational standard in Engineering colleges and other Hihger educational institutions in Andhra Pradesh and other parts of the country, to minimize dropout rate

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Several Engineering colleges are facing severe hardships and are on the verge of closure across Andhra Pradesh, as students are not willing to join these colleges. Though Central Government is trying to increase the gross enrollment by introducing a new scheme called Rashtriya Ucha Shiksha Abhiyan, thousands of seats are remaining vacant.

Youngsters, especially students, have a vital role to play in nation building. Their vocational expertise must be enhanced by making programmes in collaboration with Private Vocational Engineering colleges. The AICTE is implementing the policies countrywide and giving permission to more and more vocational training colleges, but students are not able to acquire skills due to poor performance of colleges.

The Ministry of Human Resource Development must take the responsibility to make the Rastriya Uchatar Siksha Abhiyan as a key player and to ensure to make very competent and highly qualified youth with a focused manner.

The AICTE must take responsibility and take necessary changes for mushrooming of Engineering colleges and degradation of standards therein in order to attract the students for taking admissions in Engineering Colleges.

With a view to strengthen the Primary Education and Education for all, the Central Government is effectively implementing the Rajiv Madhyamik Shiksha Abhiyan to control the dropouts in High School education. In the same way, the Government should bring educational reforms on the theme of “Dropouts in Higher Education and Percentage of Attendance.”

(iv)Need to increase the credit limit of Kissan Credit Cards to Rupees five lakh

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): सरकार ने देश के किसानों को फसल बोने से काटने तक के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शार्ट टाइम एवं लोंग टाइम के आधार पर चला रखी है । इससे किसानों को बहुत सुविधा मिली है एवं साहूकारों से अधिक ब्याज से पैसा लेने की प्रवृत्ति से मुक्ति मिली है । देश में बिजली, सिंचाई, बीज एवं खाद के दाम काफी बढ़ गए हैं और किसानों की उत्पादन लागत बढ़ी है । जिसके कारण किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाली रकम का मूल्य आज के महंगाई के माहौल में कम हो गया है जिसके कारण दोबारा किसान साहूकार एवं बिचौलियों के चंगुल में फंस सकता है और इससे किसानों के फसल से मिलने वाली रकम उसकी मेहनत के हिसाब से कम होगी ।

सरकार से अनुरोध है कि देश में जो किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को धन प्राप्ति की सीमा है उसका किसानों के हित एवं देश में खाद्यान्न बढ़ाने की दृष्टि से किसान क्रेडिट कार्ड की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर पांच लाख की जाए तथा इस पर लिया जाने वाला ब्याज दर को कम किया जाए ।

(v)Need to fill vacant posts of doctors in CGHS Delhi

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): केन्द्र सरकार के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों को हैल्थ सर्विसेज मुहैया कराने के लिए शुरू की गई सी.जी.एच.एस. खुद ही बीमार हो चुकी है । इसकी वजह से दिल्ली और एन.सी.आर. में इस योजना में डॉक्टरों की भारी कमी है । इस वजह से सरकारी कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी में इलाज कराने या अपना केस रेफर कराने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं ।

दिल्ली में सी.जी.एच.एस. के तहत डॉक्टरों की 670 पोस्ट है और इनमें से 100 के लगभग पद अभी भी खाली है, कुछ नियुक्तियां देने के बाद उतने ही डॉक्टर अब रिटायर होने के कगार पर हैं । यानि हालात फिर जैसे के तैसे रहेंगे । इस स्थिति से ज्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को इलाज तथा दवाईयां लेने के लिए सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी एक बहुत बड़ी जरूरत है । कृपया सरकार इस ओर अपना ध्यानाकर्षित करें।

(vi)Need to issue a commemorative stamp in recognition of Puli Thevan, a freedom fighter of Tamil Nadu

SHRI MANICKA TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Puli Thevan was one of the earliest veteran freedom fighters and the first opponent to the British rule in Southern India. He was regarded as the first ruler in Indian history, who sowed the seed by his gallant resistance to expel foreigners from our native land. He organized all the palakkars against the Nawab and the British.

Puli Thevan, was born in a tiny village called Nelkattancheval South Tamil Nadu of Tirunelveli District. Since childhood he was very courageous and valiant by his nature and vehemently opposed the British Rule and the Nawab. During the period from 1750 to 1767, the British feared to challenge him. History reveals that his struggle against the British was much earlier to various freedom struggles including the Sepoy Mutiny of 1857.

Since independence, the Union Government has constructed memorials, placed the statue, declared holidays even issued commemorative stamps in recognition of the services rendered to the nation by many freedom fighters of the country. But, the Union Government has not done anything as tribute to the earliest veteran freedom fighter and first opponents of the British rule in South India, Puli Thevan.

The Tamil Nadu Government has built a monument in the birth place of Puli Thevan at Nerkattancheval. In order to memorise history, I appeal to the Union Government to issue a commemorative postage stamp, bearing his brilliant picture as a token of our country's respect to this remarkable hero in our history.

(vii)Need for timely release of Backward Regions Grant Fund for development of Pratapgarh district of Uttar Pradesh

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): भारत सरकार देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड के अंतर्गत राज्य सरकार को धन आवंटित करती है जिससे देश का संतुलित विकास हो सके । परंतु जो धन राज्य सरकारों को आवंटित किया जाता है उन्हें नाहक देरी के साथ रिलीज किया जाता है जिसके कारण पिछड़े क्षेत्रों का विकास समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है । मेरा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा जिला है एवं समय-समय पर बी.आर.जी.एफ. के अंतर्गत धनराशि आवंटित की गई है परंतु उसे देरी से किया जाता है । पूर्व में जो सरकार थी उस सरकार ने दो साल से ज्यादा समय में केन्द्र सरकार द्वारा रिलीज धनराशि को जारी किया था । मेरा अनुरोध है कि जो राशि पिछड़े क्षेत्र विकास के लिए जारी की जाती है उसका पर्याप्त रूप से समय पर उपयोग किया जा रहा है या नहीं, उसकी निगरानी की जारी चाहिए और स्थानीय सांसदों को बराबर सूचना दी जानी चाहिए ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि बी.आर.जी.एफ. अंतर्गत जो धनराशि पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए जारी की जाती है उसे तीन माह के अंदर जिलों को जारी कर देना चाहिए एवं समय-समय पर उसकी मॉनिटरिंग स्थानीय सांसदों के सुझावों के साथ मिलकर किया जाना चाहिए जिससे उस क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोका जा सके ।

(viii)Need to expedite setting up of Sports Authority of India (SAI) boxing training Centre at village Bapora in Bhiwani district, Haryana

SHRIMATI SHRUTI CHOUDHRY (BHIWANI-MAHENDRAGARH): An agreement for setting up of a SAI Boxing Training Centre at village Bapora, district Bhiwani, Haryana was executed between village Panchayat and Sports and Youth Affairs Department, Haryana and duly registered the Lease Deed of land measuring 10 acres and 5 kanalas for 33 years, from Tehsildar and sent to the Government of Haryana vide their letter No. Khel-C&M-2010 dated 27th January, 2010 for further necessary action. Three years have passed, but, no action has been taken. Our sportspersons have brought laurels to the Nation in the various International Games. In Commonwealth Games-2010 48- athletes from Haryana participated and among them 11 players were from Bhiwani only and out of them seven won Medals including 3 Gold Medals. In the Asian Games- 2010 Guangzhou, China, the athletes from Bhiwani made the country proud by winning 4-Gold, 1-silver and 2-Bronze medals. Two boxers and one wrestler who represented Haryana in London Olympics-2012 were from Bhiwani. In 28th Sub Junior Boxing Championship at Akola (Maharashtra), 7 boxers from Biwani participated and lifted the all over trophy by winning 5- Gold and 1- Silver Medals. In the recent World Women Championship-2012 held in Canada, 2-Girls of Bhiwani district have brought Bronze Medals. Hence, it is the need of the hour that this project may kindly be implemented at the earliest.

As such, I seek for speedy action to set up a SAI Boxing Training Centre at village Bapora, district Bhiwani, Haryana.

(ix) Need to provide jobs to the displaced persons by the Government Sector Companies in Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): भारत सरकार के उपक्रमों सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल, डी.बी.सी. एवं कोकारो स्टील प्लांट आदि जो झारखण्ड राज्य में स्थित है, इनके द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात् धरती पुत्र दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं । न तो इन्हें नौकरी दी जा रही है और न ही इन्हें समुचित मुआवजा दिया जा रहा है । इससे संबंधित सरकार द्वारा विस्थापन-पूर्णकाल के नियम तो बने हैं परंतु इसका अनुपालन इन उपक्रमों द्वारा नहीं किया जा रहा है । जो न तो राज्य सरकार के हित में है और न ही इन उपक्रमों एवं विस्थापितों के हित में है । इस कारण से राज्य में इन्हीं उपक्रमों को अपने कार्य विस्तार के लिए या नए कल कारखाने लगाने में जनता का पारस्परिक सहयोग मिलना मुश्किल होता जा रहा है जिससे राज्य में उद्योग एवं रोजगार की संभावनाएं क्षीण होती जा रही है ।

अतः मेरी मांग है कि उक्त उपक्रमों को जनहित में विस्थापन-पूर्णदर्शन के नियमानुसार कार्य करने हेतु संबद्ध विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ।

(x)Need to provide special economic package to the farmers of drought affected regions of Maharashtra

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): इस साल मानसून बारिस नहीं हुई है । यह माना जाता है कि जब बारिस 10 फीसदी कम होती है तो उसका असर देश की 20 से 40 फीसदी खेती पर पड़ता है और सूखे की सुबगुहाट मिलती है । इस साल हम इस स्थिति से बहुत आगे निकल चुके हैं । सूखे की स्थिति की सबसे बड़ी मार पशुओं पर पड़ती है । इसका मतलब मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि मवेशियों के चारा और पानी की व्यवस्था करने की चुनौती भी सिर पर है । कृषि मंत्रालय ने सूखा प्रभावित राज्यों के लिए डीजल और बीजों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है । लेकिन सरकार यह भूल रही है कि योजना बनाने में और उसे किसानों तक पहूंचने में जितना वक्त लगेगा उसके बाद उन बीजों की बुआई की हालत भी नहीं रहेगी । महाराष्ट्र राज्य के सूखे प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन और राहत कार्य की चुनौती खड़ी कर दी है वही महंगाई से निपटने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी किसान तथा मवेशियां सूखे की मार झेल रहे हैं । इसलिए केंद्र सरकार द्वारा सूखाग्रस्त राज्यों को तुरंत कार्यवाही हेतु स्पेशल पैकेज दिया जाये ।

(xi) Need to expedite construction work of the railway line between Ramganjmandi and Bhopal via Jhalawar in Rajasthan

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): The construction of railway line between Ramganjmandi and Bhopal via Jhalawar in Rajasthan was initiated in the railway budget 2000-01. This issue was raised in 2009 as the construction work was going on at an extremely slow pace. The total estimate for this construction was Rs. 732 core, however with passage of time and inflationary conditions the cost of construction should be increased. The Railway Ministry, thus, needs to look into the funds allocation.

This railway line would facilitate and provide an alternate route for traders from Ramganjmandi to sell soybean in the markets of Mumbai. There is an immediate need to expedite construction work of this railway line. Moreover, necessary infrastructure like bridges and railway station at Jhalawar also needs to be taken into consideration. The construction work of this track would promote employment in these areas and help to improve the connectivity.

I would urge the Government to speed up the process of construction and finish the work.

(xii) Need to include Baba Bhuteswar, Khereswara, Aswasthama Temples and Ganga Ghat in Miksrikh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh in the list of places having tourism potential

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मेरा संसदीय क्षेत्र मिसरिख, जनपद सीतापुर (उ0प्र0) आध्यात्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हे । इस क्षेत्र के अंतर्गत बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में शिवराजपुर नगर पंचायत से कुछ ही दूरी पर पावन गंगा नदी बह रही है, जहां बाबा भूतेश्वर सहित 20 अति प्राचीन मंदिर हे । यहां पर नवरात्रों के दौरान अष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है, जिसमें एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं । यहां से कुछेक कि0मी0 की दूरी पर खेरेश्वर और अश्वत्थामा के भी अति प्राचनी मंदिर हैं । यहां पर भी दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है । इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है । लेकिन,श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है ।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बाबा भूतेश्वर, खेरेश्वर एवं अश्वत्थामा मंदिरों के धार्मिक महत्व को देखते हुए गंगा घाट सहित इस पूरे क्षेत्र को केंद्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए इसे पर्यटन के रूप में विकसित कर वहां का सौन्दर्यकरण किए जाने के साथ-साथ जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं ।

(xiii) Need to revise pay scales of Bank employees equivalent to Central Government employees in the country

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): बैंकों की, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बैंक, किसी भी देश के आर्थिक ढांचे की रीढ़ होता है जिस देश का बैंक जितना संपन्न होगा, उस देश का आर्थिक ढांचा उतना ही मजबूत होगा । उस देश का केंद्रीय बैंक जिसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, भी मजबूत होगा और देश से मुद्रास्फीति की दर को घटाने का काम करेगा और महंगाई दर भी घटायेगा । सौभाग्य से हमारे देश के बैंक बहुत ही मजबूत स्थिति में है और इसमें इसके कर्मचारियों/अधिकारियों का एक बहुत अहम् रोल है । आज देश में बैंकों का कामकाज बहुत बढ़ गया है , बैंको का कामकाज शिफ्टों में होने लगा है और उनका काम बहुत ही सघन ड्यूटी वाला होता है और कार्य की प्रकृति बहुत बोझिल होती है तथा कार्य भी शून्य गलती वाला होता है तथा पूर्णतः परफैक्शन वाला होता है और भारत को आर्थिक शक्ति संपन्न देश बनाने में इनके रोल की अनदेखी नहीं की जा स कती । लेकिन इनका वेतन, केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के समकक्ष नहीं है औन न इन पर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता है । मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि बैंक कर्मचारियों/ अधिकारियों का वेतन केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन के समकक्ष लाये एवम् इन पर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का अदेश दें ।

(xiv) Need to take steps for immediate release of Cauvery water by Karnataka Government

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): The vexed issue of sharing of Cauvery river water affected the Cauvery Delta farmers in Tamil Nadu this year also. As per the directions of the Supreme Court, some water was released during the commencement of paddy crop cultivation in the Cauvery delta region in June this year. The defiance of the State of Karnataka has resulted in the non-compliance of the directions made by the Apex Court. This has resulted in non-availability of water even in Mettur Dam. Water availability in the Mettur Dam now is 16 tmc only against its minimum level of 47.66 feet. Due to un-availability of water the irrigation has been affected badly. The reservoir area on the other side of Mettur Dam which is suitable for cultivation of dry crops like Til has also been affected. The situation has further worsened in the Cauvery delta region resulting in the suicidal deaths of farmers, Particularly in Nagai and Nagappatinam districts.

Desperation and disappointment due to non-availability of irrigation water has created serious stress and stain in the minds of farmers. Standing crops have started drying up due to non-availability of irrigated water especially in the Cauvery Delta Region. This alarming situation must be attended to by the Centre urgently on a war-footing to save the Cauvery Delta Farmers by instructing the Karnataka Government to release the 52.8 tmc water immediately. Even the request for the immediate release of 6 tmc of water made by the Chief Minister of Tamil Nadu has been turned down by the Karnataka Chief Minister during the talks held on 29.11.12 at the instance of the Supreme Court.

(xv)Need to accord sanction for setting up of a Kendriya Vidyalaya in Erumapetty Grama Panchayat of Wadakkunchery Taluk in Trissur district, Kerala

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Offical sanction was earlier made for setting up of a Kendriya Vidyalaya in the Erumapetty Grama Panchayat, in Wadakkanchery Taluk of Thrissur district, Kerala. Accordingly, Erumapetty Grama Panachayat offiered the required 20 acres of land free of cost. But later, the sanction offered turned down by the office of the Deputy Commissioner of KV, New Delhi, as per a letter No. F-1- 9 (4) KVS ADMN I dated 13-2-1998 citing the shortage of required number of 1000 transferable Central Government employees. As a matter of fact, more than 1000 transferable Central Government officials are available in Thalappalli Thaluk (Wadakkancherry Headquarters) i.e., in and around Wadakkancherry. I urge the Government to conduct a detailed enquiry of the facts as well as figures and accord sanction for setting up of the Kendriya Vidyalaya in the above said area as early as possible.

(xvi) Need to restore the supply of gas from the Krishna-Godavari Basin to Andhra Pradesh

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): The Centre on August 1, 2012 decided to divert some more Reliance Industries gas from the K.G. Basin to the Ratnagiri power plant in Maharashtra. Under its quota, Andhra Pradesh was receiving 3.48 MMSCMD (million metric standard cubic meters per day) gas against the commitment of 6.8 MMSCMD. After the fresh cut, the State is hardly getting 1.48 MMSCMD. As many as 14 units of the gas-based power plants have been shut down in the State afresh following cut in gas supply by the Centre's Empowered Group of Ministries (EGoM), resulting in a loss of 1,174 MW of installed capacity equal to 27.23 million units (MU) of energy. This has pushed up the power shortage in the State and as a result there have been cuts and restrictions being implemented for various categories of consumers. With reservoirs not getting any seasonal inflows, almost all the hydel stations are idle and farmers, domestic consumers as well as industries are not getting power. This has affected industrial output thereby causing economic slowdown. Meanwhile, the State Government could not be successful in its efforts to get the supply restored. It could not even get an assurance from the Centre look into the matter. Hence I request the Government of India to remedy the situation.

(xvii) Need to set up an additional bench of Allahabad High Court in western Uttar Pradesh

SHRI JAYANT CHAUDHARY (MATHURA): The Allahabad High Court has a vast volume of litigation and a backlog of cases with a pendency of over 9 lakh cases in 2011. It is the largest High Court in the country with a sanctioned strength of 160 judges and has also the highest number of vacancies of judges among all major High Courts. Litigants from Western Uttar Pradesh have to travel over 600 kilometers to file appeals and face substantial costs that restrict their access to justice.

The Jaswant Singh Commission in 1985 recommended for the establishment of an Allahabad High Court bench in Agra. State Government have also recommended for the establishment of a permanent bench of Allahabad High Court in Western UP. The Law Commission in its 230th Report also supported establishment of additional High Court benches to ensure speedy delivery of justice. Establishment of Allahabad High Court Bench in West UP would be a fundamental step.

I urge the Government to take the necessary action in this regard and also evolve a legal and policy framework for the decentralization of our courts in view of longstanding demands and agitations in several parts of the country.

(xviii)Need to open an Akashvani Kendra in Dausa, Rajasthan

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): राजस्थान के दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर जिलों में वर्तमान में एक भी आकाशवाणी केंद्र नहीं हैं । इन चारों ही जिलों में प्रदेश की अधिसंख्य जनजाति निवास करती है और ये संपूर्ण क्षेत्र जनजाति बाहुल्य है । इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत कृषक हैं, जिनके हितों के मद्देनजर रेडियों स्टेशन की महती आवश्यकता है । यहाँ मुख्यतः गेहूँ, जौ, मक्का, सरसों, बाजरा व दलहन की फसलें होती हैं । आकाशवाणी के माध्यम से नई तकनीकी की जानकारी किसानों को दी जा सकती है। इस क्षेत्र की विशेष सांस्कृतिक धरोहर भी है जिसका प्रचार-प्रसार किया जाना भी आवश्यक है ।

दौसा संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, कुप्रथाओं, अंधविश्वास और अशिक्षा को खत्म करने के लिए सरकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के घ्यानार्थ महवा या दौसा (राजस्थान) में एक लोकल रेडियों स्टेशन (एल.आर.एस.) एफ.एफ. या एम. डब्ल्यू केंद्र खोले जाने की अत्यंत आवश्यकता है ।

14.01 hrs

RE: HOLDING OF COMBINED DISCUSSION ON DIFFERENT MOTIONS ON MULTI-BRAND RETAIL TRADE

MADAM SPEAKER: Now, Item Nos.28, 29 and 30 to be discussed together.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I am on a point of order.… (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Madam, I am on a point of order.

MADAM SPEAKER: Under what rule are you raising it?

SHRI YASHWANT SINHA : I am raising it under Rule 234. I have also earlier submitted a statement on this issue in writing.

मैडम, आज की जो कार्यसूची है उसमें आपने आइटम्स 28, 29 और 30 को एक साथ जोड़ दिया है और यह कहा है कि चर्चा तीनों पर एक साथ होगी। उसके बाद 184 का वोटिंग होगा और फिर आइटम 29 और 30 पर वोटिंग होगी। मेरा पहला निवेदन आपसे रूल 234 के तहत यह है कि जो मोशन श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री खगेन दास जी मूव करने वाले हैं वह अंडर रूल 184 है। हम सभी जानते हैं कि उसके अंतर्गत जरूरी सार्वजनिक मुद्दों पर आप चर्चा परमिट करते हैं और 184 में फिर वोट होता है। लेकिन 29 और 30 विधायी कार्य हैं इसलिए एफडीआई इन रिटेल को, मल्टीब्रॉंड रिटेल को परमिट करने के लिए फेमा का अमेंडमेंट हुआ था और वह नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 अक्टूबर 2012 को जारी किया।

जहां तक प्रावधान का सवाल है तो रूल 48 में बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे रूल 234 में स्पष्ट है कि इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन्स होंगे, रूल एंड रैगूलेशन्स होंगे, ये सदन के पटल पर 30 दिनों के लिए रखे जाएंगे और 30 दिनों के बाद ही वे प्रभावी हो सकते हैं उसके पहले नहीं और इस सदन के हर सदस्य का यह मौलिक अधिकार है कि वह इस नोटिफिकेशन पर अपना अमेंडमेंट दे और इसकी अवधि 30 दिनों की है। इसमें अभी तक आपके पास दो अमेंडमेंट आये हैं - एक प्रो. सौगत राय का है और एक श्री हसन खान का है। कार्यसूची में ये दोनों आइटम्स 29 और 30 पर हैं और आपने कहा है कि इस पर चर्चा इकट्ठी होंगी।

मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। दो बातों को मिलाकर यह सदन इकट्ठे वोट नहीं कर सकता है, चर्चा भी नहीं कर सकता है। 'फेमा' के रूल्स के अमेंडमेंट के बारे में, मेरा आपसे निवेदन है कि अलग से चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद अलग से 30 दिनों के दरमियान वोटिंग होनी चाहिए। मैं चाहूं तो मैं 29वें दिन अमेंडमेंट दे सकता हूं और 30 दिनों का प्रावधान रूल्स बुक में क्यों रखा गया है? 30 दिनों का प्रावधान इसलिए रखा गया कि मैम्बर्स इस पर गंभीरता से विचार करें और विचार करने के बाद अगर उनको लगे कि इसमें उनको संशोधन पेश करना चाहिए तो वे संशोधन पेश कर सकें। अभी अगर किसी माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया भी है तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि इनको आप इकट्ठे होने दें और कभी जैसा नियम कहता है, नेता, सदन से विचार-विमर्श करके एक तिथि निर्धारित हो सकती है कि जिस तिथि पर इन सारे अमेंडमेंट्स पर सदन विचार करेगा और तब उसके बाद वोटिंग होगी। नियम यही कहता है, पृष्ठ 675 में कॉल एंड शकधर की इस पर जो टिप्पणी है, उसको भी मैंने कोट किया है और मैंने स्पष्ट भी किया है कि सदन के माननीय सदस्यों के इस 30 दिन के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में उनको इस अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे इस प्वाइंट ऑफ ऑर्डर को स्वीकार कीजिए और आप रूलिंग दीजिए कि इन दोनों संशोधनों पर आज विचार और वोटिंग नहीं होगी, इनको पेंडिंग रखा जाएगा और 30 दिन की अवधि जब समाप्त होने लगेगी तब इन पर विचार किया जाएगा।

दूसरी बात, जो मैंने कही है कि 30 दिनों का प्रावधान है। सदन के पटल पर इस नोटिफिकेशन को दिनांक 30 नवम्बर को ले किया गया था। दिनांक 30 नवम्बर से लेकर 20 दिसम्बर तक यह 30 दिनों की अवधि पूरी नहीं होती है और इसलिए हमारे नियमों में है कि It will be carried forward. यानी यह अगले सत्र में जाएगा। अगर उसमें भी नहीं होगा तो उसके बाद वाले सत्र में जाएगा और यह हो सकता है कि मानसून सत्र तक जाए। इसलिए इस सत्र में न इस पर आप कृपया करके चर्चा कराएं और न इस पर वोटिंग कराएं। अगले बजट सत्र में इस पर और संशोधनों पर विचार करेंगे। हो सकता है कि मैं भी संशोधन दूं। हो सकता है कि अन्य लोग भी संशोधन दें। उसके बाद नेता, सदन से विचार-विमर्श करके उस पर आप चर्चा कराएं, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, I want to raise a Point of Order under Rule 234 - Rules and regulations to be laid before Parliament. Section 48 of FEMA clearly states that –

> "Every rule and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation. "

Now, you have admitted a Motion along with Rule 184.

It has also been stated that both the Motion under Rule 184 as well as the Motion for modification of the Notification will be taken up together. Now, every Member of this House has a right to table amendments for the annulment or modification of the Notification and we have 30 days time for this. The Notification has been laid on the Table of the House on the 30th November, 2012. If this Motion for modification is voted along with the Motion under Rule 184, then the Members of this House will lose their right to move amendments and that is not as per the Rules of Procedure.

Madam, I urge upon you that the Motion for the modification of the Notification that you have admitted should not be taken up today, it should be taken up when the other Members will table their amendments or their Motions for modification or annulment of the Notification. You will have to wait up to 30 working days. We can give our amendments even on the 29th day. So, we have enough time. We can give amendments and all these amendments should be taken

up together and so the Motion for modification of the Notification should not be taken up today along with the Motion under Rule 184.

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, would you like to say something?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KAMAL NATH): Madam Speaker, 30 days period is the outer limit and some Members have moved a Motion in this regard. I do not know whether any Member who moves it can be denied because it is on the same subject. I think the Rules are very clear and the precedents are very clear that when there is a subject being discussed, obviously one subject is not going to be discussed in three or four forms. So, I think this is perfectly in order and the hon. Members making a point of an outer limit can move it today or any Member who wants to move it is free to move it. … (*Interruptions*) I do not know why there is confusion in this. I do not know why there is hesitation in this. … (*Interruptions*) After all, it is a vote and this will also be voted. … (*Interruptions*) Why are you worried? … (*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (VARANASI): No, this is the procedure of the House. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions)[*] ...

SHRI KAMAL NATH: Madam, I do not know why they are running away from the vote now. … (*Interruptions*) Please have the vote. … (*Interruptions*) Then, please have the vote. … (*Interruptions*)

Madam, they should be welcoming this. … (*Interruptions*) You wanted the vote and so you should welcome the vote. … (*Interruptions*)

Madam, I do not know why they are hiding behind the rule to run away from the vote. … (*Interruptions*) Do not hide behind the rule to run away from the vote. … (*Interruptions*)

---

[*] Not recorded.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदया, संसदीय अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। संसदीय कार्यमंत्री को संसद के अधिकारों को हनन करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। दो सम्मानित सदस्यों ने नियमों का हवाला देते हुए बात कही है, परम्पराओं की बात कही है और बजाय इसके कि संसदीय कार्य मंत्री संसद की परम्पराओं का आदर करें, वह इस प्रकार की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : यह एक्सपंज कर दीजिए।

(Interruptions)[*] …

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, the hon. Minister of Parliamentary Affairs should have the wisdom to really understand that nobody is running away. We are firm on opposition and I am sure that you have been able to manoeuvre the majority. I am sure, with their technology, they have been able to manoeuvre the majority… (*Interruptions*) That is not the point.

Madam, majority or minority is not the issue. My respected friend, Shri Saugata Roy, has done his job, but the issue is that you have to give the Members 30 days' time to make up their mind. It is premature… (*Interruptions*) Minister shouting is not very fine in the House. The point is their decision is premature and since it is premature, it is violative of the rules of the House and also of the advice of Shakdhar. That is why we are objecting.

Nobody is running away from anybody's position. If they can manage the majority, we will fight them elsewhere. They should not worry about that. We are against it. We know how they have manoeuvred the majority… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Madam Speaker, since last week we have been fighting to discuss this under Rule 184 and everybody was interested that this FDI issue should be discussed in the House so that the country could know whether it is compulsory or whether it is

[*] Not recorded.

limited to those who have desired to accept it in their States which have ten lakhs or more population. That is very clear.

Now, from both the sides we are agreeing to discuss it under Rule 184. It is very clear. Then the question comes whether it will be voted or not. At the end of the reply the same thing will be done. But one has to understand that Item Nos. 29 and 30 have come and very rightly the hon. Member has said that the Leader of the House should have been consulted.

I attract your attention to Chapter 21st of Subordinate Legislation. In 235, it is stated: "The Speaker shall, in consultation with the Leader of the House, fix a day or day or a part of the day as he may think fit for the consideration and passing of an amendment to such regulation, rule sub-rule, bye-laws, etc. of which notice may be given by the Member". I think this 235 is accordingly and totally satisfied; it should be admitted and discussed today along with discussion under Rule 184… (*Interruptions*)

श्री यशवंत सिन्हा : यह बिल्कुल...(व्यवधान) और मैं रीइटरेट कर रहा हूं, जो गुरूदास बाबू ने कहा है। नियम 184 का डिस्कशन हमने डिमांड किया है, वोटिंग हमने डिमांड की है और वोट से कोई भाग नहीं रहा है। दिन के अंत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा, कौन कहां खड़ा है, वह इश्यु नहीं है, इश्यु रूल 234 का है। रूल 234, रूल 48 और फेमा में हमें तीस दिनों का अधिकार है और यह अधिकार आज समाप्त नहीं किया जा सकता। ...(व्यवधान) यह अधिकार आज समाप्त नहीं हो सकता है।

MADAM SPEAKER: Can I give the ruling now? Is there anyone else who wants to express any opinion? Or, shall I give the ruling now?

… (*Interruptions*)

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Madam Speaker, so far as I understand, the statement made by the Leader of the House does not negate the 30 days' provision. So this is our demand; we have the right of 30 days; do not curtail it.… (*Interruptions*)

<u>14.21 hrs.</u>

OBSERVATIONS BY THE SPEAKER

Objection regarding discussing the Motions for Modification included at serial Nos. 29 and 30 together with motion under rule 184 at serial No.28

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have heard the objections raised for discussing the motions for modification included at serial Nos. 29 and 30 together with the motion under rule 184 included at serial No. 28. I have also considered the letter received from hon. Member Shri Yashwant Sinha *ji* and I have also heard Shri Basu Deb Acharia *ji* and other hon. Members regarding omission of Item Nos. 29 and 30 of today's List of Business.

In this context, I would like to invite the attention of the House – as you all know and as has already been read out but I would like to read it again –towards the provision of rule 235. According to this rule, when a notice is given by a Member for modification of a rule or regulation, the Speaker is duty-bound to fix, in consultation with the Leader of the House, a day or days or part of a day for the consideration and passing of an amendment to such rule or regulation.

The precedent cited by Shri Yashwant Sinha *ji* with reference to Practice and Procedure of Parliament – Kaul and Shakdher, Page 675, the laying formula prescribed under Section 28 (2) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and Section 11 (2) of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 are different from the laying formula contained under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act. The laying formula under Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 require previous approval of the Parliament before they come into force whereas the laying formula under section 48 of Foreign Exchange Management Act provides only for modification or amendment which will come into effect only when resolution is passed by both Houses of Parliament.

The statutory period during which a Member can move amendment or modifications is intact. The 30 days' period, you all were concerned about, that remains intact. It is not taken away. It is intact and can be exercised according to section 48 of the Foreign Exchange Management Act. So I want to clarify it again that that period of 30 days remains intact.

So far as seeking amendments or moving modification is concerned, there is nothing in this rule or in the Foreign Exchange Management Act, 1999 which prohibits discussion on a motion for modification of a rule or regulation made under this Act and laid on the Table of the House immediately after it has been laid on the Table of the House.

Since I received notices from Prof. Saugata Roy and Shri Hassan Khan, I felt that it is my duty under rule 235 to consult the Leader of the House on these notices. I have since consulted the Leader of the House. Hon. Minister of Parliamentary Affairs had requested me to allow the discussion on the motions for modification together with the motion under rule 184 in order to save the time of the House.

Hon. Members would appreciate that though the effect of adoption of the motion under rule 184 is different from that of motions for modification at serial Nos. 29 and 30, yet, the subject matter of the motion under rule 184 and the motions for modification of the Notification is same.

Therefore, in order to avoid repetition of debate on this subject, I, in my discretion, decided to allow a combined debate on the three motions listed at serial Nos. 28 to 30. After the combined discussion, the motions will be put to the vote of the House one by one.

Hon. Members, before we take up combined discussion on the motion under rule 184 at serial No. 28 and the motions for modification at serial Nos. 29 and 30 of the Notification issued by the Government under the Foreign Exchange Management Act, 1999, I have to inform the House about the procedure that I propose to follow for disposal of these items.

First of all I will call Shrimati Sushma Swaraj to move the motion at serial No. 28. Thereafter, Prof. Saugata Roy and Shri Hassan Khan would be called to move their respective motions at serial Nos. 29 and 30. After all the hon. Members have moved their motions, Shrimati Sushma Swaraj, Prof. Saugata Roy and Shri Hassan Khan would be called to speak on their motions one by one. After them, the other Members will participate in the debate.

At the conclusion of the debate, after the Minister concerned has replied to the debate and the Movers of the motions have exercised their right to reply, I shall put the motions at serial Nos. 28 to 30 to the vote of the House one by one.

14.28 hrs.

(i) MOTION RE: RECOMMENDATION TO WITHDRAW DECISION TO ALLOW 51% FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN MULTI-BRAND RETAIL TRADE

(ii) MOTION RE: MODIFICATIONS IN ANNEX 'A' AND ANNEX 'B' OF NOTIFICATION UNDER FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT, 1999

AND

(iii) MOTION RE: MODIFICATIONS IN ANNEX 'B' OF NOTIFICATION UNDER FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT, 1999

MADAM SPEAKER : Now, Shrimati Sushma Swaraj to move the motion.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूं :-

"कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह मल्टी-ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को तत्काल वापस ले।"

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I beg to move:

"That this House resolves that in pursuance of section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, the Notification [G.S.R.795(E) dated the 19th October, 2012] laid on the Table of Lok Sabha on the 30th November, 2012 be modified as follows:-

In Schedule 8,-

(i) in Annex A, after item (h), the following item shall be added, namely:–

"(i) Multi Brand Retail Trading."; and

(ii) in Annex B, the portion beginning with

"

16.5	Multi Brand Retail Trading	51%	Government

"

and ending with "(x) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval." shall be omitted.

That this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do concur in this resolution."

SHRI HASSAN KHAN (LADAKH): I beg to move:

"That this House resolves that in pursuance of section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, the Notification [G.S.R.795(E) dated the 19th October, 2012] laid on the Table of Lok Sabha on the 30th November, 2012 be modified as follows:-

In Schedule 8, in Annex B, the portion beginning with

"

16.5	Multi Brand Retail Trading	51%	Government

"

and ending with "(x) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval." shall be omitted.

That this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do concur in this resolution."

MADAM SPEAKER: Motions moved:

"That this House recommends to the Government to immediately withdraw its decision to allow 51% Foreign Direct Investment in multi-brand retail trade."

"That this House resolves that in pursuance of section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, the Notification [G.S.R.795(E) dated the 19th October, 2012] laid on the Table of Lok Sabha on the 30th November, 2012 be modified as follows:-

In Schedule 8,-

(i) in Annex A, after item (h), the following item shall be added, namely:–

"(i) Multi Brand Retail Trading."; and

(ii) in Annex B, the portion beginning with

“

16.5	Multi Brand Retail Trading	51%	Government

”

and ending with “(x) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.” shall be omitted.

That this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do concur in this resolution.”

“That this House resolves that in pursuance of section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, the Notification [G.S.R.795(E) dated the 19th October, 2012] laid on the Table of Lok Sabha on the 30th November, 2012 be modified as follows:-

In Schedule 8, in Annex B, the portion beginning with

“

16.5	Multi Brand Retail Trading	51%	Government

”

and ending with “(x) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.” shall be omitted.

That this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do concur in this resolution.”

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने हमारी इस एफ.डी.आई. की चर्चा को नियम 184 के तहत स्वीकार किया। अध्यक्ष जी, हम आग्रह कर रहे थे कि हम चर्चा करेंगे तो केवल नियम 184 के तहत करेंगे। यह आग्रह हम क्यों कर रहे थे, इसकी एक पृष्ठभूमि है जो मैं आपके माध्यम से सदन को, और सदन के माध्यम से देश को बताना चाहती हूँ। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष 2011 में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने हूबहू यही निर्णय लिया था। उन्होंने

कहा था कि खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हम अनुमति देते हैं। उस समय चारों तरफ से उस निर्णय का विरोध हुआ था। जब मैं कहती हूँ चारों तरफ से, तो वाकयी चारों तरफ से। सरकार के घटक दलों से विरोध हुआ था। उस समय तृणमूल कांग्रेस सरकार में शामिल थी, उन्होंने विरोध किया था। डीएमके सरकार में शामिल थी, उन्होंने विरोध किया था। उनके दो प्रमुख समर्थक दल सपा और बसपा ने विरोध किया था और पूरे के पूरे विपक्ष ने तो विरोध किया ही था और सदन की कार्यवाही बाधित हो गई थी। उस समय के तत्कालीन नेता सदन श्री प्रणब मुखर्जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और हम लोगों की बात सुनी थी। बात सुनने के बाद उन्होंने यह कहा था कि मैं प्रधान मंत्री जी से बात करूँगा और आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत कराऊँगा और फिर आकर उनकी प्रतिक्रिया आपको बताऊँगा। 7 दिसम्बर, 2011 को नेता सदन ने दोबारा हमें बुलाया। सर्वदलीय बैठक हुई और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधान मंत्री जी से बात कर ली है और हमने यह फैसला किया है कि हम इस निर्णय को तब तक लंबित रखेंगे जब तक सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत नहीं हो जाती और आम सहमति नहीं बन जाती। हमने फिर उनसे एक प्रश्न किया था कि जब आप स्टेक होल्डर्स शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं? तो नेता सदन ने कहा था - स्टेक होल्डर्स के मायने हैं राजनीतिक दल और राज्यों के मुख्य मंत्री। हमने उनसे प्रार्थना की कि जब आप सदन में बोलेंगे तो क्या यह व्याख्या वहाँ कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर कर देंगे। 7 दिसम्बर, 2011 को नेता सदन लोक सभा में आए। उन्होंने आपसे अनुमति मांगी और कहा कि मैं एक छोटा सा वक्तव्य आपकी अनुमति से देना चाहता हूँ। आपने वह अनुमति दी। अध्यक्ष जी, जो कुछ उन्होंने कहा, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ।

It says:

> "THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, with your permission, I would just like to make a small statement.
>
> Madam Speaker, the decision to permit 51 per cent FDI in multi-brand retail trade is suspended till a consensus is developed through consultation amongst various stakeholders. I convened a meeting of Leaders of all political parties this morning. Earlier also, I had a meeting with them to discuss on how to resolve this impasse due to which Parliament was not functioning properly.
>
> I am glad that all the Leaders have agreed to this formulation but they wanted to have some clarifications. I am seeking your permission to provide that clarification that stakeholders include the Chief Ministers of the State Governments and political parties

because without the involvement of the State Chief Ministers, this can never be implemented.

Therefore, the Government will take a decision after a consensus is developed through the process of consultations amongst all stakeholders.

With these words, most respectfully, I would like to submit that the House may transact normal business as only ten days are left before the Winter Session comes to an end. Thank you, Madam Speaker. "

जब प्रणब दा ने यह बात कही, तो मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते खड़ी हुई और मैंने भी आपसे अनुमति मांगी और मैंने आपसे कहा - अध्यक्ष महोदया, मैं इस बारे में रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। मैंने कहा -

"सरकार ने जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय किया है, उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। जन भावनाओं के आगे झुकना सरकार की हार नहीं होता, बल्कि यह लोकतंत्र को मज़बूत करता है। तमाम राजनीतिक दलों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात करने के बाद, और उन सभी लोगों से बात करने के बाद, जिनके हित इस निर्णय से प्रभावित हो रहे थे, आम सहमति बनाने के बाद सरकार यह निर्णय करेगी, तब तक उन्होंने इस निर्णय को लंबित रखा है। मैं प्रणब दा के प्रति धन्यवाद अर्पित करती हूँ जिन्होंने पूरे का पूरा मसला अपने हाथ में लिया और ऑल पार्टी मीटिंग की। प्रधान मंत्री जी की अनुमति से यह निर्णय हुआ है, मैं उनके प्रति भी देश की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ कि जन-भावनाओं के सामने सरकार झुकी। यह एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक जीत का कदम है।" प्रधानमंत्री जी की अनुमति से यह निर्णय हुआ है, मैं उनके प्रति भी देश की तरफ से आभार प्रकट करती हूं कि जनभावनाओं के सामने सरकार झुकी, यह एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक जीत का क़दम है।"

अध्यक्ष जी, इसमें जो आश्वासन सदन में दिया गया, उसके दो पहलू थे, कनसैन्सस और कनस्लटेशन यानी परामर्श और आम सहमति। परामर्श करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राजनैतिक दलों से और सभी स्टैक होल्डर्स यानी जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, उन सब से। उसके बाद जब आम सहमति बनेगी, तब इस निर्णय को लागू करेंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आम सहमति बनाने की बात तो दूर, आम सहमति बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया। राजनैतिक दलों की बात कर रहे हैं, हम प्रमुख प्रतिपक्षीय राजनैतिक दल हैं, कोई मीटिंग बुलाना तो दूर, कोई पत्राचार भी नहीं हुआ। टेलीफ़ोन तक से कोई बात नहीं हुई और एक दिन आचनक यह निर्णय हमने टीवी पर सुना कि सरकार ने कैबिनेट

से फ़ैसला कर लिया है कि वह 51 फ़ीसदी एफ़डीआई रीटैल सेक्टर में खोलने जा रही है। हम अवाक रह गए। मैंने आडवाणी जी को फोन किया और पूछा कि आडवाणी जी आप इतने वर्षों से संसद में हैं, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि संसद में दिए गए आश्वासन का घोर उल्लंघन हुआ हो। उन्होंने कहा कि कभी नहीं और उन्होंने कहा कि यह तो विशेषाधिकार का सवाल बनता है, सुषमा जी। अगर इस तरह का आश्वासन देकर सरकार पलटे तो प्रिवलेज बनता है। यह इन्होंने कैसे कर दिया! एक अजीब तर्क गढ़ा गया। संसदीय कार्य मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने यह कहा कि हमने तो नीति बदल दी। वर्ष 2011 में हमने राज्यों को डिस्क्रीशन नहीं दी थी। इनेब्लिंग पॉलिसी नहीं बनायी थी, अब तो हमने इनेब्लिंग पॉलिसी बनायी है। राज्यों पर छोड़ दिया है, इसलिए परामर्श करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।

अध्यक्ष जी, यह उस समय के वाणिज्य मंत्री जो आज भी वाणिज्य मंत्री हैं, श्री आनंद शर्मा, उन्होंने भी 7 दिसम्बर, 2011 को राज्य सभा में वही आश्वासन दिया था, जो प्रणब दा ने दिया था। वह बोलते हुए उन्होंने क्या कहा था, यह मैं आपको पढ़कर सुनानी चाहती हूं-

> "THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): Sir, as the hon. Leader of Opposition and hon. Members have asked, it is very clear that this policy, the enabling policy framework, is such that the States have a discretion. Therefore, when we say consultation with the stakeholders, that would include Chief Ministers of States; and its certainly does not exclude but includes the political parties..."

जो बात प्रणब दा ने कही थी, वह तो उन्होंने कही ही, लेकिन दोनों शब्द आपको इसमें दिख रहे हैं। वर्ष 2011 की पॉलिसी भी इनेब्लिंग पॉलिसी थी, वर्ष 2011 की पॉलिसी में भी स्टेट का डिस्क्रीशन था, इसलिए इस तरह का बेतुका तर्क गढ़कर अगर यह कहना चाहते हैं कि कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं थी, परामर्श की आवश्यकता नहीं थी, तो यह तर्क हमें स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई नयी नीति बनायी थी, अच्छी नीति बनायी थी, तो अध्यक्ष जी, और भी ज्यादा ज़रूरी था कि राजनैतिक दलों को बुलाते, वह नीति उनके सामने रखते। शायद आम सहमति बन जाती। लेकिन चूंकि वह आम सहमति नहीं बनी, क्योंकि परामर्श नहीं किया गया, इसीलिए हमने आपके सामने, जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलायी तो यह आग्रह किया कि हम अब सदन में अपनी राय अभिव्यक्त करना चाहते हैं। राय अभिव्यक्त केवल चर्चा के माध्यम से नहीं होती है, राय अभिव्यक्त होती है मतदान के माध्यम से और हमारे यहां नियम 184 यह प्रावधान करता है कि यह चर्चा होगी और चर्चा के बाद मतदान होगा, वोटिंग होगी। इसीलिए हमने बार-बार आपसे कहा कि आप नियम 184 के तहत सदन में चर्चा कराइए। सदन में हम चर्चा भी करें और मतदान से अपनी राय भी अभिव्यक्त करें। मैं पुनः आभार प्रकट करती हूं कि आपने हमारी भावना को समझा, आपने सदन की भावना

को समझा और उस प्रावधान के तहत चर्चा दी है, जो चर्चा के बाद मतदान का प्रावधान करता है। आपके प्रति बहुत-बहुत आभार।

अध्यक्ष जी, जहां तक एफडीआई का सवाल है, इससे पहले कि मैं इस नीति के दुष्परिणामों का उल्लेख करूं, मैं सरकार के उन दावों का सच उजागर करना चाहूंगी, जो एफडीआई के पक्ष में सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। इनका पहला दावा है कि नीति उपभोक्ताओं के हित में है। अगर वॉलमार्ट, टैस्को, केयरफोर और मेट्रो जैसे बड़े मल्टी ब्रैंड रिटेलर्स यहां आ जाएंगे तो लोगों को चीजें सस्ती मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह बेसिक सिद्धांत है कि अगर बाजार प्रतियोगी होता है तो उपभोक्ता के हित में होता है और अगर बाजार एकाधिकारी हो जाता है तो वह उपभोक्ता के हित में नहीं रहता है। एक व्यापक और फैला हुआ बाजार उपभोक्ता को दुकान चुनने की इज़ाजत देता है, गुंजाइश देता है। एक सिमटा हुआ बाजार इस चयन की प्रक्रिया को उससे छीन लेता है।

अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि हिन्दुस्तान के हर बड़े महानगर और छोटे नगर में इसी सिद्धांत पर बाजार बनाये गये हैं। मैं अपने गृहनगर की बात करती हूं। मैं अम्बाला छावनी से आती हूं। वहां जाकर देखिए कि हमारे बाजारों के नाम क्या हैं - बज़ाजा बाजार, सर्राफा बाजार, कसेरा बाजार, हलवाई बाजार, कवाड़ी बाजार, सौदागर बाजार। यह उनके नाम से पता चलता है। अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो बज़ाजा बाजार में जाइए, एक साथ आपको बीस दुकानें मिलेंगी। बर्तन खरीदने हैं तो कसेरा बाजार जाइए, एक साथ पचास दुकानें मिलेंगी। सोने-चाँदी की चीजें आपको सर्राफा बाजार में मिलेंगी। सारे प्रसाधन की सामग्री सौदागर बाजार में मिलेगी। एक जगह जाकर अगर बीस दुकानें हैं तो किसी दुकानदार में यह हिम्मत नहीं है कि वह ग्राहक को लूट ले। वह चीज अच्छी भी देगा और सस्ती भी देगा क्योंकि अगर आपको उसने सस्ती नहीं दी तो आप तुरंत पांच मिनट में दूसरे दुकान में चले जाएंगे। अगर दूसरे दुकान में चीज अच्छी नहीं मिली, महंगी मिली तो आप तीसरे दुकान में चले जाएंगे। इसलिए उसकी विवशता है कि वह चीज महंगी न बेचे। वह चीज अच्छी बेचे, खराब न बेचे क्योंकि ग्राहक के पास चयन की गुंजाइश है, च्वायस है। मैं तो इससे आगे कहना चाहती हूं कि जब हर जगह एक-सी चीज़, एक-सी सस्ती, एक-सी बढ़िया मिलती है तो दुकानदार का अपना व्यवहार, इस पर आश्रित करता है कि दुकान चलती है कि नहीं चलती है। दुकानदार यह कहते हैं कि अगर मीठा बोलोगे, गर्मी में आए हुए ग्राहक को एक ग्लास पानी पिला दोगे, आपका कर्मचारी चीज़ें दिखाते हुए अघाएगा नहीं तो आपकी दुकान चलेगी।

हम और आप तो शॉपिंग करने जाते रहे हैं। हम महिलाएं तो शॉपिंग करती ही हैं। इस बात का बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि अगर हर दुकान पर एक-सी चीज मिल रही है तो मीठा कौन बोलता है, अच्छे से कौन बात करता है, अच्छा व्यवहार कौन रखता है, उसकी दुकान पर जाएं। लेकिन जब आप इस तरह का एकाधिकारी बाजार खड़ा कर देते हैं जहां किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती तो वह कभी भी उपभोक्ता के हित में नहीं हो पाता। Competition is always in the interest of consumers' monopolies mart.

अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताता है कि इस तरह के रिटेलर्स प्रिडेटरी प्राईसिंग करते हैं। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता।...(व्यवधान)

मैडम, थोड़ी-सी शांति बनवा दें। बात बहुत गंभीर हो रही है।

अध्यक्ष महोदया : शांति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions)[*] ...

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, ये रिटेलर्स प्रिडेटरी प्राइसिंग करते हैं। प्रिडेटरी प्राइसिंग का मतलब है पहले दाम नीचे ले आएंगे। दाम इतने कम कर देंगे कि बाकी बाजार समाप्त हो जाय। जब बाकी किसी को वारा ही नहीं खाएगा, कुछ पुगेगा ही नहीं तो क्या वह दुकान बंद नहीं करेगा? घाटे का सौदा कौन चलाएगा और कितने दिन चलाएगा? लेकिन जब दुकानें बंद हो जाती हैं, बाजार समाप्त हो जाता है तो एकदम दाम बढ़ा देते हैं और इतने दाम बढ़ा देते हैं कि उसके बाद ग्राहक के पास कोई गुंजाइश नहीं बचती, चुनाव करने की कोई च्वायस नहीं बचती और उसे आकर उतने ही दाम पर खरीदना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आपका यह दावा कि ये रिटेलर्स जब मल्टी ब्रांड में आएंगे और ये उपभोक्ता के हित में काम करेंगे, उसको सस्ती और अच्छी चीज दिलाएंगे, यह दावा सिरे से निराधार है, तथ्यों से परे है।

मैडम, सरकार का दूसरा दावा है कि यह नीति किसानों के हित में है। उसके लिए ये कहते हैं कि किसानों से महंगा खरीदेंगे, उनको अच्छा दाम देंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव सामने है कि शुरू में दाम कम करने के लिए ये लोग अपना मुनाफा कम नहीं करते। ये

[*] Not recorded.

किसान से सस्ता खरीदते हैं। ये अपने कर्मचारियों को वेतन कम देते हैं और उसके कारण दाम कम करते हैं। ये कभी दाम ज्यादा नहीं देते, ये कम दाम देकर, खरीद कर और अपने कर्मचारियों को कम वेतन दे करके, अपने मुनाफे में कोई समझौता नहीं करते, अपना प्रोफिट पूरा रख करके ये दाम ऊंचे करते हैं। मैं यहां यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का एक डेक्लरेशन लेकर आई हूं। हिन्दुस्तान की बात नहीं, पूरे विश्व के देशों में, जहां-जहां इन्होंने किसानों से सस्ता सामान खरीदा है, वहां विरोध में आंदोलन हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, आपको मालूम है कि फरवरी, 2008 में ईयू की पार्लियामेंट ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट के कारण एक डेक्लरेशन एडोप्ट किया था। वह डेक्लरेशन कहता है:- Evidence from across the EU suggests: 'large supermarkets are abusing their buying power to force down prices paid to suppliers to unsustainable levels and impose unfair conditions upon them.' The declaration came in the backdrop of protests by farmers against supermarkets across European countries like France, Italy, the Netherlands, Belgium, Ireland and Hungary. The nature of complaints was similar. The nature of complaints was: the joint retailers were squeezing the prices paid to the farmers for products like milk, meat, poultry and wine and, in some instances, forcing them to sell it below cost prices.

उनकी लागत से भी कम बेचने पर वे कम्पेल करते हैं, फोर्स करते हैं। ये ईयू का डेक्लरेशन है और यह डेक्लरेशन कोई ज्यादा पुराना नहीं, फरवरी, 2008 में उन्होंने एडोप्ट किया और क्यों एडोप्ट किया, क्योंकि ये जितने देशों के मैंने नाम पढ़े हैं, इन देशों के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। अपने देश में अमूल जैसा कोऑपरेटिव कितना सफल है, वे इसका विरोध कर रहे हैं। उससे ज्यादा सफल कोऑपरेटिव कहीं है। कुरीयन जी आज नहीं हैं, उनका निधन हो गया है। उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं कहना चाहती हूं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल मार्केटिंग फेडरेशन के प्रेज़ीडेंट श्री सोडी जी हैं। उन्होंने बयान देकर कहा है, :- Farmers get the least returns from the modern trade and the so-called efficiency benefits only the large retailers as they constantly drive down the prices. कोई एक का अनुभव नहीं है, दुनियाभर का अनुभव यह बताता है कि किसान से सस्ता खरीदते हैं। इसके आगे कहना चाहती हूं, दाम तो तब देंगे, जब खरीदेंगे। ये आपके छोटे और मझोले किसान से खरीदेंगे ही नहीं।

अध्यक्ष महोदया, यहां पंजाब के लोग बैठे हैं, अजनाला जी और हरसिमरत कौर जी बैठी हैं। पेप्सी का उदाहरण है।...(व्यवधान) बाजवा जी, गुलशन जी और वहां के लोग भी बैठे हैं। ये सब साक्षी हैं, मैं जो

उसकी बात कह रही हूं। जब पेप्सी की फैक्ट्री पंजाब में लग रही थी तो पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया कि यहां फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। पेप्सी के लोगों ने उन्हें भरमाया और यह कहा कि हम केवल कोल्ड ड्रिंक ही नहीं बनाएंगे, हम यहां आलू के चिप्स और टमाटर की सॉस भी बनाएंगे। आपका आलू और टमाटर खरीदेंगे। यहां का किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान गुमराह हो गया, भ्रम में आ गया। फैक्ट्री लग गई। आप जानती हैं, कारखाना लगने के बाद उन्होंने किसानों को बुलाया और कहा कि हमने तुम्हारे आलू का परीक्षण किया था। तुम्हारा आलू ज्यादा मीठा है, इसके अच्छे चिप्स नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे टमाटर का भी परीक्षण किया था, तुम्हारा टमाटर ज्यादा खट्टा है, उसकी अच्छी सॉस नहीं बन सकती। आलू और टमाटर विदेश से निर्यात करने का काम किया, लेकिन पंजाब के किसान से आलू और टमाटर नहीं लिया। एक पेप्सी की बात नहीं, आज पूरे देश में मैकडोनाल्ड की चैन खुली हुई है। वे आलू की फ्रैंच फ्राइज़ बनाते हैं। वे भारतीय किसान से कितना आलू लेते हैं, इस बारे में कभी पता करिए। वे कहते हैं कि हमारी फ्रैंच फ्राइज़ का साइज़ बड़ा है, आपका आलू छोटा है।

ये रामशंकर कठीरिया जी, आगरा के सांसद भारतीय किसान बैठे हुए हैं। आगरा का किसान, जो आलू उत्पादक किसान है, सबसे ज्यादा आलू पैदा करता है, वह अपने आलू को सड़क पर गिराने के लिए मजबूर होता है, लेकिन मैकडोनाल्ड उनसे आलू खरीदता नहीं है।...(व्यवधान) आलू कहां से आता है? शिपमेंट के शिपमेंट आते हैं। अध्यक्षा जी, जहाज के जहाज आलू के भरकर आते हैं, विदेशों से शिपमेंट्स आते हैं। आलू के जहाज के जहाज भरकर आते हैं और वे उन्हीं के फ्राइज़ बनाते हैं, क्योंकि, वे कहते हैं कि हमारे फ्राइज़ का स्टैण्डर्ड बड़ा है, आपका आलू छोटा है। अगर खरीदेंगे तो दाम देंगे न और अगर खरीदने का समझौता भी कर लेंगे तो एक चीज़ की खराबी पर पूरी की पूरी खेप वापस कर देंगे। मैं आनन्द शर्मा जी से कहना चाहती हूं, आप सेव की जगह से आते हो न, आपके यहां बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी का सेव पैदा होता है, लेकिन तो भी जब आजादपुर मंडी में आता है तो कभी न कभी एक सेव दब जाता है, कभी गल जाता है तो यहां का व्यापारी उस एक सेव को निकाल कर बेच देता है, लेकिन जिस पेटी का सेव गलेगा, वे केवल वह पेटी ही वापस नहीं करेंगे, ट्रक का ट्रक लौटा देंगे और कहेंगे, इसमें तो बैक्टीरिया पैदा हो गया और जिस ट्रक में आया है, उसकी सारी पेटियों में बैक्टीरिया लग गया। आप क्या कहना चाहते हैं? उस समय जब खेप की खेप लौटाई जायेगी, ट्रक वापस किए जाएंगे तो हिमाचल का वह सेव का किसान आपके घर के दरवाजे पर धरना देगा, सिर पर हाथ रखकर रोएगा और आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे।

ये कहते हैं कि किसान को सबसे बड़ा फायदा होगा कि बिचौलिये खत्म हो जाएंगे, मिडिलमैन खत्म हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहती हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आप क्या कर रहे हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो बिचौलियों की बात करते हैं कि बिचौलिये खत्म हो जाएंगे, आज भी हिन्दुस्तान में एक क्षेत्र ऐसा है, जहां किसान और मिल मालिक के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है और वह शुगर मिल का क्षेत्र है, चीनी मिल का क्षेत्र है। वहां कोई बिचौलिया नहीं है। चीनी मिल का मालिक, चीनी मिल के प्रबन्धक और किसानों के बीच में सीधा अनुबन्ध होता है, गन्ना वाण्टेड होता है, गन्ना अनुबन्धित होता है। चीनी की मिल के मालिक के कहने पर किसान गन्ना बोते हैं और वह गन्ना उन्हीं शुगर मिल्स को दिया जाता है, लेकिन कितनी ही बार ऐसा हुआ है...(व्यवधान) अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो कैसे बोल सकेंगे?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिए। सुनिये। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये। आप शान्त हो जाइये। Nothing else will go on record.

(Interruptions) *...

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, कितनी ही बार होता है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइये। कृपया ऐसा नहीं करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कितनी ही बार होता है कि अनुबन्ध के बाद भी चीनी मिल मालिक गन्ना लेने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि इससे ज्यादा हम पेर नहीं सकते और अगर पेर नहीं सकते तो आप लाइये भी मत या फिर लाया हुआ गन्ना लौटा देते हैं। जहां ले लेते हैं, वहां उनके कर्मचारी कागज की पर्ची किसान को दे देते हैं। किसान वह पर्ची लिए मारा-मारा भागता है। यहां अजीत सिंह जी बैठे हैं, ये गन्ने की राजनीति जानते हैं। हमारे यहां राजनाथ सिंह जी और राजेन्द्र अग्रवाल जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के और मेरठ के सांसद हैं। अभी परसों ही वरुण गांधी जी लखनऊ में बोलकर आये हैं, वहां गन्ना किसानों की व्यथा-कथा कहकर आये हैं। गन्ना किसान कागज लिए घूम रहा है, पर्ची लिए घूम रहा है, लेकिन ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

* Not recorded.

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. What is all this?

… (*Interruptions*)

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): मंत्री होकर यह ऐसा कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं इनके खिलाफ तो कुछ नहीं कह रही हूं, इनको किस चीज का दर्द हो रहा है। ...(व्यवधान) मैं किसान का दर्द सुना रही हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैंने इस देश के आलू के किसान का दर्द रखा, मैं इस देश के गन्ना किसान का दर्द बता रही हूं और आपसे बता रही हूं कि यह सब होने वाला है। मैं आपकी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही हूं, आपके खिलाफ नहीं बोल रही हूं। आप किसान का दर्द भी सुनना नहीं चाहते। ...(व्यवधान) मैं इनके इस तर्क का जवाब दे रही हूं कि ये कह रह हैं कि एफडीआई के आने से बिचौलिया खत्म हो जाएगा, मिडलमैन खत्म हो जाएगा और किसान को फायदा होगा। मैं यह कह रही हूं कि जिस क्षेत्र में बिचौलिया है ही नहीं, मिडलमैन है ही नहीं, डायरेक्ट मिल मालिक और किसान के बीच में रिश्ता है, वहां यह हालत हो रही है कि गन्ना किसान मारा-मारा फिर रहा है, तो आप यह कहते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाने से किसान की हालत सुधर जाएगी, यह सही नहीं है।

मैं आपको बिचौलिये की बात बता दूं। सबसे बड़ा बिचौलिया और मिडलमैन हमारे यहां अनाज मंडी में आढ़ती होता है। ...(व्यवधान) मैडम, हमारी आढ़त प्रणाली में बीसियों दोष होंगे, जिनको ठीक करने की आवश्यकता है, लेकिन आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि आढ़ती और किसान के बीच में एक विश्वास का रिश्ता होता है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझते हैं, मैं बता रही हूं कि...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। आप भी बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानता है, केवल वह इस बात को पहचान सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था यह कहती है कि आपकी बैंकों के ये एटीएम तो आज आए हैं, आढ़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का खीचक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, वह सिर पर साफा बांधता है और सीधा मंडी में आढ़ती के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: What is all this? Please sit down.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वह बोल रही हैं, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

15.00hrs

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : संदीप दीक्षित जी, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: वह उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है। क्योंकि उसे मालूम है कि वह बैलगाड़ी में भर कर उस [illegible] यहां लाएगा। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जब आपकी पार्टी की बारी आएगी तो आप बोलिएगा।

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उसे बेच कर वह अपना पैसा वसूल लेगा।

अध्यक्ष महोदया जी, जसवंत सिंह जी जैसे लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था समझते हैं।…(व्यवधान) ये क्या जाने? वह मेरी बात के साक्षी होंगे। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? आप सभी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वालमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बेटी की भात भरने की। …(व्यवधान) उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। …(व्यवधान) कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा उसकी फसल खरीदेगा? नई एजेंसियां खड़ी होंगी और नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसमें यह कहना कि आप बिचौलिए को समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को समाप्त कर देंगे, यह बात सिरे से गलत है। …(व्यवधान) आपको विदेशी बिचौलिए चाहिए। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

…(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): ये लोग अमेरीका के समर्थक हैं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जब आपकी पार्टी को चांस मिलेगा तब आप को चांस मिलेगा।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। इनको बोलने दीजए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या चाहते हैं? आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, if this is the way they are going to conduct this discussion, then we will not allow them to speak. … (*Interruptions*) In that case, nobody will be allowed to speak. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All of you please sit down. What is happening to you?

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, we will not allow this to continue. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Now, you sit down. They all are sitting.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, you control them. … (*Interruptions*) Madam, if they do like this, then your Prime Minister would not be allowed to speak; the Leader of the House would not be allowed to speak; and nobody will be allowed to speak. … (*Interruptions*) We will not allow anybody to speak. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Why are you doing this? Please sit down.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All of you please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, we will not allow any one of them to speak. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप क्यों बारबार खड़े हो रहे हैं?

… (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions)** ...

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): ...** सुषमा जी को बोलने नहीं देना चाहते।

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This will not go on record.

*(Interruptions)** ...

अध्यक्ष महोदया : गीते जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बहुत गभीर विषय पर चर्चा हो रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठहरिए, हम इधर ही सुनाएंगे। आप नहीं सुनेंगे। ऐसे नहीं बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Madam, he said that **...** Is it fair? You listen to what he said. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या तरीका है।

...(व्यवधान)

---

*Not recorded.

**Not recorded as ordered by the chair.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is not correct to speak like that. It is unfair. He said like that and it is uncharitable on his part. He has to withdraw it. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप सब बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Madam, I have to say that he is challenging the Speaker and I think it should be removed from the records. He should not challenge the Speaker. He can challenge us, but not the Chair. … (*Interruptions*)

SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): We are not challenging; you are disturbing our leader. You are the leader of the House.

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। ऐसे मत कीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: You can talk like this with us, but not with the Chair. Madam, he can challenge us, but not the Chair. … (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : What is he saying? He is the Leader of the House, . … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : यहां पर बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बोल रही हैं। मैं चाह रही हूं कि सब सुन लें। वे अपना पक्ष रख रही हैं, अपने विचार रख रही हैं। आपकी जब बारी आएगी, आप अपना पक्ष रखिएगा।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप चुप रहिए। यह क्या हो रहा है। हर समय क्यों बोलते हैं।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, कभी-कभी उत्तेजित हो जाते हैं, हाउस हिल जाता है। मगर बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर ऐसे मत कीजिए। इस तरह नहीं करते। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर उत्तेजना होगी, मगर आपे से बाहर मत हो जाइए, यह मैं कह रही हूं। आप उनकी बात सुनिये। जब आपके बोलने की बारी आयेगी, तब कहिए। अभी आप उनकी बात ध्यान से सुनिये।

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, इनका तीसरा दावा है कि एफडीआई रोजगार के नये अवसर पैदा करेगी। वाणिज्य मंत्री जी ने तो एक आंकड़ा भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ जॉब्स मिलेंगी, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 40 लाख लोग डायरेक्टली इन लोगों द्वारा इम्प्लॉय होंगे, यानी जो मल्टी ब्रांड रिटेलर्स आयेंगे, ये आकर 40 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी देंगे। मुझे नहीं मालूम कि यह आंकड़ा देते समय कोई जमा-घटाव, कोई गुणा-तकसीम करते हैं या नहीं, क्योंकि एक आंकड़ा मेरे पास है। वॉलमार्ट के 9 हजार 826 स्टोर्स पूरी दुनिया में हैं और उनके इम्प्लायज 21 लाख हैं। अगर 40 लाख इम्प्लायज हिन्दुस्तान में केवल वॉलमार्ट के आने हों, क्योंकि वॉलमार्ट में 214 प्रति स्टोर कर्मचारियों की संख्या है। एक स्टोर में 214 कर्मचारी हैं जो सबसे ज्यादा हैं। बाकी लोगों के तो और भी कम हैं, जो मैं बताऊंगी। अगर 214 प्रति स्टोर वाले वॉलमार्ट ने 40 लाख लोगों को यहां इम्प्लायमैंट देना है, तो 18 हजार 600 स्टोर खोलने पड़ेंगे। बाकी के बारे में आप सुनेंगी, तो हैरान रह जायेंगी। केयरपोर्ट की प्रति स्टोर 30 की संख्या है और पूरे विश्व में उनके स्टोर 15 हजार 937 हैं। मेट्रो की संख्या 133 है और टेस्को जो वॉलमार्ट के बाद यहां आना चाह रहा है, उसकी संख्या 92 है। उनके 5 हजार 380 स्टोर्स हैं। अगर ये सारे आ जायें और अपनी-अपनी संख्या के अनुसार करने लग जायें, तो 36 हजार से ज्यादा स्टोर्स चाहिए। ये 53 शहरों में खोलने की बात कर रहे हैं यानी एक-एक शहर में छः-छः सौ स्टोर्स खुलेंगे। हर चौराहे पर अगर स्टोर खुलें तब जाकर 40 लाख लोग बनते हैं। ...(व्यवधान) कहां से आंकड़ा लाते हैं, कैसे लाते हैं? कोई आंकड़ा कहीं सुना, कहीं चिपका दिया।

जहां तक रोजगार की बात है, यह तो आप 40 लाख की बात कर रहे हैं। आप अपनी पालिसी उठाकर देखिये, उसमें आपने क्या कहा है? आपने कहा है कि 30 परसेंट आपके एसएमईज से चीज लेनी पड़ेगी। अध्यक्षा जी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आयेगी, तो वह मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में आयेगी। आपके कारखाने बंद हो जायेंगे। आपने खुद कहा कि 30 परसेंट स्थानीय उद्योग से लेना पड़ेगा। आज जो उद्योग सौ परसेंट बेच रहा है, उसका 70 परसेंट आपने काट लिया। क्या 30 परसेंट पर कोई कारखाना चल सकता है? क्या कोई फैक्ट्री वायेबल हो सकती है? कारखाना दर कारखाना बंद हो जायेगा। यह जो 70 परसेंट आयातित माल आयेगा, जिसे यह कह रहे हैं कि 30 परसेंट यहां से तो 70 परसेंट इम्पोर्ट करेंगे। यह जो 70 परसेंट आयातित माल आयेगा, इसमें से 90 परसेंट माल चाइना का होगा। कारखाने खुलेंगे चाइना में, रोजगार मिलेगा चाइना में, आमदनी बढ़ेगी चाइना की और आपके यहां 12 करोड़ घरों में अंधेरा हो जायेगा। आपका मैनुफैक्चरिंग सैक्टर खत्म हो जायेगा। जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जरा उनकी बात करो जो बेरोजगार होकर सड़क पर आ जायेंगे। यह भी बता दूं कि 30 परसेंट वाली जो एसएमईज वाली

बात है, यह भी एक मिथ है, एक मिथ्या धारणा है। क्यों? क्योंकि भारत डब्ल्यूटीओ में जिन शर्तों पर शामिल हुआ है, उसमें जीएटीटी (गैट) का आर्टिकल 3 यह पाबंदी लगाता है कि आपको नैशनल ट्रीटमैंट देना होगा कांटैक्टिंग पार्टी से। आप कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते, जिस कानून के तहत स्थानीय उद्योग से आप चीज खरीद सकें। कल कोई आपकी इस व्यवस्था को कोर्ट में जाकर चैलेंज करेगा और वह व्यवस्था गिर जायेगी। केवल डब्ल्यूटीओ की बात नहीं, अध्यक्षा जी, प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, 82 देशों से हमने बीआईपीए साइन किया। हमने द्विपक्षीय समझौते किए हैं और उनको कहा है कि आपको भी हम नेशनल ट्रीटमेंट देंगे और उस नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम उनके उद्योगों से चीजें खरीदेंगे। इसलिए यह जो तीस प्रतिशत वाली बात है, यह बहुत बड़ी मिथ्या और भ्रामक बात है। यह 30 प्रतिशत भी आप स्थानीय उद्योगों से खरीद नहीं सकेंगे। इसलिए आप जो रोजगार की बात करते हैं, 40 लाख रोजगार का शीशा तो मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन जो लोग बेरोजगार होंगे, क्या उनका कोई आकलन किया है आपने? आपके यहां मॉल्स आ जाएंगी, मॉल्स में जरूर जगमगाहट हो जाएगी और शहर जगमगाने लगेंगे, लेकिन जिन लोगों के घर में अंधेरा हो जाएगा, क्या कभी उनकी कल्पना की है आपने? ये तीन दावे हैं जो सरकार कर रही है, उपभोक्ता का हित-रक्षण होगा, किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, नए रोजगार होंगे। इन दावों की पोल मैंने खोल दी आपके सामने, लेकिन इस नीति के अपने दुष्परिणाम खुदरा व्यापार पर क्या होंगे, अब मैं वह आपको बताना चाहती हूं। पूरे विश्व का यह अनुभव है कि जहां-जहां एफडीआई मल्टी-ब्रांड रिटेल में आई है, वहां-वहां का खुदरा व्यापार खत्म हो गया है, छोटी शॉप्स समाप्त हो गयी हैं। ...(व्यवधान) यह गलत नहीं है, आप सुन लीजिए।...(व्यवधान)

This is the report of the National Trust for Historic Preservation. It is written: What happened when Walmart came to town in 1996. A Study of Walmart expansion has found that 84 per cent of all sales at the new Walmart stores came at the expense of existing businesses within the same country. किसके सिर पर आया? लोकल बिजनेस को खत्म करके 84 प्रतिशत सेल्स आए। यह मैंने आपके सामने एक विदेशी रिपोर्ट रखी है, कोई अपनी गढ़ी हुई बात नहीं रखी है। मैं छोटे देशों की बात ही नहीं कर रही, मैं बड़े देशों की बात कर रही हूं। मैं इंग्लैंड की बात करूंगी, ब्रिटेन की बात करूंगी। हिन्दुस्तान टाइम्स की 15 जुलाई, 2010 की रिपोर्ट है। इसमें क्या लिखा है, जरा ध्यान से सुन लीजिए जो कह रहे थे कि गलत है। जो गलत हैं ध्यान से सुन लें। मैडम, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो एमपीज ने कहा है, किसी ऐरे-गैरे ने नहीं कहा है। मैं ऑन-कोट पढ़ रही हूं, अगर आप कहें तो सदन के पटल पर रख दूंगी।

> "Britain was a nation of small shopkeepers. All of that had changed and this is because of the super market led by TESCO. It is impossible for small shopkeepers who have so much to offer to compete with the prices of super market, "

ABP GEO SS Secretary, Bob Russell, MP added: "The expansion of super market in Britain has been to the serious detriment of small shops. There is no question about this."

It further says, "One in six small stores in Britain has gone out of business in the last decade," the Group said because of TESCO, because of these large super markets. हर छठा स्टोर बिजनेस से बाहर हो गया। यह मेरे कहे हुए शब्द नहीं हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो एमपीज ने कहा है। ...(व्यवधान) केवल इन दो एमपीज ने नहीं कहा है, आपसे भी मिले होंगे, एक इंडियन ओरिजिन के एमपी हैं- मिस्टर कीथ वाज़। आपसे जरूर मिले होंगे, क्योंकि भारत आते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं। कीथ वाज़ को जब पता चला कि भारत में इस तरह की बात चल रही है, तो भारत के सांसदों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा। यह मैं कीथ वाज़ की बात पढ़ रही हूं। यह बहुत पुरानी बात नहीं है, यह 20 सितम्बर, 2012 की बात है, आज से केवल दो महीने पहले की बात है। Indian origin Labour Party MP Keith Vaz has advised "Indian legislators to be careful while handling the issue of FDI in retail, cautioning that a major dominance by a super market may not be in the interest of the common man." कीथ वाज़ ब्रिटेन के एमपी भारत में बहुत आते हैं, भारत से प्यार रखते हैं, इसलिए भारत के सांसदों को उन्होंने आगाह किया है कि सावधानी बरतो, यह एफडीआई कॉमन मैन के इंट्रेस्ट में नहीं है। मैं केवल इंग्लैंड की बात नहीं कर रही हूं मैडम, जिन देशों से ये कंपनियां आ रही हैं, मैं अमरीका की बात कर रही हूं। वॉलमार्ट तो अमरीका की कंपनी है और उसने अमरीका में क्या तबाही मचाई है, आप जानते हैं क्या? वहां एक आंदोलन चला है जिसका नाम है " स्मॉल बिजनैस सेटरडे" और उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है - राष्ट्रपति ओबामा। वह ट्विट करते हैं, वह लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि हर शनिवार को जाकर छोटी दुकानों से चीजें खरीदो। यह मैं आपको दिखाना चाहती हूं जो cdcnews.com की न्यूज है जो इस प्रकार है -

> "Black Friday is over. But 89 million consumers plan to shop small on Small Business Saturday according to a survey by American Express. It is an effort to promote independent retailers on Main Street. Now Small Business Saturday is being promoted in cities

across the country including New York, Boston, Los Angeles, Philadelphia, Miami and Detroit."

इस दिन ओबामा स्वयं जाते हैं छोटे दुकानदारों के यहां, वहां से किताबें लेते हैं, यह न्यूज वाशिंगटन की है।

"President Obama has pitched into help small business get into the holiday shopping season. The President took his daughters Malia and Sasha along on a shopping run to a bookstore a few blocks from the White House. He says he made the visit because it is Small Business Saturday and he wanted to support the small business."

उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि उनके यहां पॉप एंड मॉम स्टोर्स खत्म हो गये। वॉल-मार्ट ने छोटी दुकानदारियां खत्म कर दीं, उनका रोजगार लुट गया और आंदोलन के तौर पर स्मॉल बिजनैस सेटरडे अमरीका में चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति ओबामा बेटियों के साथ शनिवार को शॉपिंग करते हैं और केवल यही नहीं, अध्यक्ष जी, वर्ष 2012 के बजट में अमरीका 10 सूत्री फार्मूला लेकर आया है अपने स्मॉल बिजनैस को स्पोर्ट करने के लिए। क्या कहा गया है कि -

"Small businesses are the engine of job growth in our country. In order to ensure that small businesses are poised to start, grow and create jobs, the 2012 Budget will:

1. Spur job creation by enhancing small business access to credit.
2. Cut taxes for small businesses seeking to grow and expand.
3. Boost investment in small businesses.
4. Promote impact investment in economically distressed regions for disadvantaged groups and in sections of national significance.
5. Help innovative small businesses obtain early stage financing.
6. Improve small businesses and export access to federal services.
7. Help small businesses connect to regional innovation.
8. Strengthen small business exports.
9. Double the small employer pension plan start up credit.
10. Help small businesses provide health insurance to their employees."

ये 10 सूत्री फार्मूला अमरीका के 2012 के बजट में आ रहा है छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। मैं पूछना चाहती हूं कि जिस समय बाकी के लोग इस प्रणाली के दोषों को चिन्हित करके, उन्हें सुधारने में लगे हुए हैं, उस समय क्या कारण है कि हमारी सरकार इसे महिमा-मंडित कर रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी सोचते हैं कि एफडीआई आ जाएगी तो अर्थव्यवस्था की सारी कमियों का इलाज हो जाएगा। कहते हैं कि मूर्ख अपने अनुभव से सीखता है, बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से सीखता है। मैंने दुनियाभर के देशों के उदाहरण आपके सामने रखे हैं, यूरोपियन यूनियन का उदाहरण, इंग्लैंड का उदाहरण, अमरीका का उदाहरण आपके सामने रखा, ये देश तबाही से अपने मुल्कों को बचाने में लगे हैं, स्मॉल बिजनैस को प्रमोट कर रहे हैं, रैजोल्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी सरकार लगी है कि एफडीआई आ जाएगी तो पता नहीं देश के अंदर कौनसी क्रांति आ जाएगी, हमारी सारी अर्थव्यवस्था की कमियां दूर हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदया, यह बहस नयी नहीं है। यह बहस हमारे समय में भी चली थी जब हम सरकार में थे। तब भी कुछ लोग कहते थे कि खुदरा व्यापार में एफडीआई ले आओ, बहुत भला होगा। उस समय अटल जी ने एक अध्ययन करवाया था और स्टडी करवाने के साथ साथ योजना आयोग ने वहां के सम्मानित सदस्य श्री एन.के.सिंह जो इस समय जेडीयू के राज्य सभा में सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट को मैं पढ़कर सुनाती हूं। उन्होंने कहा था: "The retail sector in India is dispersed, widespread, labour-intensive and disorganized. In the light of this, it is not thought desirable at present to lift the ban on FDI in retail trade."

मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जिस समय यह रिपोर्ट आई थी, उसके बाद हमने एकमत से निर्णय कर लिया था कि हम खुदरा व्यापार में एफडीआई नहीं लाएंगे। उस समय कांग्रेस की सोच भी यही थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश आए। महाराष्ट्र के एक फेडरेशन के लोगों ने, स्टेट कमेटी के चेयरमैन ने मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था। वह राज्य सभा में नेता, प्रतिपक्ष थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा सुन रहे हैं कि एनडीए की सरकार एफडीआई लाना चाहती है। आप रोकिए। राज्य सभा में यह प्रश्न उठा था। उस समय के वित्त मंत्री ने राज्य सभा में आश्वासन दिया था और मनमोहन सिंह जी ने एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उस ट्रेड कमेटी के अध्यक्ष को आश्वस्त किया था। वह पत्र मैं लेकर आई हूं। आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। … (*Interruptions*) I will not yield. … (*Interruptions*) I will not yield. … (*Interruptions*) आपको मेरे बाद बोलना है तब आप

बोल लीजिए। अध्यक्ष जी, मनमोहन सिंह जी ने वह पत्र लिखा- “Dear Shri Shanghvi, kindly refer to your letter of 6th December 2002, regarding FDI in retail trade. This matter was raised in the Rajya Sabha two days ago; and the Finance Minister gave an assurance that Government had no proposal to invite FDI in retail trade. With kind regards.”

इन्होंने आश्वस्त किया था कि रिटेल ट्रेड में किसी तरह की कोई एफडीआई नहीं आ रही है और यह उन्होंने उस चिट्ठी को लिखकर आश्वस्त किया था क्योंकि उन्होंने इन्हें बोला था कि आप देखिए कि यह न आए। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा था कि आप आश्वस्त रहिए। वित्त मंत्री ने राज्य सभा में कह दिया है कि एफडीआई नहीं आएगी। केवल यही नहीं, प्रियरंजन दासमुंशी उस समय यहां के चीफ व्हिप होते थे। सोनिया जी नेता, प्रतिपक्ष थीं। वह यहां मुख्य सचेतक थे। वह इसी मुद्दे पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्होंने इस निर्णय को एंटी-नेशनल करार दिया था। यह मैं लेकर आई हूं। प्रियरंजन दासमुंशी का कॉलिंग अटेंशन लेकर आई हूं। उन्होंने क्या कहा था? मैं पढ़कर सुनाती हूं:- “I would like to draw the attention of the Government, through you, as it is alleged that the multi-national retailers through the bureaucratic circles, are continuously putting pressure on the Government to take an anti-national decision of allowing FDI in retail trade; this will perhaps destroy the entire prospect of the retail trade in the country.” वह प्रियदा आज कोलकाता के एक अस्पताल में जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पत्नी दीपादास मुंशी आज इनकी कैबिनेट में मंत्री हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपके उस समय के चीफ व्हिप इसको एंटी-नेशनल कहते हैं। आप स्वयं एफडीआई का विरोध करते हैं। प्रधान मंत्री जी, क्या हो गया? आपकी सोच क्यों बदल गई?...(व्यवधान) परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आ गया? मैं जानना चाहती हूं कि उस समय की जो कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को राष्ट्रविरोधी निर्णय मानती थी, उस समय के नेता प्रतिपक्ष दोनों एफडीआई का विरोध कर रहे थे और हमसे कहते थे कि खुदरा व्यापार में एफडीआई मत लाना आज क्या कारण है ? आज आपकी सोच क्यों बदली है। कई बार डर लगता है कि अखबार में ऐसी रिपोर्ट पिछले दिनों आई हैं कि वॉलमार्ट ने बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में खुदरा व्यापार में एफडीआई लाने के लिए रिश्वत दी है।...(व्यवधान) मैं यह एशोसिएटेड प्रैस की कटिंग लाई हूं। ...(व्यवधान)

> “In a Nov. 15 filing to the U.S. Securities and Exchange Commission, Wal-Mart said it was investigating potential violations

> of the U.S. Foreign Corrupt Practices Act in Brazil, China and India, among other markets. Wal-Mart's Mexico subsidiary is already embroiled in a public scandal over alleged payments to middlemen to speed up the store-opening process, possibly through payments to local officials."

अभी 8 दिन पहले 23 नवम्बर को इन्होंने इंडिया के सीएफओ को ससपेंड किया। मैं यह खबर लाई हूं।

> Bharti Walmart has suspended five people, including CFO Pankaj Madan, as part of an on-going global investigation by the U.S. retail giant against alleged corrupt practices, sources said."

कई बार डर लगता है कि कहीं यह निर्णय भी भ्रटाचार में से तो नहीं निकला है। सीएफओ को ससपेंड किया। देखिए, उनको तो व्यापार बढ़ाना है। ग्लोबल रिसैशन चल रहा है। भारत का बड़ा बाजार उन्हें दिख रहा है इसलिए वे हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरी शिकायत तो मेरी अपनी सरकार से है कि हम क्यों ये कर रहे हैं? वे चाहे जो करें, चाहे जो प्रयास करें, लेकिन जब हमने अपनी एक सोच बना ली कि खुदरा व्यापार में अगर विदेशी पूंजी आएगी तो 4 करोड़ लोग जो सीधे इसमें लगे हैं और 20 करोड़ लोग जो इस पर पलते हैं, वे समाप्त हो जाएंगे तो हम इस दिशा में आगे क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे यह बात समझ नहीं आती। अभी एफडीआई के पक्ष में कांग्रेस की एक रैली हुई थी। उसमें सारे शीर्षस्थ नेता गये थे। सोनिया जी सहित सभी ने उसको संबोधित किया था। वहां, सोनिया जी ने बोलते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस जैसी इतने कम समय में इतना विकास करने वाली सरकार क्या कोई देखी है? सोनिया जी, आपने ऐसा कहा था न? मैंने टी.वी. पर सुना था।...(व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली): बिल्कुल सही बात है।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने कहा था कि इतने कम समय में इतना विकास करने वाली क्या कोई सरकार देखी है? मैं तो सुनकर हैरान रह गई कि वह बोल क्या रही हैं? मैं बताती हूं कि गलत क्या है? सन् 1952 से लेकर 2012 तक 60 वर्षों में से 50 वर्ष कांग्रेस की ही सरकार रही है।...(व्यवधान) आप चुनौती किसे दे रही थीं? मुझे समझ नहीं आया कि यह वाक्य बोलकर आप किसे दे रही थीं? आप चुनौती अपने नाना ससुर को दे रहीं थीं। आप चुनौती अपनी सासु मां को दे रहीं थीं। आप चुनौती अपने पति की सरकार को दे रहीं थीं। आप चुनौती किसको दे रही थीं?...(व्यवधान) सोनिया जी, हमारी सरकार तो मात्र 6 वर्ष रही है और गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में दस साल से कम रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि इस देश में गैर कांग्रेसी सरकारें तो दस साल से भी कम रही हैं। मोरारजी देसाई की सरकार ढ़ाई साल रही थी। हमारी सरकार 6 साल रही, वी.पी. सिंह जी की

रही और बाकी तो सारी सरकारें आपकी थीं। नरसिम्हा राव जी की सरकार आपकी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार आपकी थी। पचास में से तीस साल तो नेहरू गांधी परिवार का राज्य रहा है।...(व्यवधान) आप किसको सुना रहीं थीं? आपका यह कहना कि ऐसी सरकार क्या कभी देखी है? इसका मतलब यह हुआ कि न तो इंदिरा जी की सरकार वैसी थी और न नेहरू जी की सरकार वैसी थी, न राजीव जी की सरकार वैसी थी। क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार सबसे ऊपर हो गई?...(व्यवधान)

मैडम, अगर इस सरकार को ऐसा लगता है कि एफडीआई विकास की सीढ़ी है तो मैं इन्हें कहना चाहती हूं कि यह विकास की सीढ़ी नहीं है बल्कि यह विनाश का गड्ढा है।...(व्यवधान) मुझे समझ नहीं आता कि अचानक सरकार को हो क्या गया है? अभी पिछले शीतकालीन सत्र में इसका निर्णय करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और एकदम एक वर्ष में पलट गये और अब प्रधान मंत्री साहसी वक्तव्य देते हैं। प्रधान मंत्री जी क्या कहते हैं?

> "The time for big-bang reforms has come, and if we go down, we will go down fighting."

Must go down fighting, Mr. Prime Minister but fight for the poor and not for the rich. Fight for the small and not for the big; and fight for the country and not for the multinationals. मैं आपसे कहना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री जी आप अपनों के लिए लड़िये, गैरों के लिए मत लड़िये। आप तो गैरों के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि अगर आप अपनों के लिए लड़ेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। आपको यह लगता है कि एफडीआई का यह प्रस्ताव अगर चला जायेगा तो वर्ल्ड इनवैस्टमैन्ट सिनारियो खत्म हो जायेगा, इनवैस्टर्स आने बंद हो जायेंगे, देश की प्रतिष्ठा गिरेगी, नहीं, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप चाहे जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुझे साथ ले चलें, मैं साथ चलने को तैयार हूं। मैं वर्ल्ड़ इनवैस्टर्स समिट को यह संदेश देने को तैयार हूं कि भारत हर सैक्टर में एफडीआई के खिलाफ नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आइये, पावर में आइये, पुल-पुलिया में आइये, टनल्स में आइये, पोर्ट में आइये, एयरपोर्ट में आइये। आप कहिये तो सही, मैं आपके साथ चलकर वर्ल्ड इनवैस्टमैन्ट सिनारियो को ठीक करके इनवैस्टर्स को कहने वाली हूं। प्रधान मंत्री जी, वह एक अद्भुत दृश्य होगा कि भारत जैसे विशाल देश का प्रधान मंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक साथ इनवैस्टर्स को कह रहा होगा, आप आइये। लेकिन यह दाल, चावल बेचना हमें आता है, यह आप हम पर छोड़ दीजिए। यहां दाल, चावल बेचने आने की जरूरत नहीं है। हम यहां दाल, चावल वर्षों से बेच रहे हैं। राजस्थान का आदमी जाकर अरुणाचल प्रदेश में बेचता है, भिवानी का आदमी जाकर आसनसोल में बेच रहा है। इतनी बड़ी इस्टाब्लिश्ड सप्लाई चेन हमारे लोगों ने बना रखी है कि हमें दाल,चावल बेचने के लिए कोई तकनीक नहीं चाहिए,

उसके लिए खुदरा व्यापार नहीं चाहिए, उसमें एफडीआई नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि आप इस निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए और मैं सच कहूं, तो मतदान के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है, लेकिन हम आपको हराकर जीत दर्ज कराना नहीं चाहते, हम आपको मनाकर जीत दर्ज कराना चाहते हैं। आप मेरी इन बातों पर विचार करिये। इस पर मतदान कल होगा, आपको जवाब कल देना है। आप इसमें जवाब दीजिए। जो बातें मैंने रखी हैं, उन बातों को मैंने आंकड़ों के साथ पुष्ट किया है, बयानों के साथ पुष्ट किया है। कोई बात ऐसे ही हवा में नहीं कह दी है। जब पूरे विश्व में इस पर विचार हो रहा है। अमरीका जैसे देश में छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने पर विचार हो रहा है तो हम अपने छोटे बिजनेस को खत्म करने का काम न करें। हम एफडीआई के पर से खिलाफ नहीं है, एफडीआई के एज सच खिलाफ नहीं हैं। जितनी विदेशी पूंजी आये, उन बड़े क्षेत्रों में, तकनीक के क्षेत्र में हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन इस खुदरा व्यापार में, छोटा आदमी, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, छाबड़ी वाला की रोजी-रोटी मत छीनिये। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप निर्णय पर पुनर्विचार कर लेंगे और हम आपको मनाकर जीत जायेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप हठी होंगे, अगर आप अड़े रहेंगे और आप कहेंगे कि कोई माने या न माने, आम सहमति बने या न बने, हम तो इस दिशा में बढ़ेंगे ही तो फिर मैं अपने इन साथियों से दर्खास्त करूंगी कि इस निर्णय को वापस लेने का जो प्रस्ताव मैं लेकर आई हूं, फिर आप मतदान में इस प्रस्ताव का समर्थन करिये और इस सरकार को मजबूर करिये कि यह निर्णय वापस ले। हमारे यहां कुछ लोगों को, शायद कुछ साथियों को यह लगता है कि इससे सरकार गिर जायेगी। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि इससे सरकार नहीं गिरेगी। नियम 184 के प्रस्ताव के पारित हो जाने से सरकार नहीं गिरेगी, केवल एफडीआई गिरेगी, सरकार नहीं गिरेगी। इसलिए जिन्हें यह डर है कि सरकार गिर जायेगी, वह भयभीत न हों, वे अपना डर निकाल दें और यदि आप समझते हैं कि एफडीआई का गिरना देश के हित में है तो मैं हाथ जोड़कर पहले इनसे कहती हूं कि आप यह निर्णय वापस ले लें, अगर यह निर्णय वापस नहीं लेते हैं तो आप हमारे इस प्रस्ताव के साथ मतदान करिये, एफडीआई को गिराइये, देश को बचाइये।

यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I rise in favour of the motion moved by Smt. Sushma Swaraj and also in support of the motion for amendment moved by me and Janab Hasan Ali. It is very difficult to make a speech after Sushmaji's beautiful speech in flowery and flowing Hindi. But still I will make an attempt.

Madam, for us, FDI is a matter of faith. FDI in multi-brand retail is something we have decided to fight tooth and nail. On 20th September, this Government took the decision to introduce 51 per cent FDI in multi-brand retail. On 21st of September, all the Ministers of Trinamool Congress, setting an example before the country, resigned from the Council of Ministers. We have shown the moral courage to oppose and take a stand. When we brought the No Confidence Motion, we knew that by ourselves we do not have the numbers. We appealed to all parties, but they did not stand with us. But you, my friend, your party, the BJP, stood with us, for which we are grateful. But still we persisted in moving the motion and that is why again I have given this motion for amendment to the rules.

Madam, FDI in multi-brand retail to the extent of 51 per cent is a step that will jeopardize the livelihood of 3.3 crores of people who are employed in the retail trade and as I will show directly and as I will show later, it will impact the lives of the farmers whom this so called reform FDI in retail is seeking to address. But before that may I give a brief chronology of the events.

One would remember that on the 22nd of July, 2011, the Committee of Secretaries took a decision to introduce FDI in multi-brand retail. On 24th November, 2011, the Union Cabinet paved the way for FDI in retail measures by allowing companies like Walmart, Tesco and Carrefour to open retail shops in India. The Winter Session of Parliament was totally stalled by the Opposition protesting against FDI in multi-brand retail. On 7th December, 2011, the then Leader of the House, Shri Pranab Mukherjee called an all Party meeting and it was agreed, as has been correctly mentioned by Smt. Sushma Swaraj, that FDI in

multi-brand retail would be kept in suspension till a consensus was arrived at with all stakeholders. Now, this was on the 7th of December, 2011. What has happened in this brief interregnum? The Government's hands were certainly forced to announce this decision.

Madam, let me give you another chronology. In September, 2009, revealed by the Hindu Wikileaks, cable series, March 18, 2011, the then Secretary of State of USA sent a cable to the US Embassy in India. She had asked, why is he, that is Shri Anand Sharma, reluctant to open multi-brand retail? Further, another cable read, `does Sharma get along with Mukherjee -- meaning Pranab Mukherjee -- and Prime Minister Singh?

It is Assange's cable and not mine. So, it is on record. She also asked: "Why was Mukherjee chosen for the Finance portfolio over Ahluwalia?" These cables were the sparks that goaded the Government into action. Then, as I said, the Government took a decision on 24th of November. After that, we know that the Secretary of State came to India on 7th May, 2012 and one of the major agenda she had was to persuade the Government of India to agree to FDI in retail.

Madam, the next spark for action was provided by *The Times Magazine* in its issue dated 16th July, 2012. You can see that it is written with the photograph of our Prime Minister – The Under Achiever. There, one lady, Krista Mahr has prescribed as to what is expected of Dr. Singh. It said that industry leaders are demanding a host of bold reforms such as an end to expensive subsidies, deregulation of diesel prices and resumption of a law to allow multibrand retailers like Walmart into India. The Government originally backed down from such legislation in order to keep coalition members happy. The Government ultimately acted according to the prescription given by *The Times Magazine.* This was what rattled the Prime Minister so much that he acted knowing that he had coalition compulsions. Earlier he had not acted on the 2G scam citing coalition compulsions but knowing coalition compulsions, he went ahead and his Government announced FDI in retail.

The other point that I would humbly mention is about Mrs. Clinton. She was a Director on the Board of Walmart for a long time and when she was trying to become the American President in 2007-08, Walmart executives and lobbies paid for her. She was obviously interested in Walmart getting into India. But why does the Government of India have to respond to the American urgings? Madam, being from Bengal, I remember … (*Interruptions*) Shri Khursheed, I am not yielding. Whatever you have to say, you say later. Madam, I am not yielding.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): Madam Speaker, he is talking of a constitutional authority of another country. I think it is not in the national interest.… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: I just want to mention that it is mentioned under rule 352 as to what we can say and not say in this House and it does not include a reference to a dignitary of any other country. If we mention Aung Sang Suu Kyi in this House, it would not be out of order. We have shown her the respect that she deserves. So, please do not allow him. I am not yielding.

SHRI SALMAN KHURSHEED: I am on a point of order … (*Interruptions*) I seek your ruling in this matter. … (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : Under which rule is he raising the point of order? … (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): आप केजरीवाल का जवाब दीजिए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: What is your point of order?

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : May I speak? It is a question of patriotism. I would appeal to all sections of the House, including those in the ruling benches, including Netaji of SP, who supported the *bandh* against FDI in retail, including the DMK which opposed the FDI in retail, whose base are the retail traders, to forget party affiliations. I am not talking of majority. In this very House wads of currency notes were displayed. We know to what depth Indian democracy can sink to. I am not concerned about that. It is a question of principle. We are from Bengal. It is in Bengal that the sun of freedom set at Plassey. Tagore has written *"boniker mandando dekha dilo rajdando rupe – pohale sarbori*". They come as traders and they become rajas. That is how British behaved. Are we again seeing a repeat of that? Americans coming through Walmart and capturing the Indian market and ultimately the Indian power. This is something which we should not allow.

I would like to ask the Government, through you, as to why does the Government take a divisive decision every time immediately before an American presidential election. The Indo-US Nuclear Treaty took place before an American presidential election. This FDI retail decision took place again before the American presidential election. Where are we going? This is a country of 120 crore population with a tradition of 5,000 years. Are we selling our heads for a few pieces of silver? That is the principal question today. It is between Indian patriots and those opposed to patriotism in India.

Let me talk a little about the Walmart. There are three major companies doing retail in the world. Number one is the Walmart; number two is the Carrefour as Smt. Sushma Swaraj has mentioned; and number three is the Tesco. There are other companies also, like Marks & Spencer. But Walmart is very big. It is so big that its turn over is at least four times bigger than that of the next company. Its turn over is 421 billion US dollars. One billion dollar means 100

crores. So, imagine how much it is. It is 4,21,000 crore dollars. That is its turn over.

Whom are we bringing into India? We are bringing in Walmart which makes a profit of 20,000 dollars every minute. We are bringing in Walmart which sources 82 per cent of its products from China. Shrimati Sushma Swaraj correctly said that bringing in Walmart either helps the Americans or the Chinese. It will not help the Indians. Who is the Prime Minister trying to help? We must realise that this is the question which is upper most in all our minds. Walmart has already entered through the backdoor with Bharti Retail. It is operating in 13 wholesale stores in four States of India.

They say that there are safeguards. What are the safeguards? They will open only in cities with a population of one million or above; that they will source thirty per cent of their products from the SME sector; that they will bring in a capital of 100 million; and that they will spend fifty per cent of their investment in backend operations here.

What did the Parliamentary Standing Committee on Commerce say in June, 2009 on the retail sector? They studied the whole question and gave a very good Report. They said, one, that FDI-driven retailing would be labour displacing. The growth of labour in manufacturing is insufficient to absorb the labour that would be displaced. Two, the global retail chain with deep pockets would sustain losses for many years till their competitors were wiped out. The pricing strategy of large retailers would drive out small retailers resulting in job loss. For a few years, they will sell at low price and then they will sell at high price when their competitors are eliminated. This is the standard Walmart strategy. Three, once the monopoly of global retail chains were stabilised, they would buy cheap and sell dear and disintegrate the established supply chain by controlling both ends of the chain. Lastly, this does not help GDP. Retailing being an intermediate value-added process cannot boost the GDP by itself. So, why are you bringing in FDI in retail?

The hon. Commerce Minister was commenting outside the House that foreign investment will not come in, otherwise. If I may ask how much foreign investment, Mr. Commerce Minister, do you get. About three billion dollars you would get over five years. India has, in any way, 20 billion dollars of foreign investment every year from 2006 to 2009. Three billion dollar is what is traded by the Reserve Bank in foreign exchange market every day. For that, you are going to lead so many small retailers to death? For whom is it meant? … (*Interruptions*) They say as you sold your head for thirty pieces of silver, we are selling the country for 30 pieces of silver to Walmart! Mrs. Clinton does not matter. She was a Director in Walmart. But why are our people so much concerned about it?… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Please do not say about Mrs. Clinton. Shri Khursheed is very much sensitive to that name.

PROF. SAUGATA ROY : I say it is the Secretary of State. Yes, I can understand his sensitivity.… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am telling what you were saying. You objected to name the President; you objected to the mentioning of the name of that person. This only shows how vulnerable you are to the American President!… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए गुरूदास दासगुप्ता जी। कृपया करके बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *...

PROF. SAUGATA ROY : Madam, I am not bothered about Shri Khursheed's sensitivity. He is sensitive to two names – positively, about Mrs. Clinton and negatively about Arvind Kejriwal. These are the two names about which he would react. I am helpless in this matter.

---

* Not recorded.

Madam, what happened in the United States, leave alone the other countries. The entry of Walmart led to the closure of 40,000 US factories. Shrimati Sushma Swaraj was mentioning that this has an effect on the American Industry also because Walmart is importing from China - You may listen to this - between 2001 and 2007, throwing millions of people out of their jobs. In these years, imports from China rose from nine billion dollars to 27 billion dollars. It means, it has tripled. What does that mean? Wherever they get cheap, they will buy from there. If necessary, they will close down the factories in their own country. Between 1992 and 2007, the number of independent retailers fell by 60,000 in America. Now, I want to ask the Commerce Minister, through you, Madam, this question. Have they done any study on the impact of FDI in retail?… (*Interruptions*) Yes, you have done only two studies – one is in the Mid-Term Appraisal of the Tenth Plan. Now, who is the Deputy Chairman of the Planning Commission?… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Prof. Roy, your time is up. Please conclude.

PROF. SAUGATA ROY: I am not mentioning anybody. Who is the Deputy Chairman of the Planning Commission?… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Your time is up. You have another Member also from your Party – Shri Kalyan Banerjee – to speak.

प्रो. सौगत राय : हम इसके लिए मंत्री पद छोड़ दिया। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा रहम कीजिए।...(व्यवधान) Madam, just give me two minutes.

MADAM SPEAKER: Please conclude in a little while.

PROF. SAUGATA ROY: In two minutes, I will wind up.

अध्यक्ष महोदया : आपको टाइम पहले ही दे दिया है।

PROF. SAUGATA ROY : What I was saying was this. You know who the Deputy Chairman of the Planning Commission is. They have said in their Mid-Term Appraisal this thing.

16.00 hrs

FDI in retail would be good for the country, the Ministry made a study by ICRIER – Indian Council for Research and International Economic Relations. Who is it headed by? One Economist named - Dr.Isher Judge Ahluwalia. You know the name. Who is she related to? I do not want to mention. This is the same story. This is the same school; this is the World Bank, IMF school, who plans to sell the country down the drain. We want to say that the growth of Wal-Mart has resulted in decreased wages; shrinking middle class and increase in working poor. Wal-Mart faced allegations of bribery that helped it to set up store much ahead of its competitors in Mexico. Wal-Mart contributes to poverty, which could prove costly in India. Will Wal-Mart help farmers? I heard Congressmen say on television – this is for the sake of farmers. You see a supermarket anywhere. How much space in a supermarket is occupied by fruits and vegetables? Five to 10 per cent. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: What is it? Nothing will go on record.

(Interruptions)[*] …

PROF. SAUGATA ROY : I said, I can understand Shri Chowdhury's anxiety. … (*Interruptions*) He was recently made a Minister. … (*Interruptions*) Also, Shri Chowdhury is enthusiastic. I appreciate his enthusiasm but not his point. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seats.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA : He is saying that States can determine if they will issue licenses under the Shops and Establishments Act to multi-national retailers. This is in conflict with national treatment. If a license is denied, it can be challenged

---

[*] Not recorded.

under Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPA). This is a news. …..… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: What is it happening?

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Let me conclude. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Kindly conclude now.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, to legitimise the entry of multi-nationals in retail, the Government is saying that lot of storage facilities for agricultural produce will be created. Is it not the responsibility of the Government to either create the storage capacity on its own or encourage the private sector to create this by way of subsidies? The Government, having failed miserably, has no right to penalise the small retailers for no fault of theirs.

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: He has got the store houses.… (*Interruptions*) Now, in case of … (*Interruptions*) Is this any logic? I want to know.

Again I want to say that the Commerce Minister is engaging in double speak. He is saying that 30 per cent sourcing will be done from Indian SMEs. It is a political gimmick designed to assuage the feelings of those opposed to FDI in retail which is unlikely to stand scrutiny if foreign retailers challenge it. Such a clause cannot be enforced under the WTO and various Free Trade Agreement obligations. Under the FTAs, the Government has to provide the foreign investor the same treatment that it gives to an Indian manufacturer. Since there is no such procurement clause binding on an Indian retailer, it cannot be imposed on foreign retailers. The Commerce Minister knows that, but he is hiding the fact.

Madam, what they are saying that this is for farmers' benefit is a ruse. The hyper markets only sell manufactured goods and only 5 to 10 per cent space is given for fruits and vegetables. So, the farmers will receive no benefit. They are

saying that they are not going to set up these stores in rural India and only in cities they will be there. … (*Interruptions*)

Madam, all I want to say is that today the future livelihood of 3.3 crore retail traders, who are not parasites to the society, is at stake. If Wal-Mart comes in, the kirana shop, the neighbourhood friendly kirana shop, who knows you by face, who gives you credit, will close down. The farmers will not benefit. India's money will go abroad to Wal-Mart; maybe *(Interruptions) … (Not recorded)* get her share. We will not benefit. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, this cannot go on record.

MADAM SPEAKER: Okay, I will delete it.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. Nothing else will go on record. You have concluded. Thank you so much.

(Interruptions)[*] …

MADAM SPEAKER: Hon. Members, under Rule 353, no allegation of defamatory or incriminatory nature shall be made by a Member against any person unless the Member has given adequate advance notice.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY : Madam, I have already spoken. To whom should I give? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Not to anyone else, but to me. The notice has to be given to the Speaker and also to the Minister concerned. I will call for the proceedings of the speech that you have made just now and if it attracts the provision of Rule 353 and if there are allegations, that would be expunged.

[*] Not recorded.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I am saying something. Please take your seat now.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I am saying that I will call for the records of the proceedings.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, बैठ कर सुनिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों बोल रहे हैं? आप फिर क्यों बोलने लगे? संजय निरूपम जी, आप क्यों बोल रहे हैं? I am in the middle of this.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): इनको भी समझाना है।

अध्यक्ष महोदया : हां, समझा रही हूं। एक नियम 353 है। उस नियम के तहत अगर आपने कुछ भी ऐसा कहा है, जो उस नियम के हिसाब से आपत्तिजनक है तो मैं उसकी प्रोसीडिंग्स मंगाकर देखूंगी और एग्जामिन करूंगी और अगर आपने वह वैसा कहा है तो उसके बाद मैं उसको एक्सपंज कर दूंगी। यह मैं आपको बताना चाहती हूं।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आपकी बात हो गई।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप क्या बोल रहे हैं?

PROF. SAUGATA ROY : Madam, just give me one minute....(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Hassan Khan will speak now.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: I have not concluded, Madam. Please give me one minute.

Madam, it is like the argument in the colonial context that since imported manufactured goods were of superior quality and benefit the consumers, above

numerous peasants, destroyed the livelihoods of millions of artisans and weavers should not be held against the policy that freely allows such imports.

The argument for FDI is a precise recreation of the discourse of colonialism. Now, the countries which have allowed FDI in retail, like, Thailand, Chile, Argentina, Nicaragua, have realised the bad affects of FDI in retail. When you know, when you have the whole world to see just for the tickling of middle-class families to say that we go to our Wal Mart Shop in Delhi, do not destroy the lives of the poor *kirana* shop owners. Do not do that to the poor handcart puller who carries the material to the shop.

Madam, that is why, I am saying that the retail business in India has stood the test of time. It should not be destroyed and if they choose to destroy it by this step, history will never forgive them. With these words, I conclude. Thank you… (*Interruptions*)

SHRI HASSAN KHAN (LADAKH): Madam, I have moved the resolution for omission and modification in the Notification of FEMA tabled in the Lok Sabha on 30 November, 2010. I want that the House may consider and discuss on the motion and suggest its omissions. If I get satisfied and if the arguments are justified, I may not insist for voting, otherwise, let it go as per rules.

श्री कपिल सिब्बल: मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं, अपने प्रधानमंत्री जी का और यू.पी.ए. की चेयरपर्सन का आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर चर्चा करने का मौका दिया।

हम भावुक होकर भाषण तो बड़े जोर-शोर से कर सकते हैं, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, उसको समझने की जरूरत है।...(व्यवधान) मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझाऊंगा। मैडम, पहले तो यह समझना है कि सरकार की नीति क्या है और सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया, कैसे लिया और किन चीजों को सामने रखकर लिया। सबसे पहले तो आखिरी निर्णय यह हुआ कि हिन्दुस्तान के केवल उन शहरों पर मल्टी ब्राण्ड रिटेल एफ.डी.आई. लागू होगी, जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो। अगर आप आंकड़े देखें तो हिन्दुस्तान में 53 ऐसे शहर हैं, जहां जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है तो अगर एफ.डी.आई. मल्टी ब्राण्ड रिटेल लागू होगी तो केवल 53 शहरों में हो सकती है। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जहां विपक्ष की सत्ता है, उनके मुख्यमंत्रियों ने यह जाहिर किया कि वहां वे मल्टी ब्रांड रिटेल नहीं लाना चाहते हैं। कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जहां यूपीए सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, दूसरे भी हैं, वहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल को यहां लागू करना चाहते हैं, वह हैं आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, दमन दीव, दादरा नागर हवेली और पंजाब। ...(व्यवधान) अगर उन सारे शहरों को हम अलग कर दें, जहां प्रदेश नहीं चाहते हैं, उनकी संख्या करें कि यह कितने शहरों में यह हो सकता है, तो 53 भी नहीं, 18 ही रह जाएंगे। इस नीति के आधार पर अगर कोई प्रदेश चाहता है कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, तो मत लागू करें, क्योंकि यह तो एक एनेबलिंग पॉलिसी डिसीजन है। ...(व्यवधान) अगर यह लागू होना है, तो केवल 18 शहरों में लागू होगा। ...(व्यवधान) अगर 18 शहरों में लागू होगा, तो हिंदुस्तान बिक जाएगा, हम सब कुछ अमेरिका को बेच देंगे, वॉलमार्ट हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा, मैं समझता हूं कि यह बढ़ा-चढ़ाकर बात हो रही है। यह जो चर्चा हो रही है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि यह चर्चा क्यों हो रही है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बस हो गया, अब शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शांत रहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : अगर आप अपने प्रदेशों में चाहते हैं कि एफडीआई मल्टीब्रांड लागू नहीं हो, तो मत लागू करो। यह आपका निर्णय है। हम किसी विधान सभा को नहीं कह सकते हैं कि आप जरूर लागू करें। यह तो फेडरल सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं, वहां आप कैसे विरोध कर सकते हैं? यह एक नया नियम पैदा हुआ है। एक नया डेफीनिशन ऑफ ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को कहेगा कि मैं तो यहां लागू नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी लागू नहीं करने दूंगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : यह कौन सी सांविधानिक बात है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी डूबकर ले जाएंगे। ...(व्यवधान) यह कौन सी राजनीति है? मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आयी, अगर आप नहीं चाहते तो मत लागू कीजिए और जहां मुख्यमंत्री चाहते हैं, उनको लागू करने दीजिए। इस डिबेट का मतलब क्या है? यह अनुमति तो हमने आपको दी है, यह अधिकार तो आपकी विधान सभा को हमने दिया है, आपके मुख्यमंत्री को दिया है। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं लागू करना चाहते हैं तो मत लागू करें। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): हम नहीं करेंगे।

श्री कपिल सिब्बल : ठीक है, हम मानते हैं। ...(व्यवधान) यही हमारी नीति है। केरल में हमारी अपनी सरकार है। उन्होंने कहा कि हम नहीं लागू करते। ...(व्यवधान) हमने कहा कि ठीक है, मत लागू करिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : लेकिन जहां मुख्यमंत्री लागू करना चाहते हैं, आपका क्या सांविधानिक हक है कि आप उसका विरोध करें। ...(व्यवधान) यह तो हो गयी मूल बात, मैं समझता हूं कि इस चर्चा की जरूरत नहीं थी, यह केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से हो रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइए। विजया जी, आप क्यों खड़ी हो गयीं?

…(व्यवधान)

SHRI KAMAL NATH: Madam Speaker, I want to appeal, through you, to the Leader of the Opposition, Sushma *ji*… (*Interruptions*) She is herself chatting.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। निशिकांत जी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI KAMAL NATH: Madam, I want to appeal, through you, to the Leader of the Opposition that please let this debate go on the way it is meant to go on. Otherwise, this will start a precedence that when they speak, nobody from here will let them speak. So I appeal to the Leader of the Opposition, through the Speaker, to please control her Members.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप सभी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डिबेट कैसे होगी? आप सभी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैडम, हमारी मूल नीति क्या है? मूल नीति यह है कि हमने यह निर्णय …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: What is this?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: We would not proceed with the debate. What is the point?

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : किसी का जवाब नहीं देना है। आप शांति से बैठिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let us go on with the debate.

… (*Interruptions*)

श्री कपिल सिब्बल : कोई भी मल्टी ब्रांड रिटेल में आना चाहता है तो उसको सबसे पहले 100 मिलियन डालर निवेश करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let us have the debate.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

*(Interruptions)** ...

MADAM SPEAKER: Please sit down.

*(Interruptions)**...

श्री कपिल सिब्बल : सबसे पहले उसे 100 मिलियन डालर निवेश करना पड़ेगा। उसमें से 50 प्रतिशत, 50 मिलियन डालर बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंवेस्ट करना पड़ेंगा?...(व्यवधान) इसका क्या मतलब हुआ? Post harvesting, food processing, warehousing, inventory management, farmer support system and competitive dynamics to benefit consumers, farmers, processors and suppliers.

अध्यक्ष महोदया : यह निर्बाध चल रही है।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : 50 मिलियन डालर बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको इंवेस्ट करना पड़ेगा।...(व्यवधान) और साथ-साथ में यह भी तय है कि जो 50 मिलियन डालर है उसको तीन साल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ...(व्यवधान) जब से उसको अनुमति मिलती है उसके तीन साल तक उसे 50 मिलियन डालर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी वह अपनी रिटेल चला सकता है। ...(व्यवधान) यह तीसरी बात है।

चौथी बात यह है कि जो वह मैन्यूफैक्चर की चीज बेचेगा, उसका जो सोर्सिंग है - तीस प्रतिशत एमएसएमई सेक्टर से आएगा। इसका मतलब है कि वह जब तक तीस प्रतिशत मैन्यूफैक्चरिंग प्रोडक्ट एमएसएमई सेक्टर से सोर्स नहीं करेगा तब वह नीति का उल्लंघन करेगा। ...(व्यवधान) और एफआईपीबी अप्रूवल नहीं मिलेगा। ...(व्यवधान) यह है नीति। ...(व्यवधान) वालमार्ट की बात बढ़ा-चढ़ा कर हो रही थी। इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सुषमा जी को आंकड़ ज्यादा मालूम हैं। ...(व्यवधान) मैं उनको

* Not recorded.

एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। जब चीन ने वर्ष 1992 में एफडीआई सेक्टर को ओपन किया। इसे पहले छः प्रान्तों में और साथ-साथ स्पेशल इकोनॉमी जोन में ओपन किया और वालमार्ट जब आया तो पहली बार, पहले वर्ष उसका प्रॉफिट वर्ष 2008 में आया। वर्ष 2008 तक वह घाटे में चल रहा था। यह आंकड़ा है। ...(व्यवधान) यह मैं आपको बता सकता हूं। ...(व्यवधान)

दूसरी बात, मैं आज की स्थिति बताता हूं। ...(व्यवधान) इनका एफडीआई इन रिटेल 100 प्रतिशत है। I am reading from Forbes – International Retailers Struggle In China.

It says:

> "Even the two earliest entrants into China's retailing industry, Wal-Mart Stores Inc. and Carrefour, are struggling to make their business models work in the country."

वॉलमार्ट चाइना में फेल हो गया, वर्लपूल भी फेल हो गया और आप कहते हैं कि वॉलमार्ट ने सबको खरीद लिया।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): करोड़ों रुपये दे देते हैं और अब नाटक कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Kapil Sibal says.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : जब सुषमा जी अपना भाषण दे रही थीं, उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट का वर्णन किया तो मैंने उनसे पूछा कि उसकी डेट बता दीजिए। उन्होंने डेट नहीं बताई। शायद इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर डेट बता देतीं तो पता चल जाता कि बीजेपी का निर्णय था कि एफडीआई में रिटेल होना चाहिए।...(व्यवधान) मैं उसके बारे में बताऊंगा। मई 14, 2002 में एक जीओएम बैठा। The then

* Not recorded.

Minister of Commerce, Shri Murasoli Maran, prepared a Note for that GoM. I will just read what that Note says. It says:

> "1. Huge capital infusion by foreign investors, as modern organized retail business involves substantial investments in real estate, storage and transport logistics, IT applications, marketing and merchandising, etc., and, therefore, FDI multi-brand retail should be allowed.
>
> 2. A direct fallout of huge FDI in this sector would be employment generation …. "

बिल्कुल इनके विरुद्ध जो यह कह रही हैं।

It says:

> "2. A direct fallout of huge FDI in this sector would be employment generation both direct and indirect. Notwithstanding the capital intensity of modern retail business, it also continues to be labour intensive.
>
> 3. Enhancement of productivity and efficiency gains through introduction of modern technology and management skills, compression of distribution chain and adoption of global best practices.
>
> 4. A direct fallout of higher productivity would be lower prices of goods, which would directly benefit consumers.
>
> 5. Lower prices and marketing skills would stimulate demand and consumer spending.
>
> 6. A strong FDI presence in the retail sector would act as a driving force in attracting FDI in upstream activities as well, especially in food processing and packing industries. They also motive their worldwide suppliers to set up business in the new location to maximize the advantages of localization in terms of production costs."

इसके बाद क्या हुआ। बीजेपी ने वर्ष 2004 में अपने मैनिफैस्टो में क्या कहा, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) I am reading the Vision Document. It says:

> "Trade and Commerce: Organized retail trade on the international pattern will be promoted as a new engine of growth for trade and employment through appropriate legal and fiscal measures. 26 per cent FDI in retailing will be allowed. Sourcing of Indian products by foreign retail chains would be encouraged. "

It is your document. Own up your document. … (*Interruptions*)

तभी मैंने सुषमा जी से उस प्लानिंग कमीशन की तारीख मांगी थी, क्योंकि यह तारीख वर्ष 2004 से पहले की है। इन्होंने फिर भी अपना इरादा बदल दिया। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी इरादा बदल दिया क्योंकि इनके विजन डौक्यूमैंट में यह बात लिखी गई।...(व्यवधान)

अभी जसवंत सिंह जी यहां बैठे हुए थे। जसवंत सिंह जी ने इसके बारे में क्या कहा। अप्रैल 12, 2004 में कहाः "It is a part of our Agenda and we are committed to it."

आज कुछ और कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा। जो बात हो रही है कि हमारी डोमैस्टिक सप्लाई चेन सब खत्म हो जाएंगी, सब टेक ओवर हो जाएगा। जसवंत सिंह जी से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहाः

> "Many said that Kentucky (KFC) will drive the *dhabas* out of the market. The *dhabas* have driven out Kentucky. The Indian *sherbat* is still there despite Coca Cola and Pepsi. Don't underestimate India. Our experience is that the Indian brand has great strength."

वर्ष 2004 में आपने यह निर्णय लिया। फिर आपने इरादा बदल दिया। जब इंडिया शाइनिंग कैम्पेन नतीजा आपके सामने आया तो आपने इरादा बदल दिया। आपने सोचा कि इससे सत्ता में वे लोग आये, हम तो आये ही नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपना इरादा बदल दें। आपका इरादा क्या था, वह भी मैं पढ़ देता हूं। मैं आपका वर्ष 2009 का मैनिफेस्टो भी पढ़ देता हूं कि उसमें आप क्या कहते हैं?

> "The BJP understands the critical importance of retail trade in the context of employment and services provided by them, and thus favours a dominant role for the unincorporated sector in retail trade. Towards this end, it will not allow foreign investment in the retail sector. After agriculture, the retail sector is the largest employer of nearly four crore people."

So, you have said that you favour a dominant role of unincorporated sector in retail trade and allow foreign investment in the unincorporated sector. वह फॉरेन इन्वेस्टमैंट कहां से आयेगी? फॉरेन इन्वेस्टमैंट अनइनकोरपोरेटिड सैक्टर में कैसे आयेगी, यह हमें बता

दीजिए। कौन से इंडीविजुअल में इन्वेस्टमैंट आयेगी, मुझे बताइये। ...(व्यवधान) अभी तक तो बताया नहीं, आठ साल बीत गये। ...(व्यवधान) आठ साल बीत गये, आपने यह नहीं बताया कि कैसे अनइनकोरपोरेटिड सैक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमैंट आयेगा। ...(व्यवधान) कौन सा अनइनकोरपोरेटिड सैक्टर गांव में इन्वेस्ट करेगा, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेगा, स्मॉल स्केल सैक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा? उनके पास तो पैसा ही नहीं रहता। कैपिटल कहां से आयेगा? बैंक्स से लोन कहां से मिलेगा? हमारा एमएसएमई सैक्टर आज बैंक्स से लोन ले नहीं सकता। क्रेडिट तो मिलता नहीं है और फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां आकर उनको पैसा देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने वर्ष 2004 में निर्णय लिया और वर्ष 2009 में बदला, आप बताइये कि क्यों बदला, कैसे बदला और किस वजह से बदला? ...(व्यवधान) आठ साल हो गये, आपने आज तक नहीं बताया। ...(व्यवधान) मैं आपको एक बड़ी ...(व्यवधान) फिर चिली, अर्जेंटीना, चाइना, थाईलैंड आदि बाहर के देशों की बात हो रही है। हम कोलकाता, वैस्ट बंगाल की बात करते हैं। असलियत तो पता चल जायेगी ...(व्यवधान) वैस्ट बंगाल की बात करते हैं। आज के दिन वैस्ट बंगाल में क्या हो रहा है? ...(व्यवधान) आपको मालूम है कि वैस्ट बंगाल में पेप्सिको कम्पनी किसानों से आलू खरीदती है। वहां क्या हो रहा है? जब सीपीएम थी तब शुरू हुआ था। वर्ष 2010 में प्रोक्योरमैंट 22 हजार मीट्रिक टन था जो आज वर्ष 2012 में 69 हजार मीट्रिक टन हो गया है, यानी दो साल में। जो किसान ...(व्यवधान) और यह प्री एग्रीड प्राइज पर होता है। पेप्सिको किसान के साथ तय कर लेती है कि कौन सी प्राइज पर उसे लेना है। ...(व्यवधान) कांट्रैक्ट सामी नहीं, प्री एग्रीड प्राइसिंग है। आप गलत कह रहे हैं। ...(व्यवधान) It is not contract farming; you are wrong. उसमें क्या हुआ? पेप्सिको का पहले 1800 फार्मर्स के साथ समझौता था लेकिन अब 10 हजार फार्मर्स हो गये हैं। वर्ष 2008 में 1800 फार्मर्स थे लेकिन अब 10 हजार फार्मर्स के साथ उनका समझौता है। जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन था, वह वर्ष 2011 में 5 हजार 500 एकड़ था, आज वह 7 हजार एकड़ है। इसका मतलब यह है कि आप वैस्ट बंगाल में वही काम कर रहे हैं जिसका आज यहां विरोध कर रहे हैं। ...(व्यवधान) वैस्ट बंगाल में आप वही काम कर रहे हैं जिसका यहां विरोध कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं बताता हूं। रिटेल की भी बात करता हूं। रिटेल बिग बाजार, रिलायंस रिटेल मेट्रो कैश एंड कैरी की भी बात करता हूं। वे आंकड़े भी मेरे पास हैं। मैं आपको मेट्रो कैश एंड कैरी की बात करता हूं।

Metro Cash & Carry says:

"Our partnership with farmers ensures they find a wider market for their fresh produce through collection centres located close to their farms. Farmers benefit from reduced transportation costs, extensive

> training opportunities and a reliable and transparent electronic payment system."

ताकि किसान को उसी वक्त पैसा मिलता है जब वह चाहता है, जब उसकी जरूरत होती है। वह बाहर मनी लेंडर के पास नहीं जाता जिसकी यहां चर्चा हो रही थी। पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में एक विपक्ष की नेता ने मनी लेंडर के पक्ष में बात की। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मैंने आढ़ती की बात की, साहूकार की बात नहीं की। । ...(व्यवधान) आप गलत बयानी मत कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख होता है। ...(व्यवधान) आपने कहा कि वह बेचारा कहां जाये, वह तो मनी लेंडर के पास जाता है। ...(व्यवधान) मनीलेंडर एटीएम हो गया किसान का, यह आपने कहा है।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने साहूकार की बात ही नहीं की, मैंने आढ़ती की बात की, जो अनाज बेचता है। आपको साहूकार और आढ़ती का अंतर ही नहीं पता है।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: फिर हम दाम की बात करते हैं। जो दाम किसान को एक किलो आलू के लिए बाजार में दाम तीन रुपये मिलता है और उसे पेप्सीको 5.75 रुपये देती है। बाजार में तीन रुपये और यहां लगभग छः रुपये मिलते हैं। वर्ष 2010-11 में बाजार में 3.80 पैसे से पांच रुपये तक दाम था और यहां पर छः रुपये मिलते थे। इस तरह किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पर पैसा मिलता है। आम किसान क्या करता है, यह मैं आपको बताता हूं।...(व्यवधान) आम किसान की हालत यह है कि उसे पता नहीं है कि मुझे कब मार्केट जाना है। उसको पता नहीं है कि मैं कब बेचूंगा और जो वह बोता है, उसका 35 से 40 प्रतिशत खराब हो जाता है। ...(व्यवधान) We are the second largest fruit and vegetable producer in the world. … (*Interruptions*) We are the second largest producer of fruits and vegetables in the world. We produce more than 200 million tonnes of fruits and vegetables, and imagine 35-40 per cent of those fruits and vegetables get wasted, which means something like 80 million tonnes and calculate the value of those 80 million tonnes. Out of 200 million tonnes, 80 million tonnes get wasted. Calculate the value of those 80 million tonnes. It comes to thousands of crores.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions)[*] ...

SHRI KAPIL SIBAL: What is the purpose of this policy? The farmer should get a higher price than he gets in the market, in the *mandi*. The farmers should get a higher price.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. What is this going on? Please sit down.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

श्री कपिल सिब्बल: किसान को, जो वह बोता है, उसका दाम अच्छा मिलना चाहिए। अब यह साबित हो गया है कि वेस्ट बंगाल में उसको मार्केट प्राइस ज्यादा मिलता है। दूसरी बात यह है कि जब किसान बोता है और बेचने जाता है, तो उसके पास मार्केट नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि किस मार्केट में जाना है। अगर वह मंडी में बेचने जाता है, तो उसका 35 से 40 प्रतिशत सामान खराब हो जाता है और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं।...(व्यवधान) ऐसी स्टडीज की गयी हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17 प्रतिशत पैसा ही मिलता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : गणेश सिंह जी, आप बैठ जाइए। Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

MADAM SPEAKER: Please sit down. Nothing will go on record.

*(Interruptions) *...*

श्री कपिल सिब्बल: किसान का जो माल मार्केट में बिकता है, उसका केवल 15 से 17 प्रतिशत किसान को मिलता है, बाकी पैसा बिचौलियों को चला जाता है। विपक्ष के नेता और विपक्षी दलों को यह तय करना है कि वे किसान के साथ हैं या बिचौलियों के साथ हैं। ...(व्यवधान) यह आप तय कर लीजिए। हमारी पार्टी किसान के साथ है, उपभोक्ता के साथ है, एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों के साथ है, जो युवा लोग हैं, जिनको इसके द्वारा नौकरियां मिलेंगी, उनके साथ है और आप केवल बिचौलियों के साथ हैं। यह साफ जाहिर हो गया है। आप कहती हैं कि फार्मर को क्या फायदा होगा, मैंने बता दिया है कि पैसा ज्यादा मिलेगा, पैसा टाइम से मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी कि कैसे बोना है,

---

[*] Not recorded.

कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा और उसका एक श्योर बायर है।...(व्यवधान) उसका बायर पक्का हो गया है। उनका एक समझौता हो गया प्री-प्राइसिंग एग्रीमेंट में हमने तुमसे आकर लेना है।

MADAM SPEAKER: Please let him speak

. … (*Interruptions*).

MADAM SPEAKER: He just starts to speak.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: What is this going on?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)** …

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, उनकी बारी है उन्हें बोलने दीजिए। अगर आपका मन बोलने का है तो हम उन्हें बैठाकर आपको बोलने दें, क्या करें? आप बैठ जाइये।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)** …

MADAM SPEAKER: What is this going on?… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: What you want me to do.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: How do I run the House if you have running commentary?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Anurag ji, please keep quite.

… (*Interruptions*)

श्री कपिल सिब्बल : मैं कोर्न की बात करता हूं। वैस्ट बंगाल के बर्दवान में एक किसान जिसका नाम राम प्रसाद गोसाल है से पूछा गया कि कोर्न का तुम्हें कितना दाम मिलता है। He said and I quote,

> "this year I have produced corn, which is sold at Rs.12 per kilogram in urban markets but I have been able to sell it at Rs.5 per kilogram in the *mandi*."

* Not recorded.

It means, he is only able to sell it at Rs.5 in the *mandi*. भाव उसका 12 रुपये है यानी उसे 7 रुपये का नुकसान होता अगर वह मंडी में जाता और आप कह रही थीं कि किसान को बड़ा नुकसान होता है, किसान खत्म हो जाएंगे, उपभोक्ता को फायदा नहीं होगा।

श्री कल्याण बनर्जी : इतनी छोटी जगहों पर कभी गये हैं आप?

श्री कपिल सिब्बल : हां मैं गया हूं, आपको बड़ी गलतफहमी है, आपके वैस्ट बंगाल में भी गया हूं और आपके नजारे भी देखें हैं।...(व्यवधान) सबसे विचित्र बात यही है कि ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं रिटेल की बात करते हैं तो मैं उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात आपको बता दूं। इनकी सरकारों ने आंग्स्टेन यंग को बुलाया और बोला कि किसी तरीके से हमें बताओ कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे कृषि के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा - We want to link the farmer to corporate value chain. यही जो विरोध कर रहे हैं वहां आंग्स्टेन यंग को पूछ रहे हैं कि - Please allow us to link the farmer to corporate value chain. And, according to Ernst & Young: They are not only seeking interest of Indian retailers but global food companies as well. In the case of Odisha, Ernst& Young is looking to bring in Loblaws of Canada, Barakat and Jim's Food Chains of the Middle East. मतलब कि आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, बयानबाजी कुछ है, असलियत कुछ है। ...(व्यवधान) मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। वामपंथी दल भी यहां बैठे हुए हैं जो बड़ा विरोध करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। मुझे उस दिन अजीब सा लगा कि माननीय सुषमा जी, जेटली साहब और सीताराम जी एक ही मेज पर बैठे हुए थे। लगता है कि आपकी फिलॉसफी विपक्ष में होने के बाद बदल गयी है। पहले आप लिब्रलाइजेशन का स्वागत करते थे अब खिलाफ हो गये हो। जब आप सत्ता में होते हो तो ग्लोबलाइजेशन स्वदेशी हो जाता है, जब आप विपक्ष में होते हो तो स्वदेशी हो जाता है इकोनोमिक नेशनलिज्म। यह आपकी नीति है। चलिये, मैं आपको माननीय सीताराम येचुरी जी का मई 16, 2004 का हिंदू बिजनैस लाइन में छपा बयान बता दूं। क्या कहते हैं सीताराम येचुरी जी - "Mr. Yechuri also dismisses the idea that his party was against Foreign Direct Investment in the retail sector." According to him, it was not possible for the country to remain insulated in the present era of globalization. He again said, at the same time, FDI should fulfil three conditions. I entirely agree with Yechuri ji. It should augment productive capacity instead of asset acquisition; should lead to technology upgradation and should generate employment. If these

three things are satisfied, foreign investment could be anywhere – retail or wholesale.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Basu Deb Acharia ji, please sit down.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions)[*] …

श्री कपिल सिब्बल : इसमें कोई ऐसा रेक्वीजीशन नहीं होता है, यह तो हम जानते हैं क्योंकि हमने कहा है कि आपके जो एसैट बनेंगे, आप जब कहीं भी वॉलमार्ट बनाओगे तो उसमें पचास प्रतिशत, 15 मिलियन डॉलर नहीं जोड़ा जाएगा। वह तो आपका सैपरेट इंवेस्टमेंट होगा। इसलिए उसमें एज सच रेक्वीजीशन नहीं है। अगर आप स्मॉल स्केल सैक्टर में इंवेस्टमेंट करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। यह बात तय है क्योंकि आप यहां से प्रिक्योर करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने का मौका मिलेगा। आप हमारा ऑटोमोबाइल सैक्टर देख लीजिए। पिछले दस सालों में जब कम्पोनेंट इंडस्ट्री हिन्दुस्तान में थी ही नहीं और यह बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कम्पोनेंट इंडस्ट्री नहीं थी और सभी डर रहे थे कि फॉरेन कंपनीज आ जाएंगी तो ऑटोमोबाइल सैक्टर का क्या होगा? आज का दिन है कि हमारी कंपोनेंट इंडस्ट्रीज विश्व की सारी मोटर कंपनीज को कंपोनेंट्स सप्लाई करती हैं। हमारे कंपोनेंट्स के बिना दुनिया में गाड़ी नहीं बन सकतीं। …(व्यवधान) यह हाल है।

आप हमारे फार्मा सैक्टर को देखिए। बड़ा विरोध होता था। जब प्रोडक्ट पेटेंट की बात आई और हमने इनका समर्थन किया क्योंकि ये उस समय सत्ता में थे लेकिन जब ये सत्ता में नहीं रहे तो वर्ष 2004 में जब हम प्रोडक्ट पैटेंट दिलाने के लिए गये तो इन्होंने विरोध किया और कहा कि हम नहीं बनने देंगे। इन्होंने फार्मास्युटिकल्स में विरोध किया। पैकेट्स में विरोध किया। डब्ल्यूटीओ के समय में भी उस समय जब प्रणब मुखर्जी साइन करने के लिए गये थे तो वहां आपने विरोध किया। आपने कहा कि we lost the trust of the people of this country; we will never allow liberalisation. फिर आपके के.एन.शर्मा ने जब आप सत्ता में आ गये तो उन्होंने बयान दिया कि we will embrace liberalisation. …(व्यवधान)

---

* Not recorded.

इसलिए असलियत तो यह है कि इस देश की जनता नहीं जानती कि आपकी नीति क्या है? लेकिन देश की जनता यह जानती है कि आपकी नीयत क्या है?...(व्यवधान) अगर आप फार्मा में, जेनरिक्स में विश्व की पहली बड़ी दस कंपनीज के नाम गिनेंगे तो देखेंगे कि उनमें से तीन कंपनीज हिन्दुस्तान की हैं। जहां जहां हमारे उद्योगपति को, हमारे नागरिक को अवसर मिला, उसने दुनिया में दिखा दिया कि हम अव्वल हो सकते हैं।...(व्यवधान) लेकिन आप नहीं चाहते। मैं आपको असलियत बताता हूं कि असलियत क्या है? जब हम यहां खड़े होते हैं तो हम विपक्ष की ओर देखते ही हैं। ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर): अध्यक्ष महोदया, मेरी गुजारिश है कि हमारी इतनी अच्छी फार्मास्युटिकल्स कंपनीज हैं, आप कम से कम सारे देश के लिए एक अच्छा काम कीजिए कि कोई अच्छी दवाई इनको दिलवा दीजिए, इन्हें समझ तो आ जाएगा।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : अध्यक्ष महोदया, मुझे ताज्जुब होता है कि सुषमा जी ने कह दिया कि यह जो हमने नीति बनाई है, this is in violation of the Bilateral Investment Protection Agreement and WTO, both. I am surprised. Let me just tell Sushmaji that under the WTO, multi-brand retail trading is classified as a service and therefore covered by the General Agreement on Tariffs and Trade in Services. India has not undertaken any commitment in this area under GATTS. आपने कह दिया तो क्या आप यह समझ लेंगे कि दुनिया ने समझ लिया और आपकी बात सच हो गई? यह बहुत दुख की बात है कि विपक्ष की नेता होकर आपने ऐसी बात कर दी। आप ऐसा मैसेज दे रही हैं।

दूसरी बात आपने 'बाईपा' की कही। वह भी मैं आपको बता देता हूं। The BIPA is a post establishment investment agreement. This implies that once an investor enters the country, the investor must be treated the same as a domestic investor unless the limitations to national treatment are clearly spelt out at the pre-establishment stage. The FDI policy is a pre-establishment instrument and therefore not covered by it. सुषमा जी, जब आप बोलती हैं तो इतना अच्छा बोलती हैं कि हम समझते हैं कि सब सच है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप जो कह रहे हैं मैं इन सबके जवाब राइट टू रिप्लाई में दूंगी। आप जितनी बातें कह रहे हैं मैं सबका जवाब दूंगी। ...(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, there are other aspects to it also, apart from the consumer and apart from the agriculturists. Look at the state of the economy in this country. The state of the economy is such that we are running both current account deficit and fiscal deficit. … (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Who is responsible? … (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: Please understand. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him speak. Let him elaborate what he is saying.

… (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: Why do you not sit down?

अध्यक्ष महोदया : बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: So, one of the ways also to garner foreign exchange, which will reduce the deficit, is to allow FDI in sectors that will benefit the economy of this country. Therefore, that is also one of the reasons, apart from the fact that it is beneficial to farmers, beneficial to consumers, beneficial to the economy and beneficial to creating employment. This is another issue which needs to be looked at.

The third issue is that I want to give some numbers so that they understand it. If you really look at the population of this country, if you look at 2011 Census, हमारी जनसंख्या लगभग 1.18 बिलियन है जो वर्ष 2020 में लगभग 1.656 बिलियन हो जाएगी। 2030 तक 225 मिलियन और लोग जनसंख्या में जुड़ जाएंगे। मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं कि आज के दिन हिन्दुस्तान की अर्बन पापुलेशन 340 मिलियन है जो वर्ष 2020 में बढ़कर 465 बिलियन हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगले आठ सालों में अर्बन पापुलेशन 125 मिलियन और हो जाएगी, 42 करोड़ हो जाएगी। युवा लोगों को नौकरियां चाहिए। जब तक मैन्युफेक्चरिंग सैक्टर में बढ़ावा नहीं करेंगे, नौकरियां उपलब्ध नहीं होंगी। केवल सर्विस सैक्टर से काम नहीं चलेगा इसलिए हमें ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट मैन्युफेक्चरिंग के बारे में बताता हूं, यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में जो अब इन्वेस्टमेंट आ रही है वह ज्यादातर मैन्युफेक्चरिंग में आ रही है। पिछले साल 58 बिलियन एफडीआई आया था और उसमें 71 प्रतिशत मैन्युफेक्चरिंग सैक्टर में

है।...(व्यवधान) मैन्युफेक्चरिंग सैक्टर द्वारा युवाओं को जॉब्स मिलेंगी। जहां तक चाइना की तुलना की बात है, मैं आंकड़ा बता देता हूं कि क्यों लोग चाइना से हिन्दुस्तान में आ रहे हैं? चाइना में वेजिस पिछले साल 16 प्रतिशत बढ़े और एफिशिएंसी लैवल 14 प्रतिशत बढ़ा है। हिन्दुस्तान में एफिशिएंसी लैवल 17 प्रतिशत बढ़ा है और वेजिस नहीं बढ़ी। इसलिए आज के दिन लोग चाहते हैं कि लोग हिन्दुस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट और मैन्युफेक्चरिंग करें। यह हमारे युवा लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहां होगा तो नौकरियां पैदा होंगी और नौकरियां पैदा होंगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या आप युवाओं के भी खिलाफ हो, रोजगार के भी खिलाफ हो? आप किसके पक्ष में हो? क्या आप कन्ज्यूमर के खिलाफ, फार्मर के खिलाफ, युवा के खिलाफ हो?..(व्यवधान) सुषमा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं? समानांतर भाषण दिए जा रहे हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मैं चांदनी चौक से मैम्बर आफ पार्लियामेंट हूं, मैं अपनी कांस्टीटुएंसी की बात ही करता हूं, बाकी की बात नहीं करता हूं। अगर वालमार्ट यहां आयेगा तो कहां दुकान लगायेगा, मुझे यह बता दीजिए, वह दिल्ली में तो दुकान लगा नहीं सकता। अगर लगाना चाहेगा भी तो जगह नहीं मिलेगी, यदि जगह मिलेगी तो इतनी महंगी मिलेगी कि उनका इकोनोमिक मॉडल ही खराब हो जायेगा। फिर निश्चित रूप से उसे एनसीआर रीजन में 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। मेरी कांस्टीटुएंसी में किस किस्म के लोग रहते हैं। वहां चालीस प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, उनके पास शायद साइकिल ही होगी। अब वे साइकिल पर वालमार्ट जाने वाले नहीं हैं। बाकी चालीस प्रतिशत लोग जिनके पास एक स्कूटर या मोटरसाइकिल होगी, वह भी होनी मुश्किल है, वे बीस-तीस किलोमीटर दूर वालमार्ट में कुछ खरीदने के लिए जाने वाले नहीं हैं और अगर चले भी जायेंगे तो स्कूटर पर क्या वापस लेकर आयेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि स्कूटर पर क्या लेकर आयेंगे और वे जिन घरों में रहते हैं, वे तीन-तीन कमरे के घर हैं। जहां सात-आठ लोग रहते हैं, वहां स्टोर करने की जगह नहीं है, वहां फ्रिज में जगह नहीं है। अगर ये लोग वालमार्ट में जाकर सामान लायेंगे तो ये अपने फ्रिजों में कहां रखेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान) वे लोग अपने रेहड़ी वाले से बाई करेंगे, होलसेल मार्केट से बाई करेंगे। यह क्या बहस हो रही है। सुषमा जी इतनी समझदार नेता हैं, उन्हें तो हिंदुस्तान की वास्तविकता का पता है। उन्हें पता है कि गरीबी कितनी है, उन्हें पता है कि कोई आदमी मोटरसाइकिल पर वालमार्ट में कोई चीज खरीदने के लिए नहीं जायेगा। फिर वालमार्ट से कौन खरीदेगा? वही तीन-चार सौ बिलियन लोग, वही तीस करोड़ लोग, जो आज के दिन

मिडिल क्लास कहलाते हैं या जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं, जो मार्केट अमरीका से भी ज्यादा है। क्योंकि उनकी संख्या भी तीन सौ मिलियन है। उस मार्केट को केटर कर रहे हैं। अगर आपके यहां विदेशी पूंजी आ रही है, करोड़ों रुपये हिंदुस्तान में आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है, उपभोक्ताओं को अच्छी चीजें मिल रही हैं तो आपका विरोध क्यों है, मैं पूछना चाहता हूं कि विरोध किसलिए है? इसीलिए आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको तकलीफ हो रही है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप ऐसे मत करिये, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कृपया बैठ जाइये। गणेश सिंह जी, आप बैठ जाइये। आप क्या कर रहे हैं। इतना व्यवधान क्यों कर रहे हैं। हर समय, निरंतर एक मिनट भी रुके बिना आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कृपया शांत रहिये, उनकी बात सुन लीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : मुझे लेफ्ट की प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आती है, यह किसलिए विरोध कर रहे हैं। इनकी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट आइडियोलोजी है। इनकी तो आइडियोलोजी इम्पोर्टेड है, फिर आप किसलिए विरोध कर रहे हैं। जहां तक आपका सवाल है, मुझे मालूम नहीं है कि आप क्यों विरोध कर रहे हो। आप तो मल्टी ब्रांड पार्टी हैं और कम्पिटिशन अच्छी बात है। ब्रांड में कम्पिटिशन होगा तो सुषमा जी आप आगे जायेंगी। फिर आप किसलिए विरोध करती हैं। चीन में एफडीआई सौ प्रतिशत, रूस में एफडीआई सौ प्रतिशत, चिली में एफडीआई सौ प्रतिशत और जो यह कह रही थीं कि जो प्रोक्योरमैन्ट होता है, लगभग 90 प्रतिशत उसी मार्केट से होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आइकिया फर्नीचर बनायेगा तो क्या लकड़ी कनाडा से इम्पोर्ट करेगा? तभी मुझे ताज्जुब था, सुषमा जी कह रही थीं कि तीस प्रतिशत तो एमएसएमई से आयेगा और 26 प्रतिशत इम्पोर्ट होगा। लेकिन कहां से इम्पोर्ट होगा, अगर इम्पोर्ट होगा तो बेच ही नहीं सकेंगे। एफडीआई इन रिटेल का मतलब ही यह है कि जो एफडीआई इन रिटेल यहां आयेगा, उसकी सोर्सिंग हिंदुस्तान से होगी। उससे हिंदुस्तान के एसएमई सैक्टर को फायदा होगा और बाकी सैक्टर्स को भी फायदा होगा।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये, क्यों खड़े हो गये। रामचंद्र जी, आप बैठिये।

…(व्यवधान)

17.00hrs

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): If it is beneficial, why is their Government in Kerala opposing it? Their own State Government in Kerala is opposing it. Please explain that. … (*Interruptions*)

श्री कपिल सिब्बल : मैडम स्पीकर, अब मैं अपनी आखरी बात रखूंगा। …(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम कांग्रेस केरल में क्यों अपोज़ कर रही है? इससे सबसे ज्यादा नुकसान देश के मुस्लिमों को होने वाला है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनुराग जी, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions)** …

श्री कपिल सिब्बल : मैं आखरी बात कहना चाहता हूँ कि यहां लोकतंत्र और डैमोक्रेसी की बात की जाती है। विपक्ष के नेता को मैंने बड़े ध्यान से सुना है। जब-जब ये हाऊस नहीं चलने देते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास नंबर्स हैं। हम डिबेट करेंगे तो सत्ता पक्ष जीत जाएगा। मतलब कि डिबेट करने का तो कोई मायने ही नहीं हैं। इसलिए हम हाऊस ही नहीं चलने देंगे। यह बयान आया है। जेटली साहब का बयान है। मैं पढ़ देता हूँ। …(व्यवधान)

He says -

“If we would have taken debate under Rule 184, they would have won because they have the numbers.”

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैडम, मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है।…(व्यवधान) वे दूसरे सदन के नेता हैं।…(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: Shri Jaitley said it. … (*Interruptions*)

श्री निशिकांत दुबे : आप उनका नाम नहीं ले सकते हैं। …(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैं उनका नाम क्यों नहीं ले सकता हूँ?…(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : नहीं, आप उनका नाम नहीं ले सकते हैं। …(व्यवधान) वे दूसरे सदन के नेता हैं।

अध्यक्ष महोदया : मैं, इस बात को दिखवा लूंगी। आप बैठ जाइए।

---

* Not recorded.

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : वे विपक्ष के नेता हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, हम इसको दिखवा लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : वे भाजपा के नेता हैं। ...(व्यवधान) ये बयान उन्होंने बाहर दिया था। ...(व्यवधान) ये बयान उन्होंने सदन में नहीं दिया था। ...(व्यवधान) मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) वे कहते हैं कि डिबेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है ...(व्यवधान) "We have the numbers and we would have won". क्योंकि उनको उस समय लगता था कि शायद हम जीत सकते हैं। अब वे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। अब कहते हैं कि वोट होना चाहिए। ...(व्यवधान) जब सुबह-सुबह पता लगा कि वे भी हार जाएंगे तो बोले आज नहीं होना चाहिए। कल होना चाहिए। परसों होना चाहिए। तीस दिन के बाद होना चाहिए। ...(व्यवधान) अब आपको पता चल गया है कि वोट किस तरफ है। ...(व्यवधान) ये तो साफ़ ज़ाहिर हो गया है कि आपको पता चल गया है कि आप कहां हैं। ...(व्यवधान) When we look at this side of the House, Madam, we just do not look at the Opposition; we look at the young beyond the House; we look at those energetic faces, those young people. … (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, हमारे यहां चर्चा की तारीख और समय बीएसी में तय हुआ था। आप स्वयं प्रिसाइड कर रही थीं। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। क्या हमने कहा था कि कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे? ...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : आपने अभी यह बात कही है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : ये बेवजह की बात कर के गुमराह कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : आपने अभी यह कहा है कि हमें वोट नहीं चाहिए। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह तय किया गया था कि 4 तारीख को चर्चा करेंगे।...(व्यवधान) हम तो सेम डे करने को तैयार हैं। ...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : आप कह रहे थे कि हमें वोट नहीं चाहिए। 30 दिन के बाद वोट करेंगे। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : हमने कब कहा? हमने नहीं कहा है। ...(व्यवधान) हम उसी दिन कर लेते। ...(व्यवधान) आप लोगों ने चार दिन संसद नहीं चलने दी। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All right, I will see.

… (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: Shrimati Sushma Ji, I am closing. … (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मगर ये लगातार गलत बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) लगातार गलतबयानी कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, मैं दिखवा लूंगी।

...(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, how will I carry on, if they do not allow me? … (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आप वकील के तौर पर एक करप्ट आदमी को बचाने के लिए आए थे।...(व्यवधान) इनका परिचय लोक सभा से है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री अनुराग सिंह ठाकुर आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, one last sentence and then I have done. As far as we are concerned, when we sit at this side of the House and look at that side of the House, we look beyond these walls; we look at the people of India. We look at the State in which they live; we look at our young; we look at the excitement in their eyes; the hope in their eyes; the energy that they have; and we want to create an environment so that they can flower and they can take India forward. That is how we make our policy. We do not make our policies which bases on whether we are sitting this side or that side, but what we can do for the people of this country.

Rajiv Gandhi Ji was the first person who looked at using computers with a vision. He knew the importance of computers and they opposed it for the sake of opposition. The same thing is happening today. When we sit here and when we look towards you, we look beyond you to those who we need to serve. When you look towards us, you look at these seats when you will come here. That is the difference you and us.

श्री निशिकांत दुबे : हमने कम्प्यूटर का कब अपोज किया?...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : आप क्या बात करते हो?...(व्यवधान) हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को कम्प्यूटर बॉय बनाया था, आपको मालूम है।...(व्यवधान) आपने लिब्रलाइजेशन की हर नीति अपोज की, डब्ल्यू.टी.ओ अपोज किया, आपने लिब्रलाइजेशन इन फॉर्मा अपोज किया, हर सैक्टर में आपने अपोज किया।...(व्यवधान) जब आप सत्ता में आये तब आपने वही अपनाया तो कहने का मतलब है कि आपका दृष्टिकोण केवल यही सीट है, हमारा दृष्टिकोण हिन्दुस्तान की जनता है।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): महोदया, यह सही है कि आज की चर्चा महत्वपूर्ण और गंभीर है। जहां तक एफडीआई का सवाल है, सिब्बल साहब ने इसकी बहुत प्रशंसा की है, लेकिन यह भी सोचिए कि जब कोका कोला आया था और पेप्सी आयी थी, तब भी बहुत तारीफ की गयी थी। यह कहा गया था कि आलू और टमाटर की पैदावार बहुत बढ़ेगी और किसान को बहुत बड़ा लाभ होगा। यह कहकर कोका कोला और पेप्सी यहां लाये गये। उस समय भी हम लोगों ने कोका कोला और पेप्सी का विरोध किया था और साबित हो गया कि कोका कोला और पेप्सी से आलू या टमाटर की कोई पैदावार नहीं बढ़ी है और अभी तक सरकार की तरफ से भी विशेष मदद नहीं हुई है। अगर पैदावार बढ़ी है तो किसान की मेहनत से बढ़ी है, किसान की सूझबूझ से बढ़ी है। किसान ने अपनी लगन और जी-तोड़ मेहनत से पैदावार बढ़ायी है।

यह सही है कि पंजाब बहुत आगे था। आज धान के मामले में यू.पी. किसी से पीछे नहीं है और न ही गेहूं के मामले में किसी से पीछे है, न ही आलू की पैदावार में पीछे है और न ही प्याज की पैदावार में पीछे है। आप हिसाब लगाइये कि उत्तर प्रदेश में कितना गेहूं पैदा होता है, धान कितना पैदा होता है? उत्तर प्रदेश के बारे में जो अभी थोड़ा जिक्र किया गया था तो मुझे सोचना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को सरकार की तरफ अभी तक कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी गयी है।

अगर कोई सुविधा दी गयी है तो बताएं। अगर थोड़ी बहुत जमीन बढ़ी है, वह भी बीहड़ में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर बांदा तक बीहड़ है, क्या किसी को इसका अंदाजा है? आगरा से लेकर बांदा तक, गंगा, यमुना और फुआरी के बीच की जमीन बीहड़ है, पूरा रेवाइन्स है, उस बीच में रहकर भी उन किसानों ने अपने बलबूते पर किसी भी तरह कुछ पैदावार बढ़ायी है। जहां तक किसान का सवाल है, किसान को अभी तक हिन्दुस्तान के अंदर कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी गयी है।

जहां तक एफडीआई का सवाल है, आप कितनी भी सफाई दें, कितना भी तर्क दें, लेकिन यह देश के हित में नहीं है, किसानों एवं छोटे दुकानदारों के हित में नहीं है। यह आप सोच लीजिए।...(व्यवधान) न तो मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं और न ही आपके खिलाफ बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) आप कह रहे हैं कि यह देश के लिए है तो देश के लिए ही हम बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) हम कह रहे हैं कि एफडीआई देश के हित में नहीं है और क्यों नहीं है, उसका कारण है। एफडीआई अगर आती है तो आप यह देखेंगे कि जो आज अपना रोजगार खुद कर रहे हैं, वे बेरोजगार हो जायेंगे। हिन्दुस्तान में पांच करोड़ खुदरा व्यापारी हैं, आपके आंकड़े सही होंगे क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं। जहां पांच करोड़ खुदरा व्यापारी हैं, हमारे किसान भी काम कर रहे हैं, एक परिवार में औसतन पांच सदस्य माने जाते हैं तो इस प्रकार से बीस से लेकर

पच्चीस करोड़ लोग/व्यापारी तो बेरोजगार हो ही जायेंगे। आप नोट कर लें कि हिन्दुस्तान के बीस से लेकर पच्चीस करोड़ लोग बेरोजगार हो जायेंगे। लोगों को रोजगार कहां से देंगे आप? इससे रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ, इससे बेरोज़गारी जरूर बढ़ेगी। आप व्यावहारिकता पर जाइए। हम लोग इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आपसे कहीं गलती हो रही है तो विपक्ष की भूमिका है कि गलती आपके सामने रखे और आप उस गलती को सुधारें। इसलिए हम चाहते हैं और आपको राय देते हैं कि एफडीआई को छोड़ दीजिए, वापस कर दीजिए और सर्वदलीय बैठक कीजिए। एक दिन नहीं, दो दिन इस विषय पर बैठक कीजिए कि हिन्दुस्तान का विकास कैसे हो। सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी की है। अगर एफडीआई बढ़िया होता, इससे फायदा होता तो अमरीका क्यों इसका विरोध कर रहा है? अगर यह अच्छी योजना थी तो अमरीका आपको यहाँ कभी नहीं आने देता, सब ले लेता, पूरा का पूरा खा जाता। लेकिन अमरीका ने न्यूयार्क में प्रतिबंध लगा दिया है कि एफ.डी.आई. को प्रवेश नहीं करने देंगे। ...(व्यवधान) अगर हम यह बात गलत कह रहे हैं, अगर हमारी बात गलत है कि अमरीका विरोध नहीं कर रहा है, न्यूयार्क में प्रतिबंध नहीं लगा है, रोक नहीं लगाई है, तो हम अपने शब्द विदड्रॉ करेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। हम भी पता लगाकर कह रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनंत गीते जी, शांति रखें।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, बेरोज़गारी सारी दुनिया में है, अमरीका में भी है। यूरोप और अमरीका के लीडर्स यहाँ आते हैं तो यही सोचकर आते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो और यहाँ से हमें रोज़गार मिले। जब ओबामा हिन्दुस्तान आए थे तो उन्होंने तो हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी से कहा कि हमारे लोगों को रोज़गार दे दो। अखबार में आया और वह सच है, प्रधान मंत्री बता देंगे। ...(व्यवधान) तो अमरीका में भी बेरोज़गारी है, यूरोप में भी बेरोज़गारी है और इससे बेरोज़ागारी इसलिए बढ़ेगी कि अभी जैसा मैंने कहा कि जो पाँच करोड़ लोग खुदरा व्यापार कर रहें हैं, वे इसके मुकाबले टिक नहीं पाएँगे। यह सही है कि वे कंपनियाँ जब आएँगी और यह जो कंपनी है "वॉलमार्ट", यह पहले सस्ता और अच्छा माल देगी। जब यहाँ के पाँच करोड़ खुदरा व्यापारी खत्म हो जाएँगे तो वे अपनी मनमानी करेंगे। हमें अनुभव है। ...(व्यवधान) अमरीका के बारे में जो चर्चा रहती है कि सबसे संपन्न देश है, वहाँ की जनता भी इसका विरोध कर रही है। न्यूयार्क में जैसा मैंने बताया, कि वहां एफडीआई बंद ही कर दिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि विदेशी कंपनियों द्वारा यहां के लोगों को धोखा देना है। यह धोखा है कि रोज़गार मिलेगा। मैं कपिल सिब्बल साहब से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छी वकालत

करते हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। हमें इसका अनुभव भी है। लेकिन इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। अगर कोई खुदरा व्यापारी हैं, वे अगर पाँच करोड़ हैं तो आप बताइए वे क्या कर पाएँगे। वे मुकाबला नहीं कर पाएँगे। वे अच्छा और सस्ता माल देंगे और उन्हें घाटा भी हो जाता है तो उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक गरीब दुकानदारों का प्रश्न है, उन पर यह थोपा जा रहा है, यह देश की जनता के साथ सीधे-सीधे धोखाधड़ी है। खुदरा व्यापार के लिए आपने कहा है कि यह 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ही होगा। अगर यह फायदेमंद है, लाभकारी है और यह एफ.डी.आई. बेरोज़गारी को मिटाने वाला है तो आप पूरे देश में इसे लगाइए। यह कैसे हो सकता है कि दस लाख के ऊपर की आबादी वाले शहरों (खुदरा व्यापार) में लगाएँगे, वहाँ देंगे, एफडीआई को छूट देंगे, प्रवेश कराएँगे, निवेश कराएँगे, सब कराएँगे! अगर इससे बेरोज़गारी मिटती है या देश संपन्न होता है तो पूरे देश में इसे लगाइए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : फिर तो गाँवों में लगाइए। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हाँ, फिर तो पूरे देश में पार्लियामैंट भी आ गया। ...(व्यवधान) इसको आप भी गम्भीरता से लीजिए। आपने कहा कि दस लाख से कम आबादी के शहरों में एफडीआई नहीं जाएंगी। आखिर कम्पनियां वहां क्यों नहीं जाना चाहती हैं? वॉलमार्ट और विदेशी कम्पनियां दस लाख से कम आबादी के शहरों में क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्हें मुनाफ़ा चाहिए। जहां मुनाफा ज्यादा होगा, तो जहां ग़रीब लोग होंगे, वह नहीं खरीद पाएंगे। अभी गांवों में क्या हालत है? आत्महत्या शहरों में हो रही है या गांवों में हो रही है? किसान आत्महत्या कर रहा है, शहर वाले आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। आत्महत्या किसान, गरीब और मजदूर कर रहा है। इस बारे में आपको सोचना होगा। हमारी सरकार से मांग है कि जो छोटे-छोटे खुदरा व्यापारी हैं, जो कि अपनी मेहनत से कमाते हैं, उनको आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर मत कीजिए। अब तक किसान आत्महत्या कर रहा था, अब छोटे व्यापारी और खुदरा व्यापारी भी आत्महत्या करेगा, क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं होगा। उनके पास न तो खेती है और अब उनके पास दुकान भी नहीं रहेगी। इस पर आप गम्भीरता से विचार करें। इधर जो बैठे हुए लोग हैं, उनके दिल से पूछिए कि वह क्या कहता है? अनुशासन का ऐसा कोड़ा है कि अनुशासनहीनता करेंगे तो निकाल कर आप बाहर कर देंगे। किसी को मंत्रिमण्डल से हटा देंगे। बोलेंगे वही जो आप कहेंगे, बोलेंगे वही जो सोनिया जी कहेंगी। आदरणीय सोनिया जी के हुक्म का पालन करना होगा, क्योंकि वह अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के आदेश का या निदेश का पालन करना ही पड़ेगा। यह हमारे यहां भी है और आपके यहां भी ऐसा ही है। आडवाणी साहब को कितना भी आप पीछे कर दीजिए, लेकिन नेता आडवाणी साहब हैं। यह तो मानना पड़ेगा। मैं यह जनता की बात कह रहा हूं। आडवाणी साहब पार्टी में जो कहेंगे, उसकी ज्यादा मान्यता होगी। इसलिए आपने जो

पार्टी का अंकुश लगाया हुआ है, उसे हटाइए। हम इस बात से सहमत हैं कि देश हित में ही आप करें। आपने कहा कि हम देश के साथ हैं, इन्होंने कहा कि हम देश के साथ हैं। यह तो आप दोनों की नूरा कुश्ती है। हम लोग छोटे दल हैं, इसलिए हमें धक्का मार कर इधर-उधर किया जा रहा है। हमें सुनने भी नहीं दे रहे हैं। न ही आप के लोग सुनने दे रहे हैं, न ही आपके लोग सुनने दे रहे हैं। यह तो नूरा कुश्ती है कि हम दो ही रहें, आप रहें और आप रहें, हम लोग न रह पाएं।...(व्यवधान) हम समझते हैं कि आप दोनों चाहते हैं कि हम सत्ता में नहीं आएं। आप दोनों चाहते हैं कि आप आएं या आप आएं, तीसरा न आने पाए।...(व्यवधान) जोशी साहब, आप मुझे बचपन से जानते हैं। मुझे भी बहुत सालों का अनुभव है। वर्ष 1967 से अभी तक लगातार एमएलए हैं या एमपी हैं या चैयरमैन हैं या मिनिस्टर हैं या रक्षा मंत्री रहे हैं। लेकिन मेरा भी तो अनुभव है। इसलिए इस आधार पर कह सकते हैं कि अब हम नहीं आ सकते हैं। हम दोबारा वर्ष 1977 नहीं जीत सकते हैं। हम अपनी हैसियत को जानते हैं। अब आपको आना है या इनको आना है।...(व्यवधान) हमारी लॉबी मजबूत हो सकती है। हमारी लॉबी मजबूत होगी, इसमें दो राय नहीं है।...(व्यवधान) सच्चाई यह है कि इन कम्पनियों ने, उस वक्त मैंने कोका कोला और पैप्सी का जिक्र किया था। 80 करोड़ रुपये लगाए और उसमें देश के केवल 80 किसानों ने खरीदारी की। अब आप सोचिए कि यह हालत है। हम लोगों को अनुभव के आधार पर सोचना चाहिए।

आप गांधी जी के विचारों को भूल रहे हैं। ये लोग तो गांधी जी के विचारों को भुला देंगे, इनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। दूसरी बात है गांधी के विचारों को बनाए रखना। गांधी जी ने जब विदेशी कपड़े में आग लगायी और वह विदेशी कपड़ा अच्छा था तो एक अंग्रेज ने गांधी जी से पूछा कि कपड़ा अच्छा है, मजबूत भी है, फिर भी आप विदेशी कपड़ों में क्यों आग लगवा रहे हैं, इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा कि हमारे बुनकर आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए हम अपने हिन्दुस्तान के बुनकरों को बचाने के लिए इन कपड़ों का विरोध कर रहे हैं, इनमें आग लगा रहे हैं, यह गांधी जी ने कहा है। इसे मत भूलें। आप तो आज भी गांधी जी के नाम पर ही हैं। मैं आदरणीय सोनिया जी से कहूंगा कि राजीव गांधी और आप के नाम में भी गांधी है तो कम से कम गांधी की बातों को मत हटाइए, गांधी की बातों को मानिए। गांधी स्वदेशी के पक्ष में थे, विदेशी के खिलाफ थे। इसी स्तर पर गरीब, किसान, मजदूर दुकानदारों के बीच गांधी जी स्वदेशी चाहते थे, विदेशी नहीं चाहते थे। आप स्वदेशी भूल रहे हैं और विदेशियों को ला रहे हैं। ...(व्यवधान)

मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि आप एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। आपके पास बहुत ज्ञान है। आपने पूरे विश्व में काम किया है। प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री होने के पहले भी

विश्व के तमाम देशों की कार्यशैली का अनुभव आपके पास हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है और सोनिया जी से भी मेरी विशेष प्रार्थना है कि इसे छोड़ दीजिए। इसे एक-दो साल के लिए छोड़ दीजिए। अगर यह लगेगा कि खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. से फायदा है तो हम भी समर्थन कर देंगे, इस पर सोचेंगे। पर, अभी इसे वापस लीजिए। इस पर क्यों कंट्रोवर्सी कर रहे हैं?

अभी चुनाव आ रहे हैं। ये बहुत होशियार लोग हैं। गांव-गांव में इसका प्रचार हो जाएगा। आर.एस.एस. गांव-गांव में है। अगर ये बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रचार करेंगे तो क्या होगा? इसलिए चुनाव की दृष्टि से भी एफडीआई को वापस लीजिए। आपको एफ.डी.आई. से कोई लाभ नहीं होने वाला है, इससे नुकसान होगा। आप जाएंगे तो फिर ये आ जाएंगे। हम तो आने वाले नहीं हैं। हम तो आपको सहयोग देंगे या सहयोग वापस लेंगे।...(व्यवधान) इसलिए हम कोई लम्बी-चौड़ी बातों में नहीं जाना चाहते। बहुत-सी बातें आप सभी लोगों ने कह दीं। हमारे तृणमूल कांग्रेस के नेता ने भी सारी बातें कह दीं तो मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं अपने अनुभव, स्थिति और पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर कहता हूं कि हम गांधी जी, लोहिया, और जयप्रकाश को मानते हैं। हम आज कहते हैं कि गांधी, लोहिया, और जयप्रकाश जी अगर होते तो आज एफ.डी.आई. लाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। इसलिए, आप इसे वापस लीजिए, तो यह देश, जनता के हित में होगा।

MADAM SPEAKER: Thank you.

Hon. Members, if the House agrees, we will have this discussion till 6.30 p.m.

… (*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: No.

MADAM SPEAKER: No? What do you want?

… (*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: Tomorrow.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have a very long list of speakers. Do you want to sit only till 6 p.m.?

… (*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: Tomorrow we can sit beyond 6 p.m., starting from 12 noon.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right. But I would not be able to accommodate all, unless all of you are very brief.

Okay, Shri Dara Singh Chauhan.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आज सुबह से खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से गर्मजोशी से बहस हुई। आज केवल संसद ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एफ.डी.आई. को लेकर लोगों के मन में जो शंकाएं हैं, जो संदेह है, उस सवाल को लेकर पूरे हिन्दुस्तान के लोग आज टेलीविज़न पर लोक सभा चैनल पर नज़र गड़ाए हुए हैं कि पार्लियामेंट में क्या होने जा रहा है? लोगों की चर्चा के बाद लब्बो-लबाब उसका सारांश आया कि कुछ क्षेत्रों में लोग एफडीआई के खिलाफ नहीं हैं। खुदरा बाजार में कुछ क्षेत्रों को लेकर जो आशंकाएं हैं, इसे लेकर लोगों के मन में आशंका है कि अगर एफडीआई आएगा तो निश्चित रूप से देश में रहने वाले जो गरीब किसान और बुनकर हैं, उनका नुकसान होगा। लोग आज से कई दशक पहले की बात याद करते हैं, जब दो सौ साल तक अंग्रेजों ने इस मुल्क में राज किया तो कोई पावर, सड़क के क्षेत्र में नहीं, बल्कि मसाला उद्योग को लेकर मसाला के क्षेत्र में जो खुदरा व्यापार था, जो गरीब किसान करते थे, उसमें आने के बाद दो सौ साल तक इस मुल्क में अंग्रेजों का राज रहा। लोगों के मन में जो शंका और संदेह है कि खुदरा क्षेत्र में आने के बाद कहीं ऐसा न हो कि इस देश में गांवों में रहने वाले जो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं - चाहे बुनकर हो या किसान हो। छोटे-छोटे दुकानदार एवं फेरी वाले हैं, उन पर कब्जा हो जाएगा। उनके मन में यह शंका है, वही पहले वाली बात आज भी उनके मानस पटल पर घूम रही है। मसाला कोई बड़ा क्षेत्र नहीं था, ये खुदरा था, मसाला व्यापार में आने के बाद दो सौ साल तक इस मुल्क में रहने वाले लोगों ने, इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। कहीं फिर ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि खुदरा व्यापार में, ये कहने के लिए रिटेल में है, जो छोटे-छोटे उद्योग हैं। जब से इस देश में उदारीकरण लागू हुआ, उदारीकरण चल रहा है, तब से इस देश में अमीर और गरीब की जो खाई है, वह काफी बढ़ गई है। अमीर, अमीर होता जा रहा है और गरीब, गरीब होता जा रहा है। उदारीकरण की नीति, बाजार पर आधारित पूंजीपतियों के जो पोषक हैं, वही किसानों के दुश्मन हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि आज जो मल्टी-ब्रांड में एफडीआई की बात हो रही है, वह इसी का अंग है, इसी का दूसरा रूप है। आज एफडीआई को आप एलआईसी में, सिविल एविएशन में लाए हैं। आप पावर एवं इरीगेशन में लाइए, दूसरे क्षेत्रों में जहां देश का भला हो। इस देश में रहने वाले जो 70 फीसदी किसान और मजदूर हैं, जो बेबस एवं लाचार हैं, जो छोटे-छोटे कारोबार करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, आज फिर उन्हीं पर निगाहें लगी हैं। आज दुनिया के तमाम मुल्कों की निगाहें उन गरीबों पर लगी हैं, जो मजदूरी, मेहनत करके खोमचा-ठेला पर मूंगफली एवं चना बेचता है। आज उन बुनकरों की हालत क्या है। आज देश का बुनकर भुखमरी के कगार पर है, उनकी

हालत क्या है। इस देश में आज भी हम किसान को अच्छा ढांचा, सड़क एवं सिंचाई का साधन नहीं दे पाए। उनको बिजली नहीं दे पा रहे हैं, पर्याप्त सिंचाई के साधन नहीं हैं और हम एफडीआई की बात कर रहे हैं। आए-दिन डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पैट्रोल एवं बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। आज इस देश में जो हालात हैं, उसमें किसान कहां जाएगा। आज खाद महंगी हो रही है, पानी महंगा, बिजली महंगी, डीजल महंगा और इसके नाते आज जो खेत में काम करने वाले किसान हैं, जो आज भी इस मुल्क में 70 प्रतिशत लोग किसान का काम करते हैं, उसी पर आधारित हैं, क्या उनको इससे उनका वाजिब हक मिल सकता है, वाजिब मूल्य मिल सकता है? तो फिर वे स्टोर में जाकर क्या खरीदेंगे, जब उनके पास कुछ नहीं रहेगा। सरकार का मानना है कि मल्टी ब्राण्ड रिटेल में विदेशी पूंजी निवेश से कीमतें कम हो जाएंगी और जो बिचौलिए की भूमिका है, वह खत्म हो जायेगी। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि किसान और उपभोक्ता के बीच में जो छोटे-छोटे आढ़तिए हैं, जिन्हें आप बिचौलिया कहते हैं कि ये खत्म हो जाएंगे, ये बहुत लूट रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं यह वालमार्ट क्या है? उत्पादन करने वाले जो किसान हैं और जो कंज्यूमर हैं, उनके बीच में जो दलाली करने वाला वालमार्ट है, इसको बिचौलिया नहीं तो हम क्या कहेंगे? 20 लाख करोड़ रुपये का इनका टर्नओवर है। हिन्दुस्तान में एफ.डी.आई. के माध्यम से आज जो विदेशी कम्पनियां आ रही हैं, उनमें हिन्दुस्तान से क्यों इतना प्रेम जगा है, क्यों किसानों से और यहां के लोगों से प्रेम जगा है? ये बिचौलिए केवल मुनाफे के लिए यहां आ रहे हैं। हिन्दुस्तान के किसानों को आबाद करने के लिए नहीं, इन्हें बर्बादी के कगार पर पहुंचाने की यह साजिश हो रही है।

यह लोकतंत्र है, इसलिए हम सरकार से जरूर जानना चाहते हैं कि जो बड़े-बड़े स्टोर के मालिक हैं, उपभोक्ता को जो सस्ते दामों पर चीजों को उपलब्ध कराने का दावा करते हैं, ये किसानों और उपभोक्ताओं के बीच में बिचौलिए नहीं तो क्या हैं? 20 लाख करोड़ रुपये का जो इनका टर्नओवर है, यह टर्नओवर क्या है? आप कहते हैं कि मल्टी ब्राण्ड रिटेल में एफ.डी.आई. आने से खुदरा क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे तो लगता है कि जो रोजगार आज तक मिला हुआ है, उसे खत्म करने की यह साजिश हो रही है। जिस तरीके से इस देश में बाबासाहेब ने संविधान में व्यवस्था दी, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को नौकरियों में जो आरक्षण दिया, आज प्राइवेट सैक्टर में वह आरक्षण नहीं होगा, उस आरक्षण को खत्म करने की इस मुल्क में यह साजिश हो रही है।

आज देश में 20 लाख करोड़ का जो सरकारी आंकड़ा है, उनको पता होगा, मुझे पूरी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन 20 लाख करोड़ का जो निवेश करेंगे, इतना जिनका टर्नओवर है, वे केवल 20 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन इस देश में भारत में रहने वाले जो खुदरा व्यापार में लगे हुए लोग

हैं, उनका भी 20 लाख करोड़ रुपये का टर्नओवर है, लेकिन लगभग इतने ही रुपये में चार करोड़ लोगों को वे नौकरी दिये हुए हैं तो हम कैसे मान सकते हैं कि उनके यहां आने से रोजगार बढ़ेगा। मुझे तो लगता है कि इससे रोजगार खत्म होंगे। जो भी होगा, इसका पता कल चलेगा।

यह कहा जा रहा है, माननीय सिब्बल साहब कह रहे थे कि जिस प्रदेश में पूंजी लगानी हो, लगाइये। ये जो 10 लाख की आबादी वाले शहर हैं, हम कहना चाहते हैं कि आज 17 करोड़ इस मुल्क के जो लोग हैं, वे देश में 10 लाख की आबादी वाले शहरों में रहते हैं, मुझे पूरी आशंका है कि पूरे तरीके से उन 17 करोड़ भारतीयों को, जो 10 लाख की आबादी वाले शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको लूटने की साजिश हो रही है। अध्यक्ष जी, यह गांधी जी का देश है, गांधी जी को मानने वाले लोग भी हैं, लेकिन गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात कही थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। मैं समझता हूं कि उनके नाम का अपमान होगा, अगर इस तरह से खुदरा में एफडीआई को लाने का हम प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदया, आज पूरे यूएस में वॉलमार्ट के खिलाफ जबरदस्त तरीके से संघर्ष हो रहा है। वहां पर अगर उनको फायदा होता तो अमेरिकी सरकार उनको एक लाख करोड़ की सब्सिडी क्यों देती? अध्यक्ष महोदया, वहां पर जो खेती होती है, केवल कारपोरेट जगत के लोगों के लिए, कारपोरेट घरानों का पेट भरने के लिए वहां खेती होती है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब एफडीआई आएगी, तो जो खुदरा व्यापार में होगा, खुदरा क्षेत्र में 30 परसेंट यहां के उत्पादित माल को खरीदेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर आपने असेसमेंट किया है कि 30 परसेंट, क्यों नहीं 50 परसेंट, क्यों नहीं 20 परसेंट, क्यों नहीं 70 परसेंट? हम जानते हैं और जिस तरीके से दुनिया में खबरें आ रही हैं कि वॉलमार्ट का पूरे देश में जो कब्जा होने जा रहा है। अगर हमारे उत्पादन का 30 परसेंट खरीदकर वे डम्प भी कर दें तो 70 फीसदी में वे इतना मुनाफा कमायेंगे कि दुनिया के तमाम मुल्कों से सामान लाकर हमें गुलाम बनाने की साजिश होगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, आज इन्हीं सारी चीजों के साथ मैं समझता हूं कि जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में खुदरा व्यापार में कम्पनियां आ रही हैं, निश्चित रूप से इस देश में जो शैड्यूल कॉस्ट के लोग हैं, ट्राइबल क्लॉस के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, जो उन्हें संविधान के आधार पर नौकरी मिली है, उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। अध्यक्ष महोदया मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का यह कहना है कि एक तरफ केंद्र सरकार यह मानकर चल रही है कि खुदरा व्यापार, किराना के क्षेत्र में एफडीआई को लाने से काफी फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है, जो केंद्र सरकार के फैसले पर पूरे देश में हर स्तर पर इससे काफी ज्यादा नुकसान होने की बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में किराना क्षेत्र में एफडीआई की

नीति के नफा-नुकसान को आजमाये बिना जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसलिए हमारी पार्टी का केंद्र की सरकार को सुझाव के तौर पर कहना है कि केंद्र की सरकार ने जिन कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई की अनुमति प्रदान की है या करना है और उन राज्यों में इस नीति का अनुभव कैसा रहता है, उसकी एक तय निश्चित अवधि सीमा में न केवल सरकारी स्तर पर, बल्कि संसदीय स्तर पर भी इसकी गहन समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके बाद फिर इस नीति को जारी रखने या न रखने संबंधी अंतिम फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। हालांकि इस संबंध में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में लाखों लोगों के बीच में एक राष्ट्रीय संपर्क महारैली में कहा था कि यदि केंद्र सरकार के हिसाब से देश में खुदरा बाजार अर्थात् किराना के क्षेत्र में एफडीआई लागू करने से यहां के किसानों व छोटे कारोबार में लगे लोगों तथा यहां की आम जनता के हित के साथ-साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार आ जाता है तो हमारी पार्टी आगे चलकर इस पर विचार जरूर करेगी, इसका स्वागत करेगी।

हालांकि केंद्र सरकार की इस नीति में देश की जनता के लिए केवल एक जो खास पक्ष इनका है कि केंद्र सरकार द्वारा खुदरा बाजार में वर्तमान एफडीआई की जो नीति है, वह देश के किसी भी राज्य में जबरन थोपी नहीं जाएगी अर्थात देश में कोई राज्य अगर खुदरा व्यापार चाहे, एफडीआई लागू करना चाहे तो लागू करे, केंद्र सरकार को उस पर कोई दबाव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदया, जिस तरह से गैट है जिसकी चर्चा प्रतिपक्षी नेता कर रहे थे, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें नेशनल ट्रीटमेंट का जो प्रावधान है इस पर भी हमें बारीकी से देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी पार्टी ने इसे काफी गंभीरता से संज्ञान में लिया है। इस के अलावा इस मुद्दे पर हमारी पार्टी को देश में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली पार्टियों ...(व्यवधान) अभी तो आपने पूरी बात नहीं सुनी है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप इधर देख कर बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : इसके अलावा इस मुद्दे पर हमारी पार्टी को देश में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली पार्टियों के साथ खड़ा होना है या खड़ा नहीं होना है, इस बात को ले कर हम सोच रहे हैं। …(व्यवधान) इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, इन दोनों खास बातों को ध्यान में रख कर ही देश व जनहित में सही और उचित निर्णय, हमारी पार्टी जब कल शाम को वोटिंग होगी, उस समय बताएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं? इन्हीं सब जरूरी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you Madam Speaker for allowing me to speak on the Motion proposed by the hon. Leader of Opposition.

Madam, at the outset, the Leader of Opposition of the House had stated that the stakeholders were not consulted. When she said it, she mentioned that the Chief Ministers of States and political parties as stakeholders. The hon. Minister, Shri Kapil Sibal had said that by allowing FDI in retail, the farmers and the consumers will get a fair deal. But the actual stakeholders are the traders. I do not know whether the Government has consulted the traders or not.

You know that, in our country, traders form a class. Amongst the four classes of the Hindu community, traders themselves or the Vaishyas, are a class. They were not consulted. This notification says that the above policy is an enabling policy only. By saying that it is an enabling policy is like the story of the Pied Piper of Hamlin. He says that he will blow the pipe and go, and whoever comes with him can come and fall in the river. It is similar to that. So, this enabling policy will induce the State Governments at one point or another to join this band wagon.

I am not telling this as your opponent. I am telling this as your brother. I know that the injury is in the hand. I have diagnosed that the injury is in the hands. I say that only the hand should be treated and I do not want the whole body to be scanned like what the Opposition says. As a brother, as a partner, I warn you that this will definitely is not in the interest of the trading community.

It is said that about 30 crores of people are employed in the trading community and most of them are not working in big shops. They run their shops individually. This is the biggest source of self-employment. A man with some self-respect, whatever money he has, can invest in a small shop and run his family with it. He may not get much out of it. But at least he can lead a reasonable life. Hon. Minister, Shri Kapil Sibal, was defending this decision from the

Government's side. He said that by allowing the FDI in retail business, farmers will get a fair deal, consumers will get a fair deal, which means until now they are not getting a fair deal and that the traders are cheating both the sections of the people. This is true. … (*Interruptions*) If you say that this statement is true then you must support them.

MADAM SPEAKER: Shri Elangovan, please address the Chair.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: It is said that at least fifty per cent of the total FDI brought shall be invested in back end infrastructure. Any company or any trader who is going to invest here will build his own infrastructure. This would not be a common facility. This facility will not be used for a common purpose. This is for his own use. If you put a condition that this infrastructure would be considered as a common facility, then it is good. Further, infrastructure has included processing, manufacturing, distribution, design improvement, quality control, packaging, logistics, storage, warehouse, agricultural market produce, etc. But cold storage is not included in it. So, that should also be included.

Secondly, we can understand if fresh agricultural produce, including fruits and vegetables, are exempted, but you have also exempted grains. That is not in the interest of the common people. We want the grains to be excluded from this. Only fresh poultry, fishery, fruits, vegetables, and flowers can be included from the unbranded category, but not grains. Grains should be from the branded category.

So, my worry is that this will greatly affect the large chunk of traders who are having small shops. History is testimony to this. Earlier there were reports that it has affected the small traders and millions of people.

The hon. Minister has said that the Walmart has failed in China, and Walmart has failed here and that people will not go to Walmart as it will be situated outside the city. Then, why we need Walmart here? When people will not go there and when there is no space in the cities with more than ten lakh population, then why Walmart?

The only point on which we have to stand by the Government and we stand by the Government is that, you have stated that it is the need of the hour to save the fiscal condition of the States. So, we do not want to let you down. Secondly, we do not want to join the Opposition, we do not want to join the BJP. …(*Interruptions*) We are not neutral. We are against the FDI in multi-brand retail. We were the first Party to oppose this by way of a Resolution, by incorporating this in our manifesto. But still we do not want to oppose you or vote against you because we know that only the hand is injured and we do not want to put you for a whole body scan. So, we have time. We are with you. We will watch you and we will correct you as and when necessary because we have to face the people. We have made many promises. We have together done many good things for the country. One or two things may be not in the interest of the people for which we do not want to let you down.

While registering my strong opposition to the FDI in multi-brand retail, I also support the Government. With these words, I conclude.

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): We will not allow the FDI in Tamil Nadu.

SHRI NISHIKANT DUBEY : Who are you to do that? You are not in power in Tamil Nadu.… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : We do not allow FDI in Multi-Brand Retail in Tamil Nadu.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia to speak now.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I will start today and continue tomorrow.

MADAM SPEAKER: Do you not want to speak now?

SHRI BASU DEB ACHARIA : I will start today and continue tomorrow also.

MADAM SPEAKER: You will start today and finish it tomorrow!

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You have to speak for only ten minutes. Please start it.

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदया, वामपंथी दल शुरू से ही प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का खुदरा व्यापार में विरोध कर रहे हैं। मुझे याद है कि वर्ष 2005 में वॉलमार्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर दिल्ली आये और हमारे प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से मिले। वे उस समय वॉलमार्ट को हमारे देश में खुदरा व्यापार में आने की इजाजत मांगने के लिए आये थे। वर्ष 2005 में एक कोआर्डिनेशन कमेटी लेफ्ट और यूपीए-वन की थी, उसमें जब यह प्रस्ताव रखा गया तब हमने उसका विरोध किया। वर्ष 2005 में ही लेफ्ट पार्टी की तरफ से एक नोट पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि हम इसका क्यों विरोध कर रहे हैं और हमारा विरोध करने का क्या कारण है? यह हमने उसी समय बता दिया था। यूपीए-वन भी चाहती थी कि वह हमारे देश में आ जाये और उसे इजाजत देने के लिए वे तैयार थे, लेकिन हमारे विरोध के कारण इजाजत नहीं दे पाये। हमने फैसला ले लिया था कि हम इसे समर्थन न करके विरोध करेंगे, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर सरकार निर्भर थी। वामपंथी दल के 61 सदस्य थे। उस समय हम सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। हम सरकार में शामिल नहीं थे। आपके साझे न्यूनतम कार्यक्रम को हम समर्थन दे रहे थे। हम किसलिए विरोध कर रहे हैं? हम केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक ऐसे मुद्दे को लेकर हमारे देश में खाली विरोध, जो विरोधी पक्ष है, not only the opposition parties but also the allies like the DMK, the Trinamool Congress उस समय सत्ता में थे और हमारे पुराने दोस्त नेता जी मुलायम सिंह ...(व्यवधान) अभी भी हैं। पुराने दोस्त, हमने बोला न पुराने दोस्त, वे उस समय सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे और अभी भी दे रहे हैं। बीएसपी भी बाहर से समर्थन दे रहे हैं।

जब सरकार ने पिछले शीतकालीन सत्र में फैसला लिया, तब हमने देखा कि हमारे इस सदन के कम से कम 60 फीसदी सदस्यों की एक ही मांग थी कि you roll back FDI in Multi-Brand Retail. हमने कभी ऐसा नहीं देखा। I have never seen it during my 32 years of Parliamentary life in this House. I had never seen it in the past. I had also never seen on 20th September when there was a *Bharat Bandh*. During the All India Strike, parties extended their support. हमारे साथ हमारा पुराना दोस्त मुलायम सिंह यादव थे, एक साथ हम लोग गिरफ्तार हुए। देश भर में लाखों-करोड़ों की तादाद में लोग विरोध में सड़कों पर उतर गए। ऐसा विरोध कभी नहीं हुआ। किसलिए यह विरोध हुआ अगर देश के हित में है। आनन्द शर्मा जी, आपने एक बहुत बड़ा खत लिखा है, तीन पन्ने का खत लिखा है, मैंने उसे गौर से पढ़ा, क्या है उसमें, क्या

करना चाहिए। आपने बताया है कि रोजगार होगा, कहां से रोजगार होगा? कैसे आपको पता चला कि रोजगार होगा? क्या आपने देखा नहीं कि दुनिया भर में इतने सारे सुपर-मार्केट्स में 21 लाख लोग लगे हैं। कपिल सिब्बल जी, क्या आपको पता नहीं है कि 21 लाख है उनका और हमारे देश में आकर तीन साल के अंदर में 40 लाख होगा। क्या सपना दिखा रहे हैं लोगों को? अरे, बेरोजगार बढ़ रहा है, गांवों में बढ़ रहा है, शहरों में बढ़ रहा है, 0.8 प्रतिशत है अभी। वर्ष 2001 से 2010 तक रोजगार में 0.8 प्रतिशत ग्रोथ हुई है। यह आपको पता नहीं है कि अनइम्प्लायमेंट बढ़ रहा है।

17.55 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

There is a growth in unemployment; not in employment in our country. There is economic slow down. क्या आपको पता नहीं है? अगर वालमार्ट एक रोजगार देगा, तो 17 लोगों का रोजगार छीनेंगे। कपिल सिब्बल जी, आपको पता नहीं है। क्या आपको मालूम नहीं है कि वालमार्ट का एक सुपरमार्केट खुलने से 1300 रिटेल दुकानें उजड़ जाएंगी? फिर भी आप इसका समर्थन कर रहे हैं? एक परिवर्तन हो जाएगा हमारे देश में। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, 2,76,000 किसानों ने हमारे देश में आत्महत्या की है, उसके लिए आपको चिंता नहीं है। उसके लिए आपकी आंखों में आंसू नहीं हैं।

In China, 90 per cent of retail trade is under Government control. Shri Rajiv Shukla, you don't know. You are talking about China. How much today? Wal-Mart is sourcing from our country only one billion; but from China – 20 billion. You are talking of China. How much Wal-Mart is sourcing from China? It is 20 billion; from India, one billion. I know about every country. How much from China? Ninety per cent of retail trade is under Government control. After when they had the experience of displacement of retail trade, then, they enacted stricter legislation and regulation. You don't have that. You are talking of China. How many will be displaced? You can't give employment to the people of our country; and when there is self-employment; they are self-employed. आपसे नौकरी या रोजगार नहीं मांग रहे हैं। छोटी-छोटी दुकान खोलकर बैठे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। परिवार पाल रहे हैं। 20 करोड़ से ज्यादा है, उसे आप खत्म करना चाहते हैं। बोले, हम तो कुछ नहीं करना चाहते, अभी तो 53 शहरों में इजाजत देंगे।

MR. CHAIRMAN : Mr. Basu Deb Acharia, you can continue your speech tomorrow.

18.00 hrs

MR. CHAIRMAN : Now we are taking up 'Zero Hour'. Shri M.K. Raghavan.

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance pertaining to my constituency Kozhikode during 'Zero Hour' in the august House today.

Sir, the Union Public Service Commission (UPSC) is conducting about 20 examinations including the prestigious Civil Services Examination with over 20 lakh candidates taking the examination every year. The students from Kerala also participate in these exams. Thiruvananthapuram and Ernakulam are the two centres for examinations conducted by the UPSC in Kerala. This is affecting the convenience of the candidates belonging to the northern part of Kerala, popularly known as the Malabar Region consisting of six districts, namely Kasargode, Kannur, Wynad, Kozhikode, Malappuram and Palakkad, out of 14 districts in the State. While Thiruvananthapuram is in the southern part, Ernakulam is in the central part of the State.

In order to mitigate the problem being faced by the candidates appearing for the UPSC exams from the Malabar Region, there has been a constant demand to declare Kozhikode a UPSC Centre. In fact Kozhikode is home to institutions like IIM, NIT, Calicut University, Government Medical College, Feroke College, Government Arts & Science College, Guruvayurappan College among others. Apart from this, the Kannur University in Kannur, the Central University, Kasargode and a large number of other educational institutions exist in the entire region of Malabar. It is time that UPSC has reviewed its requirement. They should reach out to more Tier II and Tier III cities. A UPSC Centre at Kozhikode will help the students to take the various examinations of UPSC conveniently. There is

no dearth for institutions in Kozhikode to conduct the examination which has 2 Kendriya Vidyalayas in the city itself.

I raised the same issue several times in this august House. I would again like to take this opportunity to request the Government that they should intervene in this matter and make Kozhikode a UPSC Centre for its examinations. It would be of great help for the entire Malabar Region which has a population of more than one crore people.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, अभी उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम में जो घोटाला हुआ, उसकी सीबीआई जांच कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की एक और योजना सीबीआई जांच के लिए इंतजार कर रही है। मैं जेएनएनआरयूएम का जिक्र कर रहा हूं। मेरठ में इस योजना के अंतर्गत सीवर लाइन डाली जा रही है और उसमें अनियमितताएं इतनी व्यापक हैं कि उनकी जांच आवश्यक है। सबसे पहले, इस काम का ठेका ऐसी कंपनी को दिया गया, जिसकी कोई विशेषज्ञता इस क्षेत्र में नहीं थी। भूतल परिवहन तथा सड़क अभियांत्रिकी में उसकी विशेषज्ञता थी। किसी प्रकार का पूर्व सर्वे नहीं किया गया, जो कंटूर प्लान था, उसके आधार पर गढ्ढे खोदने की योजना बनाई गयी और हालत यह है कि जगह-जगह पर सीवर लाइन के रास्ते रुक जाते हैं तथा काम पूरा होने में विलंब हो रहा है।

सभापति जी, जब पाइप दस फिट नीचे डाला जाता है, तो एक नियम है कि नीचे कंक्रीट का बेड बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार का कोई बेड नहीं बनाया गया, इसलिए आशंका है कि जब कभी यह सिस्टम काम में लिया जाएगा, तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। मिट्टी भरते समय एक-एक फिट ऊंची लेयर को ठीक से जमाना होता है, वाइब्रेटर का उपयोग करना होता है, इस प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया गया। उनके जो ज्वाइंट्स हैं, उनको ठीक से जोड़ा नहीं गया, उनकी ठीक से टेस्टिंग नहीं की गयी और उसी के ऊपर सड़क बना दी गयी। हालत यह है कि मिट्टी का ठीक प्रकार से भराव न किए जाने के परिणामस्वरूप अगर उसके ऊपर कोई भी गाड़ी चलती है, तो सड़क बैठ जाती है। पूरे शहर के अंदर गढ्ढे खोदकर सड़कों को बर्बाद कर दिया गया है। जिसमें जो स्टेक-होल्डर्स हैं, वे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं एवं अन्य लोग भी हैं, जिनकी कभी मीटिंग नहीं हुई और इस कारण एक प्रकार से मनमर्जी करते हुए अधिकारियों ने इस योजना में बहुत घोटाला किया है, जिसके कारण शहर को लाभ होने के स्थान पर नुकसान होने की आशंका है। मार्च, 2012 तक इस योजना को पूरा होना था, वर्ष 2012 अन्त होने वाला है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार सम्पूर्ण योजना की जांच कराएं। इसके अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की

अनियमितताओं की शिकायतें हैं जिनकी सीबीआई से जांच कराई जाए। इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। 22 नवम्बर 2012 को एक साधारण दुर्घटना में मेरे लोक सभा क्षेत्र रीवा के एक युवा तेज प्रताप सिंह के ऊपर रीवा संभाग के आईजी श्री गांजीराम मीणा के दबाव पर सिविल लाइन रीवा थाने में गांजा का जबरन झूठा मुकदमा दायर करके नारकॉटिक्स एक्ट लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। घटना 22 नवम्बर 2012 की है। सुबह दस बजे तेज प्रताप सिंह आई जी के बंगले के सामने से गुजर रहे थे तभी दो मोटरसाइकिल सवाल उनसे टकरा गये। उनमें से एक जो आईजी मीणा जी के घर में रहने वाला सिपाही था और दूसरा पशु चिकित्सालय में एक कम्पाउंडर था। तभी यह युवा इनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसी समय आईजी श्री मीणा बाहर निकले और तेज प्रताप सिंह पर गाली गलौच करते हुए पुलिस बुलाते हुए पद का दुरुपयोग करते हुए यह कहकर उनको जेल भिजवा दिया कि इसके ऊपर ऐसा गांजा चरस का मुकदमा लगाओ कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और गांजा रखने के जुर्म में फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया तथा छोड़ने की शर्त पर आईजी श्री मीणा ने इनके पिता शैलेन्द्र भानसिंह जो हार्ट के मरीज हैं, उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पुलिस महानिरीक्षक का पद संभाग के सबसे बड़े पद को अलंकृत करता है जिनका कार्यक्षेत्र जनता के साथ बड़ी ही पारदर्शिता का होता है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण प्राप्त होने के कारण नियम कायदों को तोड़कर डाकुओं का फर्जी एनकाउंटर व हत्या कराना, गलत मुकदमों में फंसाकर जेल भेजना आएदिन की इनकी ये घटना है। श्री मीणा के विरुद्ध वर्तमान समय में पत्राचार के माध्यम से मैंने इनके कारनामों को उजागर किया है जो भारत सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक विचाराधीन हैं और आज उजागर करने से माननीय सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज जो मैंने सदन में यह बात उजागर की है, मुझे डर है कि मुझ पर भी या मेरे परिवार और मेरे लोगों पर भी ये मीणा साहब नॉरकोटिक्स एक्ट लगा सकते हैं क्योंकि इनको सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अविलम्ब कार्रवाई की मांग करता हूं जिससे रीवा संसदीय क्षेत्र के जनमानस को राहत मिल सके।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, आपने मुझे शून्यकाल में इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं. मैं राजस्थान से बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। बीकानेर के आसपास श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरु नागौर जिले की सीमाएं लगती हैं लेकिन बीकानेर में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग कार्मिक चयन का सेंटर नहीं होने से अभ्यार्थियों को जयपुर, जोधपुर व अन्य स्थानों पर परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है जिससे बेरोजगार युवाओं पर दोहरी मार पड़ती है।

एक तरफ तो बेरोजगारी है और दूसरी तरफ जो बेरोजगार युवा हैं, उनको 300 कि.मी., 400 किमी. दूर परीक्षा केन्द्र में जाना पड़ता है जो ठीक नहीं है। हमारा रेगिस्तानी इलाका है और उसमें एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए किराया भाड़ा भी बहुत लगता है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि बीकानेर जब गेज परिवर्तन के कारण ब्रॉडगेज से जुड़ा हुआ नहीं था तो कनैक्टिविटी कम थी। अब गेज परिवर्तन के कारण कनैक्टिविटी बढ़ गई है और सभी शहरों से अच्छी कनैक्टिविटी हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से एक मांग करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बना देती कि जनसंख्या के अनुसार 5 लाख का शहर 4 लाख का शहर 6 लाख का नगर होगा। उसमें ऑटोमैटिकली जितनी भी बैंकिंग की परीक्षाएं होती हैं, उनका सेंटर हो जाए। बैंकिंग परीक्षा के लिए हमें क्यों डिमांड करनी पड़े? क्यों हमें कहना पड़े कि इसका सेंटर खोला जाए क्योंकि आपके सेंटर का जो मैनेजमेंट है, वह तो जिला प्रशासन को करना पड़ता है और लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हीं को करना पड़ता है। इसमें मंत्रालय का क्या लगता है? हम डिमांड भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी सेंटर नहीं खोल रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग की कार्मिक चयन की परीक्षा के लिए बीकानेर में सेंटर खुलवाने की व्यवस्था करें जिससे प्रतिवर्ष हजारों छात्र/ छात्राएं जो कि बैंकिंग परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें राहत मिल सके क्योंकि बीकानेर बैंकिंग कोचिंग का भी अच्छा सेंटर हो गया है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि जहां जहां भी कोचिंग के यानी परीक्षाओं के जो अच्छे सेंटर हैं, चाहे बैंकिंग के हों या और कोई हों, उसके परीक्षा के केन्द्र शहरों में होने चाहिए और एक नीति बननी चाहिए कि 5 लाख से ऊपर के जो भी कस्बे, शहर इस देश में हैं, उनमें परीक्षा का कोई न कोई केन्द्र होगा ताकि इससे बेरोजगार युवाओं को अनावश्यक इधर उधर भटकना नहीं पड़े।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा एक आदिवासी एवं दलित बाहुल्य क्षेत्र है। यहां के निवासी जीवनयापन हेतु कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर करते हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र आजादी के 65 साल के लंबे अंतराल के बाद भी रेलवे के विकास की दृष्टि से देश का सबसे

पिछड़ा क्षेत्र है। आज भी यहां से दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में जाने के लिए कोई रेल सेवा नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हर वर्ष रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा नई रेलगाड़ियां चलाए जाने की घोषणा की जाती है। मेरे द्वारा सदन में अपने क्षेत्र में रेलवे के विकास का मुद्दा उठाने तथा अनेक बार माननीय रेल मंत्रियों का इस संबंध में प्रतिवेदन देने के बाद भी एक भी जायज मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। यह 25 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि के साथ अन्याय तथा क्रूर मजाक है। अभी तक के सभी रेल मंत्रियों ने सिर्फ अपने क्षेत्र में ही रेल विकास पर ध्यान दिया है। वे हमारे क्षेत्र जैसे देश के दूरस्थ पिछड़े क्षेत्र की तरफ भूले बिसरे ही बने रहे हैं। आज तक किसी रेल मंत्री ने यहां की सुध नहीं ली है। मेरे क्षेत्र में मोडासा रेल लाइन पर चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा है जो आज के युग में मालगाड़ी और ट्रैक्टर से बेहतर नहीं है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलवे गुड्स का एक भी रेक प्वाइंट नहीं है। इस वजह से क्षेत्र के किसानों को उर्वरक तथा अन्य कृषि संबंधी उपकरणों के लिए गंभीर दिक्कतों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। एक विशाल क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते जब भी मैं रेलवे के विकास की बात कहता हूं तो रेल मंत्रालय अधिकारियों द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता है कि वहां रेलवे को फायदा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विलंबिल रेल परियोजनाओं की वजह से तथा अन्य इसी तरह के कारणों से रेलवे को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? मेरा निवेदन है कि देश में लोक सेवा की भावना से रेलवे का परिचालन होना चाहिए न कि लाभ हानि के नजरिए से होना चाहिए। लोकतंत्र में लोकभावना का स्थान सर्वोपरि है। मेरा कहना है कि कुछ असंवेदनशील और अदूरदर्शी रेल अधिकारी विकास की रेखा से जोड़ने वाली रेल को अपनी निजी जागीर न समझकर लोकभावना के अनुरूप कार्य करें। अगर मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलवे का विकास न होने से क्षुब्ध जनता की मांग पर मुझे जन आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा, तो इसके लिए रेल मंत्रालय जिम्मेदार होगा। मैं आज एक बार फिर इस सदन में रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहां तत्काल रेलवे गुड्स रेक प्वाइंट की स्थापना की जाए जो भले ही अस्थायी स्वरूप में हो, इससे किसानों को राहत मिलेगी। इसके साथ मोडासा से मुंबई के लिए नई रेलगाड़ी का प्रावधान किया जाए या कनेक्टिविटी की जाए। अगर नई लाइन नहीं मिल सके तो कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि पूरे क्षेत्र में सम्यक विकास तत्काल शुरु किया जाए।

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): धन्यवाद सभापति महोदय, दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में नकली दवाओं का कारोबार 20 से 25 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले दिनों एसोचैम की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत और कानूनी लचर ढर्रे की वजह से इस जानलेवा कारोबार पर अंकुश लगने के बजाय तेजी से फलफूल रहा है। यहां बिकने वाली कुल दवाओं में से करीब 25 प्रतिशत नकली होती है। मगर पैकेजिंग और लेबलिंग की नकल बड़ी सफाई से किए जाने के कारण आम जनता तो दूर डाक्टर भी आसानी से नकली असली की पहचान नहीं कर पाते हैं। इसकी पहचान के लिए दवाओं के सैम्पल की लैब्रोटरी जांच कराई जाए। नकली दवाओं के कारण कई बार डाक्टरों से भी भरोसा उठ जाता है और दूसरी तरफ डाक्टर भी यह सोचकर हैरानी में पड़ जाते हैं कि सब कुछ सही तरीके से करने के बावजूद भी मरीज ठीक क्यों नहीं होता है। दवाओं के सैम्पल की जांच की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। यह देश स्तर पर होना चाहिए ताकि नकली दवा माफिया पर अंकुश लगाया जा सके।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Chairman, Sir, before I express the issue which I had given, I would like to draw your attention that during Matters of Urgent Importance, notices are considered which are international in nature, national importance, then of State interest, and then of constituency interest. But I am sorry to mention here, I want to be on record, I think, the hon. Speaker, will go through this issue and hon. Parliamentary Affairs Minister also will look into this issue that today, a number of constituency issues were taken up.

MR. CHAIRMAN : You just raise your matter. I will look into it. Whatever you want, you tell, it is left to the Chair to decide whether to allow or not.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : This is of national importance and this is of international repercussion. I wanted the House to respond to this.

A century old Hindu temple in Karachi was hurriedly demolished by a builder despite a Pakistani Court hearing a petition seeking a stay on such a move. Besides raising the pre-partition Shri Rama Pir Mandir in Karachi's Soldier Bazaar, the builder has also demolished several houses near it last Saturday. Nearly 40 persons, a majority of them Hindus, have become homeless. This has been widely reported in Pakistani media, yet there is no action on behalf of the

authorities. The affected families have stated that during demolition the area was cordoned off by the police and paramilitary forces called Pakistani Rangers.

Angered by the demolition, the Hindus have demanded that Pakistan Government should arrange tickets to India for them. "If you don't want us, we will go to India," this is what they have said. This was a pre-partition era temple more than 100 years old. The Sindh High Court had granted stay till 7th of this month.

The *Express Tribune* has quoted that the Military Lands and Cantonment Director has stated that the temple was evacuee property. "There was a temple", is also stated by a Canada based Islamic activist Tarek Fatah. He has said in a twitter: "I went to school in that area. I know a temple existed." This has again triggered panic among the Hindus in Pakistan.

I would urge upon the Union Government of India to impress upon Pakistan Government to restore the Hindu temples and provide adequate safety to the minority Hindu community in that country.

I request the hon. Minister also to take cognizance of this.

MR. CHAIRMAN: Shri Arjun Ram Meghwal and Shri Chandrakant Khaire are allowed to associate with the matter raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Sir. I would like to draw the attention of the Minister and Government with regard to the serious issues and grievances of LIC Agents in India. There are about 12.56 lakh Agents all over the country. Thousands of Agents have come in Delhi for Parliament march and submitted their representation to the Government. LIC is a most important public undertaking and its success is due to the vast support of the people and this support comes through the active participation of the lakhs of agents in the grass root level. Without LIC Agents and their functions, LIC cannot functon. But they are not permanent workers and they are also not getting other benefits. Though

they ensure the lives of the other people but their lives are not ensured. So this responsibility is to be taken by the Government and Management of LIC by giving them deserved benefits.

Sir, they have demanded to withdraw the New Insurance (Amendment) Bill. The Management and the Government should consider to give them PF, Pension and Insurance benefits. The decision taken by the Management for the Direct Marketing Sales Executives should be withdrawn. The Government has made amendments in 1972 LIC Act and these amendments have curtailed many of the benefits of the LIC Agents which they have ensured earlier. The suggestion of the Government to cancel the Watch Listed Agents should also be withdrawn. A good number of Agents are the women and the LIC Agents in general have become a backbone of LIC in India and lakhs and lakhs of families are depending upon them, so I urge upon the Government to consider the matters and take necessary actions.

MR. CHAIRMAN: Shri S.S. Ramasubbu is allowed to associate with the matter raised by Shri P. Karunakaran.

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, I would like to raise a very important problem which we are facing in Tamil Nadu.

Now-a-days, in Tamil Nadu we are facing acute shortage of power and for more than 18 hours, we are not having electricity in Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu are suffering a lot because of the shortage of power. Almost all the industries in all the districts of our State are suffering a lot because of this problem. Most of the small-scale industries in Tamil Nadu have been closed now.

There are array of unemployed people in our State now. They do not have any employment opportunity. They are starving now.

Also there are many problems. Agriculture people are hesitating to cultivate the crops because it is not possible for them to get power for their pump sets. This is the prevailing situation in our State. … (*Interruptions*)

SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI): The Government of India is not giving electricity to Tamil Nadu. … (*Interruptions*)

SHRI S.S. RAMASUBBU : I am just telling the reality. I am asking the Central Government also.

Sir, we are really facing a severe handicap. The Southern Region has not been interconnected with the national grid. This is a very important point. Mr. Chairman, Sir, you are aware and the Members from Tamil Nadu are also aware that no other State in the country is in such a condition, and our State is facing a very severe power shortage. The Southern Region has not been interconnected with the national grid. Geographical location of a State should not be a handicap for buying or selling of power.

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu has also said the same thing. I am repeating here. The State of Tamil Nadu needs 18,000 MW and then only we can run our industries and give electricity to our people. In all walks of our life, we need electricity. Now, only 8,500 MW power is available in Tamil Nadu. So, we need more electricity to manage all these things. Immediately our State requires 4,500 MW power immediately. Otherwise, it will be very difficult to manage.

I would like to mention one point here. During the dengue problem in my district, I had raised that problem here, and at that time I had asked the Health Minister to send a Central Team to ascertain all the problems of the people. The Central Team came there and ascertained all the problems, and the dengue problem was solved in my district at that time.

In the same way, I would request the hon. Minister, through you, Sir, - this is a very important problem – to send a Central Team to Tamil Nadu to ascertain

the prevailing dreadful situation in regard to shortage of power. It is a dreadful condition. The people of Tamil Nadu are living in darkness. I would request the hon. Minister to solve this problem. Immediately a Central Team should be sent to Tamil Nadu for assessing the situation and also give more electricity to Tamil Nadu.

As a Member of Parliament from Tamil Nadu and on behalf of the people of Tamil Nadu, I am requesting the Central Government to give more power.

The Kudankulam project should be inaugurated immediately and more electricity should be given to Tamil Nadu. This is a very important problem to be solved, I would like to bring it, through you, Sir, to the notice of the Central Government.

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश की आदिवासी कीर जाति, जो हमारे यहां की महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति है के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह जनजाति होशंगाबाद, नरसिंहपुर और नर्मदा के तट बहुसंख्यक समाज के तौर पर रहती है।

सन् 2003 में तत्कालीन भाजपा लेड केंद्रीय सरकान ने कीर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूचि से हटा दिया था। कीर जाति का इतिहास पूर्णतया आदिवासी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज भी इनका जीवन निर्वाह सुदूर जंगलों और नर्मदा के किनारे गांवों में होता है। जिसके कारण शिक्षा का अभाव एवं समाज की मुख्य धारा से यह कीर जाति कटी हुई है। तत्कालीन केंद्र सरकार ने बिना राज्य सरकार के परामर्श एवं अनुशंसा के जो निर्णय लिया था, वह असंवैधानिक निर्णय था। पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार के आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के निर्देशन में करवाये गये सर्वेक्षण और अध्ययन में कीर जाति को पुनः अनुसूचित जनजाति में रखने की अनुशंसा की गयी थी। साथ ही दिनांक 28 फरवरी, 2003 को मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की विधानसभा में इस संबंध में अशासकीय संकल्प पारित किया था, जिसमें सदन में यह सहमति व्यक्त की थी कि कीर जाति को दोबारा अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए और इस तरह का एक नोट बनाकर केंद्र सरकार को भेजा था।

मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं कि कीर जाति को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, जिससे इस वर्ग को शिक्षा और दूसरे जो लाभ उन्हें समाज में मिलने चाहिए, जो नहीं मिल रहे हैं, दोबारा कीर जाति को मिल सकें, कीर जाति का उत्थान हो सके। यह मैं आपके माध्यम से इस सदन में आग्रह करना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : Shri Narayan Singh Amlabe is also associating with the issue raised by Shri Uday Pratap Singh.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Sir, I would like to draw the attention of the Government that an initiative was taken by the Defence Research and Development Organization to set up a Defence Research Centre in my Parliamentary Constituency, Dharmapuri. For this purpose, the land has been identified admeasuring 817.56 acres of Government land and 11.76 acres of private land at Nekkunthi Village, Dharmapuri Taluk and District. A team of officials from the DRDO had also inspected the said site at Dharmapuri on 25th September, 2010.

Sir, the DRDO has been provided with all the details required by it for setting up of a DRDO Research Centre in my Constituency.

I was informed by the hon. Minister of Defence *vide* his letter dated 30th August, 2012 communicating therein that the Government sanction for the land acquisition has been accorded.

Dharmapuri industrially is the most backward area in the State of Tamil Nadu. This initiative was given a golden opportunity to get employment for nearly 20,000 people of this backward District.

I would, therefore, urge upon the hon. Minister of Defence to direct the DRDO to forthwith commence the work towards the setting up of this much awaited DRDO Research Centre at Dharmapuri without any delay so that the people of this industrially backward District can get employment and turn this backward District into a progressing District in Tamil Nadu.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने काम मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उत्तराखंड से आता हूं और वहां की जनता ने वादा झंगोरा खायेंगे, उत्तराखंड बनायेंगे, बड़े संघर्ष के साथ, बड़ी कुर्बानी देकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान नवगठित शिशु राज्य उत्तराखंड के गैरसेण में बनने वाले विधान सभा भवन की आकर्षित करना चाहता हूं। पर्वतीय लोगों की जनभावना एवं आकांक्षाओं से इस राज्य का निर्माण हुआ और अब वहां की सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र गैरसेण में अन्य राज्यों की भांति एक सत्र गैरसेण में आहूत करने का निर्णय लिया है। मैं केंद्र सरकार की सराहना करता हूं कि जिन्होंने राज्य की विधानसभा

निर्माण के लिए 88 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं, परंतु मैं यह बताना चाहता हूं कि विधानसभा भवन के साथ-साथ वहां एक लघु सचिवालय, मंत्रियों तथा विधायकों के आवास तथा सचिवों के आवास का भी निर्माण करना होगा। इसके लिए लगभग पचास करोड़ की अतिरिक्त सहायता केंद्र सरकार और करे जिससे राज्य की जनता की भावना को दृष्टिगत रखते हुए वहां शीघ्र ही विधानसभा भवन के साथ-साथ लघु सचिवालय एवं आवासों का निर्माण कर एक सत्र आहूत हो सके।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य में लघु सचिवालय तथा आवास के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार को पचास करोड़ रूपए की सहायता शीघ्र प्रदान करे।

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Mr. Chairman, Sir, after assuming power in Tamil Nadu, the Chief Minister, hon. Dr. Amma had taken various initiatives to solve the power crisis facing the State. One such initiative is the operationalization of the Kudankulam Nuclear Power Plant. We are happy that fuel had been loaded; and very soon, it will attain criticality producing about 1,000 MW of power from the first unit.

The people of Tamil Nadu have been facing acute power crisis for quite sometime. The industrial activities have also come to a standstill for want of power. Our hon. Chief Minister has been requesting the Centre to allocate 1,000 MW of power from the Central Pool to tide over the crisis. But the Centre has allocated a meagre 100 MW out of which only 78 MW have been made available to the State of Tamil Nadu due to various reasons.

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu has been writing several letters to the authorities concerned including the hon. Prime Minster of India requesting the Centre to allocate the entire power that would be produced from the Kudankulam Power Plant to address the power crisis in Tamil Nadu.

Hence, I request the hon. Prime Minister of India to accede to our request and allocate the entire power that would be produced from the first unit of the Kudankulam Power Plant. Moreover, as the hon. Chief Minister of Tamil Nadu requested, I urge the Union Government to re-allocate the 1721 MW of power surrendered by the Delhi Government and make it available to the State of Tamil

Nadu by facilitating a separate corridor. This will immensely help the people and various segments of industries in Tamil Nadu.

DR. SANJEEV GANESH NAIK (THANE): Hon. Chairman, Sir, thank you for allowing me to raise an important issue in this 'Zero Hour'.

There is a special demand for a separate Statutory Development Board for the Konkan region from Maharashtra State. This proposal has been sent by the Chief Minister of Maharashtra vide letter No.CMS/FS/260/10(2)/PD-22, dated 21st April 1989. For the last so many years, this has been pending in the Ministry of Home Affairs. Again the present Chief Minister has reminded the Government. The matter has been referred to the Ministry of Home Affairs, New Delhi on 19th December, 2011. So, this is my humble request to the hon. Minister that a Constitutional Amendment in Article 371(2)(a) is required for constitution of a separate Statutory Development Board for the Konkan region. So, please accept this request.

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Sir, thank you for giving me this opportunity to raise an important issue.

I would like to draw the kind attention of our Union Government to the arrest of Indian fishermen who are under the custody of Iranian Coastguard in Kish Island in Iran since 10th October, 2012. Though the matter has already been communicated to the concerned Ministries several times, the fishermen have not yet been released. The Embassy of India is struggling to get Consular access. But till today, I am sad to say that our nation is unable to get Consular access to meet out the needs of our detained fishermen. On 10th October, 2012, 29 Indian fishermen who were employed in Qatar and fishing in the Qatar territorial waters and 27 Indian fishermen who were employed in Dubai and fishing in Dubai territorial waters were arrested by the Iranian Coastguard for the reason that they have entered into Iran border. All these fishermen were detained in the Kish Island in Iran for more than 50 days without proper food, water and medicines. Among

them, 46 fishermen are from Kanyakumari district of my constituency in Tamil Nadu and 10 fishermen are from Trivandrum, Kerala.

The fishermen who were engaged in fishing happened to cross the border due to bad weather and they did not intentionally enter into the territorial waters of Iran. The above-said Indian fishermen have gone to Gulf from poor financial background with great expectations. But fate made their situation miserable. It is informed that the Iranian authorities had requested for the release of four Iranian sailors detained in Lakshadweep for over two years since October, 2010 linking the release of our fishermen from Iran. The Indian Embassy in Iran has informed me that two groups of 13 and 11 fishermen were released but the release has not yet been confirmed by the fishermen. Our Government may look into the matter of Iranian sailors too so as to release all our fishermen from Iran.

The families of the arrested fishermen completely depend on their income. But, as the fishermen are under detention, the families are struggling to run their daily life since their arrest on 10th October, 2012. The entire families are afraid of the welfare of the detained fishermen.

Sir, hence I request the Union Government to intervene in this matter and take immediate action for the release and repatriation of Indian fishermen from Iran.

MR. CHAIRMAN: Shri R. Thamaraiselvan is allowed to associate with the matter raised by Shrimati J. Helen Davidson.

The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.

18.35 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 5, 2012/ Agrahayana 14, 1934 (Saka).